# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] तेरहवीं विधान सभा के नवें सत्र का तीसरा दिवस [संख्या : 3

**शुक्रवार,**

**12 अक्टूबर, 2012**

**राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे**
**राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।**

**(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)**

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**प्रश्न संख्या-21**

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न संख्या 21, स्थगित।

**(स्थगित)**

**प्रश्न संख्या-22**

श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री जसवन्त सिंह यादव।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

**प्रश्न संख्या-23**

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

**प्रश्न संख्या-24**

श्री बंशीधर खण्डेला।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

**प्रश्न संख्या-25**

श्रीमती किरण माहेश्वरी।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

**प्रश्न संख्या-26**

श्री अजय सिंह।

(श्री अध्यक्ष)

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

**प्रश्न संख्या-27**

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

**प्रश्न संख्या-28**

श्री दिगम्बर सिंह।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

श्री पवन कुमार दुग्गल।

## राज्य के विद्यालयों में साइकिलिंग व साइकिल पोलो खेल का आयोजन

**29. श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि साइकिलिंग व साइकिल पोलो की स्कूली खेल के अन्तर्गत राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें सभी प्रदेशों से स्कूलों की टीमें भाग लेती हैं? यदि हां, तो राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के खेल कैलेण्डर में उपरोक्त साइकिलिंग व पोलो साइकिलिंग गेम्स को शामिल क्यों नहीं किया गया?

(2) उपरोक्त खेल से सम्बन्धित पत्रावलियां सरकार के पास कब से हैं तथा सरकार द्वारा इसके सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री** (श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'):

(1) राष्ट्रीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में उन्हीं खेलों की टीमें भिजवायी जाती हैं जिनकी जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। चूंकि साइकिलिंग व साइकिल पोलो खेल की जिला एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं की जाती हैं, इसलिए उक्त खेलों की टीमें राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में नहीं भिजवायी जाती हैं। अत: इन्हें खेल कैलेण्डर में शामिल करने का प्रश्न ही नहीं है।

(2) स्कूल गेम्स फैडरेशन आफ इण्डिया द्वारा राजस्थान में स्वीकृत

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

स्कूली खेल एवं प्रतियोगिताओं की सूची में साइकिलिंग व साइकिल पोलो को विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में सम्मिलित करने की मान्यता नहीं है। अत: वर्तमान में इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं, इन्होंने यह लिखा है कि स्कूल गेम्स फैडरेशन आफ इण्डिया द्वारा राजस्थान के लिए विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताएं सम्मिलित करने की मान्यता नहीं है जब कि इनको स्पोर्ट्स कैलेण्डर जो 2010-11 को स्कूल गेम फैडरेशन आफ इण्डिया ने जारी किये हैं उसके अन्दर इन्होंने साइकिल पोलो को स्कूली गेम के कैलेण्डर के अन्दर जारी किया हुआ है, नम्बर एक।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, आज देश में, प्रदेश में खेल लगातार बढ़ता जा रहा है मगर प्रदेश में खेल एवं युवा नीति नहीं होने की वजह से हालात क्या हैं? आप देखिए, अध्यक्ष महोदय, साइकिलिंग के अन्दर हमारे राजस्थान के खिलाड़ियों ने 2010 में दिल्ली के कामनवैल्थ में पार्टिसिपेट किया- राजेन्द्र विश्नोई, दयालाराम सारण, पानाचन्द चौधरी, राकेश जाखड़। इसके अलावा वर्ल्ड रेलवे चैम्पियनशिप हुई उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। कई बार राजस्थान के खिलाड़ियों ने अपने निजी खर्चे से एसोशिएशन की तरफ से भाग लिया। एसोशिएशन की तरफ से राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जो 2006-07, 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के अन्दर छत्तीसगढ़, त्रिवेन्द्रम और महाराष्ट्र के अन्दर जो प्रतियोगिताएं हुई हैं, उसके अन्दर राजस्थान की टीम ने भाग लिया है, पोलो टीम ने। अध्यक्ष महोदय, 2010-11 में गर्ल्स ने मैडल लिया है, बायज ने केरल के अन्दर गोल्ड मैडल लिया है। फिर सिल्वर मैडल इन्होंने लिये हैं। हमारा नौजवान, हमारा खिलाड़ी मैडल ले रहा है प्रदेश के लिए, ऐसी स्थिति में आप ग्रासरूट्स के ऊपर अगर इसको स्कूली मान्यता नहीं दोगे। राजस्थान साइकिल पोलो पिछली बार जोधपुर में हुई थी जिसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी भी गये थे, उन्होंने वहां कहा था कि हम इसको स्कूली गेम के अन्दर शामिल करेंगे। कई बार हमारी साइकिल पोलो एसोशिएशन माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिली है और उन्होंने रिमार्क भी किया हुआ है कि इसको स्कूली गेम में मान्यता देंगे।

अध्यक्ष महोदय, हम लोग नेशनल खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं, इनको भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड दिया हुआ है,

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

महाराणा अवार्ड की भी अभी हाल ही में घोषणा की गई है, हमारे खिलाड़ी की....

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न क्या है?

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): प्रश्न यह है कि स्कूली गेम में राज्य सरकार इनको खेलने की मान्यता दे, सिर्फ इनसे एनओसी चाहिए। स्कूल गेम फैडरेशन आफ इण्डिया ने अपने कैलेण्डर के अन्दर यह लिखा हुआ है कि यह स्कूली गेम में है, हिन्दुस्तान के 14 प्रदेशों में हो रहा है तो हम इनसे एनओसी की उम्मीद कर रहे हैं।

**श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, स्कूल गेम्स फैडरेशन आफ इण्डिया का मुख्यालय आगरा में है। एसजीएफआई द्वारा साइकिलिंग को पांच वर्ष के लिए अस्थाई मान्यता दी गई थी। 2010-11 में हमारी टीम गई थी पर वह स्कूली शिक्षा वाली टीम नहीं थी, ओपन टीम थी। बाद में अस्थाई मान्यता एसजीएफआई ने समाप्त कर दी। वर्तमान में मैं इनको यह जानकारी देना चाहता हूं कि स्कूली प्रतियोगिताएं हैं उनमें यह साइकिल पोलो शामिल नहीं है और खेल का प्रचलन भी वहां पर नहीं है। सारे शिक्षकों की स्कूल खेल में शामिल करने की सहमति के पश्चात् एक बार जरूर राष्ट्रीय साइकिलिंग खेल प्रतियोगिता में राज्य की टीम को भिजवाने के लिए साइकिल पोलो एसोशिएशन का एक ज्ञापन माननीय मुख्य मंत्रीजी को दिया गया था। उनके माध्यम से विभाग द्वारा जिलों को सहमति के लिए और उनकी राय के लिए प्रस्ताव भिजवाये गये हैं, राय मांगी गई है। इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, अलवर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इन जिलों के किसी भी विद्यालय में यह खेल नहीं है और उन्होंने अपनी राय यह व्यक्त की कि हमारे पास में न तो यह खेल प्रचलन में है और न हमारे पास प्रशिक्षित शिक्षक हैं। इसलिए मैं यह मानता हूं कि वर्तमान में विद्यालय प्रतियोगिताओं में यह खेल शामिल नहीं है और अभी किसी भी जिले से यह राय पक्ष में प्राप्त नहीं हुई है।

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, जब यह नीति ही नहीं बना रहे हैं तो इनको पता कैसे लग रहा है? हमने यह कहा था कि हमारी टीम नेशनल चैम्पियनशिप में गई हुई है, हमारे पास रिकार्ड है इसका।

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

फैडरेशन ने बार-बार इनसे रिक्वैस्ट की हुई है। जोधपुर के अन्दर जो हमारा नेशनल टूर्नामेंट हुआ था उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी उपस्थित थे। बीकानेर के हमारे कई खिलाड़ी राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खेल को खेल रहे हैं। आप यह कह रहे हो कि ओपन टीम गई है, जब स्कूली गेम नहीं है तो ओपन टीम किसी के सहारे गई होगी। इसका सीधा-सा मतलब है कि ओपन टीम जा रही है, अपने बल पर जा रही है, अपनी मेहनत पर जा रही है। स्कूली सहायता नहीं होने की वजह से वे खुद अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, खुद निजी तौर पर एसोशिएशन मेहनत कर रही है। ऐसी स्थिति में हम यह मांग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इनसे बार-बार रिक्वैस्ट की हुई है, लगातार पिछले 4 चार से हमने आवेदन दिये हैं एसोशिएशन की तरफ से कि इसको स्कूली गेम में शामिल किया जाए। अध्यक्ष महोदय, कामनवैल्थ के अन्दर हम लोग गये हैं, अभी एशियाड के अन्दर कई टीमें राजस्थान की गई हैं, बीकानेर के अन्दर एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, जोधपुर के अन्दर एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, टीमें खेल रही हैं, गंगानगर में टीमें खेल रही हैं। हम उनसे एनओसी की मांग कर रहे हैं। अगर स्कूल गेम फैडरेशन आफ इण्डिया आगे कुछ करता है तो आगे की बात है, मगर आपके माध्यम से इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार साइकिल पोलो और साइकिलिंग को एनओसी देने का इरादा रखती है? हां या ना, स्कूल गेम्स के लिए?

**श्री अध्यक्ष**: केवल हां या ना में जवाब दे दें।

**श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, यह जवाब जिस तरह से पूछना चाहते हैं, वह जवाब देना भी असंगत नहीं है। जब विद्यालय स्तर पर यह खेल खेला ही नहीं जाता तो राष्ट्रीय स्तर पर तो जाने का सवाल ही नहीं है। जिला खेल संघों के माध्यम से खेल खेले जाते हैं, वहां प्रैक्टिस होती है, हर जिले में यह खेल प्रचलन में है और खास तौर से जयपुर में हमारे एसएमएस स्टेडियम में .....

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह तो खुद कह रहे हैं, खेल प्रचलन में है। जब प्रचलन में है, जब खेल रहे हैं, यह तो अर्जुन अवार्ड की घोषणा की है।

**श्री अध्यक्ष**: आप जवाब सुनिए ...(व्यवधान) जवाब सुनिए।

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, महाराणा प्रताप अवार्ड की घोषणा राज्य सरकार ने की है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपसे मैं हस्तक्षेप की उम्मीद करता हूं। आप खुद गये थे, आपके जोधपुर के अन्दर हो रहे हैं, आपके जोधपुर के खिलाड़ी सबसे ज्यादा नेशनल, इंटरनेशनल स्तर पर पहुंचे हैं, कम से कम आप इसको स्कूली गेम में लागू करो। जब प्रचलन में हैं, खेलते हैं तो दिक्कत क्या है?

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए।

**श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मेरी बात सुनिए।

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह गरीब का खेल है, पहले राजा-महाराजा हार्स से खेलते थे, साइकिलिंग की छूट हमको नहीं दी जा रही है तो हार्स उपलब्ध करवा दो।

**श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी की दिली इच्छा है कि विद्यालय स्तर पर आए, पर उसकी एक प्रक्रिया है। जिला स्तर पर राय लेकर, सहमति प्राप्त करके खेल नीति में इसको शामिल करेंगे परन्तु अभी यह प्रक्रिया विचाराधीन है। निश्चित तौर पर इनकी भावना का ध्यान रखा जाएगा।

**प्रश्न संख्या-30**

**श्री अध्यक्ष**: श्री ज्ञानचन्द पारख।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

**प्रश्न संख्या-31**

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

**प्रश्न संख्या-32**

श्री मान सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

श्री अलाउद्दीन आजाद।

## सवाई माधोपुर में 'लोक शिक्षण' पर व्यय राशि

**33. श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाई माधोपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) साक्षर भारत योजना के तहत विगत 3 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में कितने निरक्षरों को साक्षर किया गया? केन्द्रवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में कितने लोक शिक्षण केन्द्र बने हुए हैं व उनमें कितने प्रेरक कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में कितने स्वयंसेवक कार्यरत हैं? केन्द्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजनान्तर्गत सवाई माधोपुर ब्लाक में आबंटित राशि एवं व्यय राशि की केन्द्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) प्रति साक्षर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) नव साक्षर परीक्षा में विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में कितने महिला/पुरुष सम्मिलित हुए व क्या परिणाम रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री** (श्री अशोक बैरवा 'खण्डार') (शिक्षा मंत्री के स्थान पर) : (1) साक्षर भारत योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में निरक्षरों को साक्षरता कक्षाओं में अध्ययन करवाया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|---|---|---|---|
| निरक्षरों की संख्या | - | 4000 | 5587 |

वर्ष 2012-13 में सभी निरक्षर वर्तमान में साक्षरता कक्षाओं में अध्ययनरत हैं। लोक शिक्षा केन्द्र की वर्षवार सूची परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में 40 लोक शिक्षा केन्द्र बने हुए हैं व उनमें वर्तमान में 68 प्रेरक कार्यरत हैं। लोक शिक्षा केन्द्रों की सूची परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है।

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

(3) विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में कुल 574 स्वयंसेवक कार्यरत हैं जिनकी केन्द्रवार सूची परिशिष्ट ''ग'' पर संलग्न है।

(4) सवाई माधोपुर ब्लाक में वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु कुल 3583150 रुपये आवंटित किये गये जिनमें से 1560086 रुपये उक्त वित्तीय वर्ष में व्यय किये गये हैं। व्यय की केन्द्रवार सूची परिशिष्ट ''घ'' पर संलग्न है।

(5) सवाई माधोपुर जिले में प्रति साक्षर 147.68 रुपये व्यय की गयी।

(6) राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा (एन.आई.ओ.एस.) द्वारा वर्ष में दो बार माह मार्च एवं अगस्त में बेसिक साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया जाता है। विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में परीक्षा में शामिल होने व उत्तीर्ण होने वालों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. 18 मार्च, 2012 को आयोजित बेसिक साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा में महिला 5159 एवं पुरुष 1377 कुल 6536 परीक्षार्थी शामिल हुए जिनमें महिला 2952 एवं पुरुष 695 कुल 3645 परीक्षार्थी उत्तीर्ण घोषित किये गये।

2. 26 अगस्त, 2012 को आयोजित बेसिक साक्षरता मूल्यांकन परीक्षा में महिला 4596 एवं पुरुष 1416 कुल 6012 परीक्षार्थी शामिल हुए। उक्त परीक्षा का परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है। उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों तथा परिणाम की स्थिति का विवरण परिशिष्ट ''च'' पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाई माधोपुर): आपने बताया कि परीक्षा परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, तो कब तक परीक्षा परिणाम घोषित होने की उम्मीद है?

**श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): यह परीक्षा 26 अगस्त, 2012 को आयोजित की गई थी, लगभग दो महीने का समय लगेगा। शीघ्र ही परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर जिले में साक्षरता का प्रतिशत काफी अच्छा है, यह मिशन कामयाब हुआ है। सवाई माधोपुर जिले में शिक्षा का जो शानदार कार्यक्रम चल रहा है सर्व शिक्षा अभियान का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आपके जिले में साक्षरता का प्रतिशत काफी अच्छा है और

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

परिणाम घोषित होने के बाद आपको भी व्यक्तिगत रूप से जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी।

**श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाई माधोपुर): अध्यक्षजी, और सभी सूचनाएं प्राप्त हो गई हैं।

**प्रश्न संख्या-34**

**श्री अध्यक्ष**: अब्दुल सगीर खां।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

**प्रश्न संख्या-35**

श्री बनवारी लाल सिंघल।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

श्री पेमाराम।

## सीकर जिला कारागृह में विचाराधीन कैदी का मृत्यु प्रकरण

**36. श्री पेमाराम** (धोद): क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला सीकर की जेल में माह अप्रैल, 2012 के बाद किसी विचाराधीन कैदी की मृत्यु की कोई एफ.आई.आर. दर्ज हुई है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मृतक का मेडिकल हुआ है? यदि हां, तो मेडिकल रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रकरण में कोई गिरफ्तारी हुई है? यदि नहीं, तो तफ्तीश या जांच जारी के नाम से अपराधियों को क्यों बचाया जा रहा है?

(4) उक्त प्रकरण में मृतक के परिजनों को क्या-क्या आर्थिक सहायता दी गयी?

(5) सरकार द्वारा उक्त प्रकरण में अपराधियों की गिरफ्तारी किस दिनांक तक कर ली जाएगी?

**राज्य मंत्री, कारागार** (श्री रामकिशोर): (1) जी हां। जिला कारागृह सीकर में माह अप्रैल, 2012 के बाद विचाराधीन बंदी रामचन्द्र पुत्र गणपतराम की मृत्यु के सम्बन्ध में एफ.आई.आर. नं. 167/12 दर्ज हुई है। एफ.आई.आर. की छाया प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(श्री रामकिशोर)

(2) उक्त बंदी का मेडिकल जेल प्रवेश के अगले दिवस कराया गया, जिसके संदर्भ में प्रवेश पंजिका की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त प्रकरण में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तफ्तीश में किसी अपराधी को बचाये जाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाएगा।

(4) मृतक बंदी रामचन्द्र की पत्नी श्रीमती सुमित्रा देवी को राज्य सरकार द्वारा 3.75 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

(5) प्रकरण में अन्वेषण की प्रक्रिया जारी है।

**(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)**

**श्री पेमाराम** (धोद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा पूछना चाहूंगा कि 30 अप्रैल को 323 में जमानती नहीं मिलने की वजह से हमारे सीकर जिले के सिंहासन गांव का एक शिड्यूल्ड कास्ट का युवक जेल में गया, इनकी जमा फर्द होती है। जब कोई कैदी जेल में जाता है तो उस दौरान उसके किसी प्रकार की चोट नहीं थी। इनके जेलर ने जेल में ठेका दे रखा है 80 हजार रुपये महीने का। क्या यह सही है कि एक तारीख की रात को उस जेल में उसकी पिटाई हुई और पिटाई की वजह से उसके शरीर पर मेडिकल बोर्ड ने 6 चोटें मानी हैं? क्या यह भी सही है कि उसकी लाश को जेल में से प्राइवेट वाहन के द्वारा रात के एक बजे सीकर के कल्याण अस्पताल में लेकर गये थे? क्या यह भी सही है कि आपका उप महा निरीक्षक वहां पर जांच करने के लिए गया था और उन्होंने भी उसके शरीर पर चोटें मानी हैं? अध्यक्ष महोदय, कोई कैदी जब इनकी कैद में आता है उस दौरान उसकी जांच-पड़ताल होती है, उस दौरान उसके शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं थे। जेल में 80 हजार रुपये का जो ठेका कैदियों को दे रखा है उसी का परिणाम है कि उसको पीट-पीट कर मार दिया। उस गरीब के पास कोई पैसा नहीं था तो पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी और प्राइवेट वाहन के द्वारा न कि सरकारी वाहन, प्राइवेट वाहन से सीकर के कल्याण अस्पताल में डाल दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा इन तीन प्रश्नों के अलावा चौथा प्रश्न यह है कि उसके बाद सीकर के प्रशासन की भी मिलीभगत थी, तो क्या यह भी सही है कि उस दौरान, चीफ सैक्रेटरी से बात होने के बाद, राज्य सरकार के ध्यान में यह बात आई थी, उसके बाद 302 का मुकदमा दर्ज किया गया था? क्या यह भी सही है कि उसके बाद सीकर के कलक्टर और एस.पी. ने बैठकर जो बात तय की थी, इसकी धर्मपत्नी को

(श्री पेमाराम)

सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया था वो आज तक नहीं दी गई? क्या यह भी सही है.....

**श्री अध्यक्ष**: कितने प्रश्न पूछेंगे आप? पूरक प्रश्न तीन-तीन अलाउ कर दिये।

**श्री पेमाराम** (धोद): अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं कि न्यायालय के आदेश से राजस्थान सरकार के संरक्षण में जेल चलती है और उसमें कोई जिंदा इन्सान जाता है और उसका कत्ल करके बाहर भेज दिया जाता है तो निश्चित तौर पर दिमाग में जितने प्रश्न होंगे, उतने पूछेंगे। कोशिश यह करेंगे कि जेल में जो करप्शन हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो अधिकारियों की लापरवाही है और इसके साथ...

**श्री अध्यक्ष**: अब आप बैठें, जवाब आने दें।

**श्री पेमाराम** (धोद): हां, जवाब आने दें।

**श्री रामकिशोर** (राज्य मंत्री, कारागार): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मुल्जिम रहा रामचन्द्र, यह 323, 341, 325 का मुल्जिम रहा और इसके ऊपर जो मुकदमा था वो सन् 2003 में दर्ज किया गया। लगभग 9 साल तक यह अब्स्कोंड रहा, 9 साल बाद में 2012 में इसको अरैस्ट किया गया। 30 तारीख को इसको कोर्ट में हाजिर किया, इसकी जमानत के आर्डर हो गये। लेकिन इसके पास जमानती नहीं होने की वजह से, किसी ने इसको जमानत नहीं दी तो इसको जेल भेजा गया। 30.06.2012 को एक बजकर 10 मिनट पर यह जेल में आया। इसका मेडिकल चैक-अप हुआ उस दिन इसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, यह बात सही है कि बिलकुल स्वस्थ था। उसके बाद में 01.07.2012 को रात को लगभग 10.45 पर इसकी जेल में हरकतें हुईं, यह भागने लगा, चिल्लाने लगा, इधर-उधर दौड़ने लगा, कुछ हरकतें करने लगा। इस प्रकार की हरकत थी कि इसको वहां पर रोका जाए। अब आपने जो बात कही कि इसके शरीर पर चोटें रहीं, उससे पहले मैं यह निवेदन कर दूं कि इसके बाद हमने एम्बुलेंस 108 मंगवाई क्योंकि जेल में कोई साधन नहीं था। एम्बुलेंस मंगवाई गई तो एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने इसको हास्पिटल ले जाने से मना कर दिया। फिर हमने वहां प्राइवेट हमारे जो मेल नर्स हैं, उनका एक साधन था, उससे इसको हास्पिटल पहुंचाया। हास्पिटल में इसकी डैथ हुई। डैथ में आपने जो इंजरीज के बारे में बताया, वो इंजरीज ऐसी नहीं है कि जिनसे इस आदमी की डैथ हो सकती हो।

**श्री पेमाराम** (धोद): कैसे आ गई इंजरी?

**श्री रामकिशोर** (राज्य मंत्री, कारागार): मैं बता रहा हूं, आप एक मिनट सुन लें। इसकी बाडी पर पांच इंजरीज हैं वो सारे एब्रेशंस हैं, खरोंच हैं जिनको नाखून से भी बनाया जा सकता है। ये इंजरीज हैं, एक नी-जोइंट पर है जो गिरने से इसके आ सकती थी। एक गर्दन पर खरोंच है, हाथ की अंगुलियों पर खरोंच है। ऐसी कोई चोट नहीं है। जो पीएमआर की ओपिनियन है, डाक्टर्स की जो ओपिनियन आई है उसमें कार्डियक रेस्पीरेटरी अरैस्ट के बारे में लिखा हुआ है। एफएसएल की रिपोर्ट आएगी उसके बाद फाइनल ओपिनियन आएगी। तो आपका यह कह देना कि जेल के अन्दर कोई मारपीट की गई है, चलाकर कोई इंजरी पहुंचाई गई है और वहां इस प्रकार का कृत्य किया गया है ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रिपोर्ट आपके समक्ष पेश है, यह आदमी किस स्थिति में था, 9 साल अब्स्कोंड रहा उसके बाद में आया, हमारे यहां उसके बाद केवल दो दिन रहा और उसके बाद इसकी डैथ हो गई। अब यह नैचुरल डैथ, आफ्टर कार्डियक रेस्पीरेटरी अरैस्ट की वजह से इसकी डैथ हुई है।

**श्री पेमाराम** (धोद): अध्यक्ष महोदय, आपने जवाब दिया कि यह दौड़ रहा था रात के दस बजे। मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि क्या जेल को रात के दस बजे तक खुला रखते हैं? माननीय मंत्री महोदय जवाब तो दे रहे हैं लेकिन कायदा तो यह है, हमने तो यही पढ़ा था कि सात बजे ही जेल बंद हो जाती है और आप कह रहे हैं कि रात के दस बजे जेल में दौड़ता रहा। इसका मतलब दो तरह की बात मंत्री महोदय सदन में कहकर मैं समझता हूं कि मुझे और सदन को ही नहीं, सबको गुमराह करने का काम आपके अधिकारी कर रहे हैं। दूसरा मेरा निवेदन यह था कि जब यह पोजिशन थी तो उसके बाद वहां किसी डाक्टर को नहीं बुलाया गया।

तीसरी बात यह थी कि उसके बाद एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हो पाना, चीफ सैक्रेटरी के हस्तक्षेप से एफ.आई.आर. दर्ज होना, वहां पर इसकी धर्मपत्नी को सरकारी नौकरी का आश्वासन देना, ये जो सवाल थे, आपने उन सवालों को इग्नोर कर दिया।

**श्री रामकिशोर** (राज्य मंत्री, कारागार): माननीय अध्यक्ष महोदय, शायद माननीय सदस्य मेरे जवाब को ठीक से समझ नहीं पाये। शाम को सभी बंदियों को बैरक में बंद कर दिया गया था और वह सारी हरकत उसकी बैरक के अन्दर थी। जेल परिसर के अन्दर नहीं है, यह ओपन जेल के अन्दर नहीं है। वह बैरक के अन्दर जो भागदौड़ कर रहा था, और बंदियों के साथ में

(श्री रामकिशोर)

बदमाशियां कर रहा था, मारपीट कर रहा था, वह है। एक तारीख को इस बंदी की बहिन इससे मिलकर गई है। तब तक इसकी बाडी पर कोई इंजरीज नहीं है, न कोई शिकायत है किसी प्रकार की। उसी दौरान जब यह रात को हरकतें कर रहा था, तब इसकी बाडी पर इंजरीज आई हैं। गिरने से, रगड़ से ये सारी इस प्रकार की इंजरीज हैं। आपका कहना यह है कि डाक्टर्स को नहीं बुलाया। डाक्टर को उसी समय बुलाया गया। 11.50 बजे डाक्टर्स को, जेल के जो हमारे डाक्टर्स थे, पहले कम्पाउण्डर-मेल नर्स ने देखा, उसके बाद डाक्टर्स को बुलाया गया। डाक्टर्स ने उसको रैफर किया कल्याण अस्पताल के लिए, फिर वहां उसको भेज दिया गया। उसकी डैथ हो गई, श्रीमान, यह इतना-सा केस है।

**श्री अध्यक्ष**: विराजिये। श्री ओम बिरला।

**श्री पेमाराम** (धोद): अध्यक्ष महोदय, सीकर जेल में आपकी वैन है, आप प्राइवेट गाड़ी से लेकर आ रहे हो लाश को। यह कत्ल है और आप इसको साधारण कर रहे हैं। जेल में राजस्थान सरकार में कोई जिंदा जाएगा और उसकी लाश वापस आएगी, मैं समझता हूं कि इकबाल खतम हो गया सरकार का। यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आप कह दो कि हमारी खराब हो गई है। वह मुझसे कोई चीज लेनी है तो आप यह बता दो, मेरे से नहीं करवानी है, यह बता दो।

**श्री अध्यक्ष**: चर्चा समाप्त करें। श्री ओम बिरला।

**श्री रामकिशोर** (राज्य मंत्री, कारागार): नहीं नहीं, आप... यह नहीं है।

**प्रश्न संख्या-37**

**श्री अध्यक्ष**: श्री ओम बिरला।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

श्री अमराराम।

## सीकर जिले में अपराधों पर रोक हेतु कार्य योजना

**38. श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में लगातार तीन वर्षों में अपराधों की संख्या बढ़ने के क्या कारण हैं? गत तीन वर्ष के संगीन अपराधों एवं महिलाओं पर अत्याचार एवं दलितों पर अत्याचार बढ़ने के क्या कारण हैं? तीन वर्ष की तुलनात्मक सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री अमराराम)

(2) राज्य में बच्चों के अपहरण एवं लापता होने की घटनाओं में वृद्धि के बाद भी बरामदगी बहुत कम होने के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सही है कि सीकर में दिन-दहाड़े डकैती होने के बाद भी आज तक बरामदगी नहीं हुई तथा सेना की गायब कारबाइन के मिलने के बावजूद मुल्जिम आज तक नहीं मिले? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

(4) क्या सरकार जिला सीकर में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर होने के क्या कारण हैं तथा उनको दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

**राज्य मंत्री, यातायात** (श्री वीरेन्द्र बेनीवाल): (1) राज्य में लगातार तीन वर्ष में अपराधों की संख्या बढ़ने के कारण जनसंख्या वृद्धि, स्वतंत्र पंजीकरण, जनता में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, सरकार के विज्ञापन, बढ़ते संसाधन, आधुनिक तकनीकी का प्रसार आदि हैं। राज्य के तीन वर्ष के संगीन अपराधों एवं महिलाओं व दलितों पर अत्याचार बढ़ने के कारण जनसंख्या में वृद्धि, महिलाओं के अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता, शिक्षा का प्रसार, बेमेल शादियां, सामाजिक व नैतिक मूल्यों में गिरावट, भूमि सम्बन्धी विवाद, रुपयों-पैसों का लेनदेन, क्रास केस दर्ज करवाने की परिपाटी, जिले में किसी क्षेत्र विशेष में जाति का बाहुल्य होने पर उनके द्वारा अपराध कारित करने की घटनाओं के कारण आदि हैं। तीन वर्ष की तुलनात्मक सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

**श्री अध्यक्ष**: समझ गये? प्रशासन की कोई गलती नहीं है।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (राज्य मंत्री, यातायात): (2) राज्य में बच्चों के अपहरण एवं लापता होने की घटनाओं के बाद बरामदगी बहुत कम न होकर अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में बरामदगी अधिक रही है। वर्ष 2009 से अगस्त, 2012 तक कुल गुमशुदा बच्चों की संख्या 12536 में से 10756 बच्चों की दस्तयाबी की गई है, जो कुल गुमशुदा बच्चों का 85.80 प्रतिशत है।

(3) सीकर में अभियोग संख्या 750/11 धारा 392 भा.द.सं. थाना कोतवाली, सीकर (दिन-दहाड़े डकैती) एवं अभियोग संख्या 187/12 धारा 379 भा.द.सं. थाना कोतवाली (सेना से कारबाइन गुम होने सम्बन्धी) में मुल्जिमान नहीं मिलने का कारण दोनों प्रकरणों का सूत्रहीन होना तथा घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं होना है। प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(4) सीकर में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।

(5) राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।

**(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)**

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तो कोई कमी नहीं, जनसंख्या बढ़ गई, इनकी तो लापरवाही है नहीं। इससे ज्यादा अफसोसजनक बात क्या हो सकती है कि राज्य में दिन-दहाड़े हत्याएं हो रही हैं...

**श्री अध्यक्ष**: ये कानून व्यवस्था सामान्य मान रहे हैं।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): नहीं, मान तो रहे हैं लेकिन हालत मैं समझता हूं, किसी से छिपी हुई नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब रक्षक ही भक्षक हो जाएंगे- राजस्थान के मौलासर थाने में एक लड़की को 25 दिन तक अवैध हिरासत में रखते हैं, उसके साथ व्यभिचार होता है, उसके साथ 25 दिन तक मारपीट होती है। उसकी शिकायत जब मानवाधिकार आयोग राजस्थान में की जाती है, मानवाधिकार आयोग में एक आई.जी. स्तर के अधिकारी जांच करते हैं। 25 दिन की अवैध हिरासत में नागौर के एस.पी. वहां जाकर यह फिल्मी डायलाग कहते हैं कि तेरे को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाये- जिस एस.पी. की कस्टडी में एक महिला के साथ, एक बच्ची के साथ 25 दिन तक अवैध हिरासत हो, उसके साथ व्यभिचार पुलिस कस्टडी में हो और मानवाधिकार आयोग राजस्थान रिपोर्ट दे दे कि उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करके कार्यवाही की जाए। रक्षक भक्षक हों, उसके बाद भी आप कहो रिपोर्ट आने के बाद। अध्यक्ष महोदय, आज दिन तक भी अगर रिपोर्ट दर्ज है तो मंत्री महोदय बताएं कि कितनी एफ.आई.आर. उन एस.एच.ओ. से लेकर एस.पी. तक, 25 दिन तक अवैध हिरासत में एक लड़की को रखना और उसके साथ अत्याचार, व्यभिचार करना, पुलिस कस्टडी में पुलिस के कारिंदों के द्वारा, इससे बड़ा अपराध, अध्यक्ष महोदय, हो नहीं सकता। उसके बाद भी सरकार सोयी रही, उन अधिकारियों को बचाती रही, जिन्होंने मानवाधिकार का हनन किया है और एस.पी. की मौजूदगी में किया है। इससे ज्यादा बात और क्या हो सकती है? आप बताएं कि वह एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की तो कब करेंगे? नहीं की है तो अब कब करेंगे? (व्यवधान) दूसरा अध्यक्ष महोदय, ...

**श्री रूपाराम डूडी** (डीडवाना): इसके बारे में माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये तो बिलकुल जानबूझकर मनगढ़ंत बात बना रहे हैं। इस मामले में मेरे को पूर्णतया जानकारी है और मैं उस मामले में चार बार थाने में गया था।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): +++

**डा. रघु शर्मा** (मुख्य सचेतक): यह इस प्रकार का आरोप आप नहीं लगा सकते हैं। (व्यवधान)

**श्री रूपाराम डूडी** (डीडवाना): यह बिलकुल गलत कह रहे हैं। इनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

**डा. रघु शर्मा** (मुख्य सचेतक): +++ यह कैसे कह सकते हो। आप कैसे कह सकते हो? आप कैसे चार्ज कर सकते हैं कि +++ ? (व्यवधान) ये माननीय सदस्य हैं विधान सभा के। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): मानवाधिकार आयोग ने एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए कहा है... (व्यवधान) अत्याचारियों के साथ जिस तरह की...

**श्री रूपाराम डूडी** (डीडवाना): जो बात ये यहां पर कह रहे हैं, वह गलत बात है। ये असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान) इस मामले में मेरे को पूर्णतया जानकारी है। डीडवाना क्षेत्र का थाना है। इस तरह की कोई बात नहीं है। यह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्षजी।

**डा. रघु शर्मा** (मुख्य सचेतक): आपके पास कोई सबूत हैं क्या इस बात के? सबूत लाइये। (व्यवधान) आप सबूत लाइये।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): सबूत है। (व्यवधान)

**श्री रूपाराम डूडी** (डीडवाना): यह जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, इस बात में एक परसेंट भी सत्यता नहीं है।

**डा. रघु शर्मा** (मुख्य सचेतक): या तो सदन छोड़ दो या सबूत लेकर आओ। यह विधान सभा है। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): मानवाधिकार आयोग ने कहा है...

**श्री पेमाराम** (धोद): मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी है। (व्यवधान) मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट भेजी है। (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (मुख्य सचेतक): आपने माननीय सदस्य का नाम लिया है। (व्यवधान) आपने माननीय सदस्य के खिलाफ आरोप लगाया है। (व्यवधान) आपने माननीय सदस्य के खिलाफ आरोप लगाया है। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): आपका, राज्य सरकार का आई.जी. वहां बैठता है। (व्यवधान) राज्य सरकार का आई.जी. वहां नियुक्त कर रखा है।

**श्री महेन्द्र चौधरी** (नावां): ये भी माननीय सदस्य हैं। एक माननीय सदस्य के ऊपर सीधा-सीधा आरोप लगाया है माननीय सदस्य ने। ये भी माननीय सदस्य हैं। इन्होंने यह आरोप किस प्रकार लगाया? ये इस प्रकार की बात करने वाले कौन होते हैं? (व्यवधान)

**श्रीमती ममता भूपेश** (संसदीय सचिव): आपने इनका नाम कैसे लिया? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: मंत्रीजी को जवाब देने दोगे कि नहीं? मंत्रीजी का जवाब सुनेंगे कि नहीं? (व्यवधान)

**श्री महेन्द्र चौधरी** (नावां): राज्य सरकार के खिलाफ इस प्रकार की बात कैसे कह दी इन्होंने? (व्यवधान) जिस तरह का व्यवहार अपराधियों के साथ है... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: मंत्रीजी का जवाब सुनेंगे कि नहीं? मंत्रीजी का जवाब भी सुनेंगे कि नहीं आप लोग? (व्यवधान) जवाब नहीं सुनना मंत्रीजी से? (व्यवधान) मंत्रीजी।

**श्री रूपाराम डूडी** (डीडवाना): शब्द वापस लें अपने ये। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न तो कर लूं।

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठिये। नहीं, आप जवाब सुनिये। जवाब आने दीजिये। आप बैठिये। (व्यवधान)

**डा. रघु शर्मा** (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्य के विशेषाधिकार का हनन बनता है। इस तरह से किसी चुने हुए सदस्य के खिलाफ आप जो मर्जी आए, आरोप लगा देंगे? आप साबित करिये इसको। (व्यवधान) यह क्या तरीका हुआ इनका?

**श्री अध्यक्ष**: मंत्रीजी।

**श्री महेन्द्र चौधरी** (नावां): कार्यवाही से निकाला जाए शब्द। (व्यवधान)

**श्री रूपाराम डूडी** (डीडवाना): इसके बारे में इनको पता नहीं है। सदन में इस तरह की बात करते हो।

**डा. रघु शर्मा** (मुख्य सचेतक): आपने चार्ज लगाया है कि आप शामिल हो।

**श्री अध्यक्ष**: एक मिनट, एक मिनट प्लीज। जो आरोप लगाया है, उसको मैं एक्सपंज करता हूं। मंत्रीजी जवाब दें।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने...

**श्री रूपाराम डूडी** (डीडवाना): एक मिनट, साहब। इस बारे में इनके द्वारा, लड़की के द्वारा जो शिकायत कराई गई...

**श्री अध्यक्ष**: आप बैठिये, बैठिये आप। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप बैठिये। (व्यवधान)

**श्री रूपाराम डूडी** (डीडवाना): ...वह लड़की आकर सी.एम. साहब से मिली है, वहां एफिडेविट दिया है और जो वहां मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, उनको लिखकर दिया है कि मेरे साथ इस तरह की कोई बात नहीं हुई।

**श्री अध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप विराजें। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं सारी बात का।

**श्री रूपाराम डूडी** (डीडवाना): ये लोग उस लड़की को पांच लाख रुपये...

**डा. रघु शर्मा** (मुख्य सचेतक): यह प्रश्न में है भी नहीं। यह जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, यह उसका पार्ट भी नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

**श्री रूपाराम डूडी** (डीडवाना): ...मानवाधिकार आयोग में शिकायत कराई गई, इन लोगों ने इस तरह की हरकत पैदा की है। जब उस लड़की ने खुद लिखकर दे दिया...

**श्री अध्यक्ष**: आप विराजिये। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। मंत्रीजी जवाब दे देंगे, आप बैठिये।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मौलासर की घटना के बारे में अपनी चिंता प्रकट करते हुए क्या कार्यवाही की जा रही है, इसके बारे में प्रश्न किया। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि चाहे मौलासर की घटना हो या राज्य के किसी भी क्षेत्र में घटने वाली किसी भी प्रकार की घटना हो, राज्य सरकार पूर्ण सजग होकर, पूर्ण संवेदनशीलता के साथ हर प्रकरण की तह तक जाकर, मुल्जिम को सज़ा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस घटना के प्रति भी राज्य सरकार पूर्णतया सजग है। और इसमें जो कोई भी कार्यवाही की जानी है, वह कार्यवाही निश्चित तरीके से की जाएगी, यह मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष**: जवाब आ गया, अब क्या बचा?

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): नहीं, जवाब आगे वाला तो पूछूं, साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि कार्यवाही हो जाएगी। तो कब तक होगी, एक तो यह बता दें? दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि सीकर में जो घटनाएं हुई....(व्यवधान)

**श्री रूपाराम डूडी** (डीडवाना): लड़की ने खुद आकर एफिडेविट दिया है। (व्यवधान) एडीएम साहब के यहां दिया है, मानव आयोग में लाकर दिया है, मानव आयोग वालों ने कहा कि हमने रिपोर्ट भेज दी...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): पहले आपको अलाउ किया है क्या? आपको अलाउ किया है क्या? यह मेरा अधिकार है, मैंने प्रश्न पूछा है.....

**श्री रूपाराम डूडी** (डीडवाना): इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई यहां।

**श्री अध्यक्ष**: आपका जवाब दे रहे हैं। जवाब दे रहे हैं आपका।

**श्री रूपाराम डूडी** (डीडवाना): कोई घटना हुई है तो कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (राज्य मंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय ....

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): मंत्रीजी। मंत्रीजी, आज भी पुलिस....

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (राज्य मंत्री, गृह): माननीय सदस्य ने अपने पूरक प्रश्न के माध्यम से जानकारी चाही, मैंने निवेदन किया कि किसी प्रकार की राज्य में कोई भी घटना हो, हम पूर्णतया सजग हैं। बार-बार मौलासर की घटना का आप जिक्र फरमा रहे हैं, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, अवगत कराना चाहता हूं कि जिन महिला के नाम के साथ में यह बात की जा रही है कि उनके साथ यह घटना हुई है, उन महिला ने स्वयं शपथ पत्र देकर ऐसी किसी घटना से इन्कार किया है। (व्यवधान) फिर भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सदन में उत्तेजना फैलाने का अपना जो प्रयास किया, मैं उस क्रम में पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इतनी गम्भीर है कि एडीजी स्तर के अधिकारी से फिर भी इस प्रकरण के अन्दर, और किसी भी प्रकार का कोई विषय नहीं रहे, इसके लिए भी जानकारी करने की उनको एक जिम्मेवारी दे दी गई है, मैं निवेदन कर रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष**: श्री निर्मल कुमावत। (व्यवधान) चर्चा समाप्त करें, सारा साफ हो गया। सारा साफ ...(व्यवधान) ना।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, सीकर की तो पूछें... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: हो गया सारा क्लियर।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, उस पीड़िता को पुलिस के अफसरों द्वारा डराया जा रहा है, राजनेताओं द्वारा डराया जा रहा है।

**श्री अध्यक्ष**: नहीं, अगले ने एफिडेविट दे दिया। एफिडेविट दे दिया, कुछ नहीं। नहीं।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): उनको धमका कर उनसे एफिडेविट लिखाया गया, अध्यक्ष महोदय।

**प्रश्न संख्या-39**

**श्री अध्यक्ष**: श्री निर्मल कुमावत।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

**प्रश्न संख्या-40**

डा. जसवन्त यादव। (अनुपस्थित)

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

**प्रश्न संख्या-41**

श्री बाबूलाल बैरवा।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह सीकर की जो घटना...(व्यवधान)

**प्रश्न संख्या-42**

**श्री अध्यक्ष**: श्री वासुदेव देवनानी।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

**प्रश्न संख्या-43**

श्री कालीचरण सराफ।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

कर्नल सोनाराम।

**श्री पेमाराम** (धोद): प्रश्न संख्या 42.

**श्री अध्यक्ष**: कर्नल सोनाराम।

**कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): अध्यक्ष महोदय, यह सवाल मैं बहुत अरसे से इंतजार कर रहा था...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: अब आप बैठिये, जवाब आने दीजिये मंत्रीजी का।

**कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): और आज मेरा बड़ा भाग्य है कि आज आया मेरा।

**श्री अध्यक्ष**: आप प्रश्न संख्या बोल करके मंत्रीजी का जवाब आने दें।

## बाड़मेर जिले में खनिज रायल्टी से करवाये गये विकास कार्य

**44. कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में केयर्न इण्डिया लिमिटेड एवं वेदान्ता द्वारा बाड़मेर जिले में पैट्रोलियम भण्डारों का दोहन कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो मंगला, भाग्यम एवं ऐश्वर्या फील्ड से प्रति दिन कितना-कितना आयल का दोहन किया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि पैट्रोलियम दोहन में बढ़ोतरी हुई है तथा पैट्रोलियम दोहन से प्रदेश को रायल्टी के रूप में आय हुई है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में राज्य को कितनी रायल्टी मिली? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्राप्त रायल्टी राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार दोहन क्षेत्र के विकास एवं पर्यावरण संतुलन हेतु व्यय करने का प्रावधान है?

(4) क्या यह भी सही है कि मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल में 18 तेल कुओं में से 16 कुएं विधान सभा क्षेत्र बायतू में हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा प्राप्त रायल्टी में से कितनी राशि बाड़मेर एवं बायतू क्षेत्र के विकास हेतु खर्च की गयी है? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या राज्य सरकार अब तक प्राप्त रायल्टी में से बाड़मेर जिले एवं विशेषकर बायतू क्षेत्र के विकास हेतु राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी, एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उद्योग मंत्री** (श्री राजेन्द्र पारीक): (1) बाड़मेर जिले में पैट्रोलियम भण्डारों के दोहन का कार्य ओ.एन.जी.सी. द्वारा किया जा रहा है। केयर्न

(श्री राजेन्द्र पारीक)

इण्डिया लिमिटेड ओ.एन.जी.सी. के साथ भागीदार है एवं वेदान्ता ग्रुप की केयर्न इण्डिया में सहभागीदारी है। मंगला फील्ड से लगभग 1,50,000 बैरल तथा भाग्यम फील्ड से लगभग 25,000 बैरल प्रति दिन आयल का दोहन किया जा रहा है। ऐश्वर्या फील्ड से वर्तमान में आयल का दोहन नहीं किया जा रहा है।

(2) जी हां। विगत पांच वर्षों में राज्य को खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस (पैट्रोलियम पदार्थ) के दोहन से प्राप्त रायल्टी का विवरण निम्नानुसार है:-

**(करोड़ रुपये में)**

| **वर्ष** | **खनिज तेल** | **प्राकृतिक गैस** | **कुल योग** |
|---|---|---|---|
| 2007-08 | - | 3.98 | 3.98 |
| 2008-09 | - | 3.27 | 3.27 |
| 2009-10 | 100.37 | 3.39 | 103.76 |
| 2010-11 | 1603.47 | 4.52 | 1607.99 |
| 2011-12 | 3410.29 | 8.64 | 3418.93 |

(3) पैट्रोलियम पदार्थों के दोहन से प्राप्त रायल्टी का अंश स्थानीय विकास हेतु व्यय करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(4) मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल में खोदे गये 18 तेल कुए बायतू विधान सभा क्षेत्र में नहीं होकर बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में आते हैं। राज्य सरकार द्वारा रायल्टी में से अंश राशि स्थानीय विकास हेतु व्यय करने बाबत निर्णय लिये जाने पर तदनुसार व्यय किया जाएगा।

(5) पैट्रोलियम पदार्थों के दोहन से प्राप्त रायल्टी का अंश स्थानीय विकास हेतु व्यय करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

**कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर के अन्दर केयर्न एनर्जी और ओएनजीसी जाइंट वेंचर से खनिज का दोहन कर रहे हैं, उसका पांच भाग में जवाब मांगा है। उसमें दो-तीन मेन आयल फील्ड हैं- मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या फील्ड। दो फील्ड में उन्होंने आंकड़े दिये हैं कि पहले 07-08 में क्या था और 2008-09 में क्या था। अभी जो इस साल के आंकड़े दिये हैं 2011-12 के, अभी तक इसमें है 3418 और इस साल के

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

आखिरी तक करीब साढ़े चार-पांच हजार करोड़ सालाना इनकम होगी। इस बारे में मैं पहले भी कहता आया हूं, मैंने कई किताबें पढ़ी हैं, हर देश में फैडरल सिस्टम होता है, प्रदेश सिस्टम होता है, डिस्ट्रिक्ट सिस्टम होता है, जिस एरिया के अन्दर निकलता है, तो उसमें मापदण्ड दिये हुए हैं कि उसके विकास के लिए पैसा खर्च होना चाहिए। अगर आप पिछले चार-पांच साल से देखें तो करीब आठ हजार करोड़ हो गये हैं और अगले मार्च 2003 में दस हजार करोड़ रुपये बाड़मेर जिले में मिले हैं। मैं यह नहीं कहता हूं, यह जो पैसा मिला है, सारा बाड़मेर जिले में मिला है। आज अगर आप पानी की स्थिति देखें, सबसे ज्यादा पचास लिफ्टें हैं बाड़मेर जिले के लिए, एक बाड़मेर लिफ्ट है, एक पोकरण लिफ्ट, एक इधर से उम्मेदसागर....

**श्री अध्यक्ष**: लिफ्ट की बात कर रहे हैं कि माइंस मिनिस्टर से पूछ रहे हैं?

**कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): माइन्स नहीं, बजट की बात कर रहा हूं, साहब। और एक नर्बदा से है। वहां लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है। इसमें मैंने सवाल पूछा है। मैंने कहा है, क्या यह सही है कि प्राप्त रायल्टी राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय मानदण्डों के अनुसार दोहन क्षेत्र के विकास एवं पर्यावरण संतुलन हेतु व्यय करने का प्रावधान है। जवाब आया है, पैट्रोलियम पदार्थों के दोहन से प्राप्त रायल्टी का अंश स्थानीय विकास हेतु व्यय करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। आखिरी पांचवें भाग में लिखा है कि पैट्रोलियम पदार्थों के दोहन से प्राप्त रायल्टी का पैसा स्थानीय विकास हेतु व्यय करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। पांच साल चल रहे हैं मुख्य मंत्रीजी, बहुत अच्छी बात है, आज विराजमान हैं यहां पर, मैंने व्यक्तिगत मुख्य मंत्रीजी से कई बार बात की, मैंने पत्र लिखे, क्योंकि जो मोहनगढ़ से बाड़मेर लिफ्ट आ रही है उसमें मेरे 381 गांव हैं, सारे गांवों में पैसे की वजह से काम नहीं चल रहे हैं। वहां दोहन हो रहा है तो यह नहीं कि मेरे बाड़मेर में बायतू विधान सभा से ही हो रहा है, मेरा सवाल यह है, विचाराधीन की बात कही है, दो जगह कहा है, क्या विचाराधीन है, क्या मुझे बतायेंगे। मेरे ख्याल में यह तो वित्त मंत्रीजी मुख्य मंत्रीजी फैसले करते हैं और वित्त मंत्री ही मुख्य मंत्रीजी हैं तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा अमाउण्ट, आठ-दस हजार करोड़ मिल जाएंगे अगले मार्च 2003 तक, तो अमाउण्ट, वहां इस पानी के लिए, यह तो खुद ने विचाराधीन कहा है, पानी के लिए कितना अंश देंगे या सपोज चारों

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

लिफ्ट के मैं आंकड़े बता रहा हूं, चारों के लिए अगर दें तो करीब एक हजार सौ करोड़ तो चाहिए। बाड़मेर लिफ्ट में थोड़ा-सा काम रहा है अभी सोनिया गांधीजी वहां पधारे थे, उद्‌घाटन हो गया, कुछ बचे हुए काम हैं, दो सौ करोड़ वहां है और छह सौ करोड़ पोकरण लिफ्ट में है और एक है धवा, यह उम्मेद सागर धवा में और एक सौ करोड़ है नर्बदा में। जो दस हजार करोड़ मिलें जायेंगे मार्च तक, उसमें से एक हजार करोड़ दें तो यह सारे के सारे वहां लोगों को पानी मिल जाता है। अभी बाड़मेर में मेरे वहां टैंकर जाते हैं। अभी भी ऐसी ढाणियां हैं, छह-छह किलोमीटर से पानी लाते हैं वहां पर। जो विचाराधीन है, मुख्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, तो मैं यह पूछना चाहता हूं, पहली चीज बजट दें इसके लिए एक हजार करोड़। बजट देने से ही कुछ होना नहीं, इसमें स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पोकरण लिफ्ट के लिए। बालोतरा में जाते हैं तो सभी जगह जाते हैं, बालोतरा में अगर खोल दें तो एक साल के अन्दर बाड़मेर लिफ्ट पूरी हो सकती है। करीब छह सौ गांव होते हैं जिनमें लिफ्ट उसमें से आती है- जैसलमेर और नाचना, पोकरण, बाद में धणियाना, मेरे वहां से हीरे की ढाणी होते हुए बालोतरा, बालोतरा से होते हुए वहां जाती है। बालोतरा में पिछले....

**श्री अध्यक्ष**: आप प्रश्न पूछिये, भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

**कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): नहीं, साहब। पिछली बार अपने घोषणा पत्र में था, कि पोकरण लिफ्ट का पानी पांच साल के अन्दर बालोतरा लेकर आएंगे।

**श्री अध्यक्ष**: आप प्रश्न पूछिये।

**कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): मेरा सवाल यह है, अध्यक्ष महोदय, मौका मिला है, अभी बहुत टाइम पड़ा है आपका, ऐसे ही बीच में पोस्टपोन करना पड़ेगा।

**श्री अध्यक्ष**: टाइम से मतलब नहीं है, आपका टाइम तो सीमित होगा।

**कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): टाइम तो है। मेरा सवाल वही है, क्या मुख्य मंत्रीजी, एक हजार करोड़ देकर अलग से डिवीजन, जैसा मैंने कहा, मैंने सुझाव दिया, एक पोकरण के लिए एक्सईएन खोल दें, बालोतरा में खोल दें या पचपदरा में खोल दें। इसी तरह से एक एक्स ईएन खोल दें नर्बदा नहर और बाड़मेर का बचा हुआ काम का। यहां पर एक्स ईएन खोलें उम्मेदसागर

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

धवां वाला। तो मेरा बड़ा पाइंटेड क्वेश्चन है, बजट जो दस हजार करोड़ अभी तक बाड़मेर में मिला है, ठीक है, यों तो सब जिलों में खर्च करते हैं, अन्तरराष्ट्रीय मानदण्ड हैं कि पैसा देना चाहिए, मैंने कहा है, अब पीछे खर्च हो गया, कहीं भी हो गया, मैं मैट्रो के खिलाफ नहीं हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां बैठे हैं कुछ, मैट्रो जरूरी है, आज दो साल से हो रहा है, आज से तीन साल पहले घोषणा पत्र में दिया था, अगर पैसा दे देते तो सोनिया गांधीजी ने अब जो उद्घाटन किया बाड़मेर लिफ्ट का, बाड़मेर लिफ्ट के साथ-साथ मेरे बायतू के 151 गांव हैं, आज पानी मिल जाता।

**श्री अध्यक्ष**: प्रश्न क्या है आपका?

**कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): मेरा प्रश्न यह है कि क्या एक हजार करोड़ की एलोकेशन देकर अलग से डिवीजन खोलकर, चूंकि दोहन से पैसा मिल रहा है...

**श्री अध्यक्ष**: बैठिए, जवाब आने दीजिए।

**कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): दोहन का जो पैसा विचाराधीन है तो क्या मुख्य मंत्रीजी या मंत्रीजी...

**श्री अध्यक्ष**: आप विराजें, जवाब आने दीजिए।

**कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): मुख्य मंत्रीजी बताएंगे, दोहन से पैसे देकर के अलग एक्स ईएन खोलकर के पानी लोगों को देंगे या नहीं देंगे?

**श्री अध्यक्ष**: विराजें आप, प्रश्न का जवाब आने दीजिए।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने यह महसूस किया है कि जब इतनी बड़ी आय हो रही है तो निश्चित रूप से उन क्षेत्रों का भी जहां से यह रायल्टी मिल रही है, विकास किया जाए। एक कमेटी गठित की, उस कमेटी की रिपोर्ट यह आयी कि 3 प्रतिशत राशि का वितरण किया जाए। फोर्थ फाइनेंस कमीशन से पहले थर्ड फाइनेंस कमीशन ने इस विषय में कोई रिपोर्ट नहीं दी थी। उन्होंने रिपोर्ट दी थी केवल खनिज पर। लेकिन तब यह महसूस किया गया कि जब कमेटी की रिपोर्ट यह आयी है कि तीन प्रतिशत दिया जाए, इसका विभाजन किस तरह से हो। माननीय सीएस स्वयं इसका मानिटर कर रहे हैं। तीन परसेंट का जो फ़ार्मूला कमेटी ने दिया है, एसीएस की कमेटी ने दिया है, उसका वितरण किस तरह से हो, यह भी प्रक्रियाधीन है। खुद मुख्य सचिव इसकी मानिटरिंग कर रहे

(श्री राजेन्द्र पारीक)

हैं। जैसे ही यह तय हो जाता है कि कितना परसेंट इसमें से, क्योंकि पहले तो एक परसेंट दिया जा रहा है और कमेटी की रिपोर्ट यह है कि तीन परसेंट दिया जाए, तो जैसे ही यह तय हो जाएगा एक परसेंट, दो परसेंट या तीन परसेंट, तत्काल जो पैसा मिलेगा, वह सम्बन्धित सभी पंचायत, जिला परिषद और पंचायत स्वयं और पंचायत समिति सबके मध्य वितरित किया जाए, उसका एक फ़ार्मूला बना हुआ है।

**कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये खुद मान रहे हैं कि विचाराधीन है, खुद कहते हैं कि कमेटी है, आज चार साल अपनी सरकार को हो गये हैं और आप जानते हो कि वहां समस्याएं हैं।

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस रायल्टी की बात आज कर रहे हैं, आप स्वयं आंकड़े देखें, प्रारम्भ में सिर्फ 3.7 करोड़ रुपए की आय थी। उसके बाद 3.39 की, 2010-11 में 1600 करोड़ की आय हुई है। यह आय जो बढ़ी है यह धीरे-धीरे बढ़ी है, एक साथ इतनी आय नहीं हुई है। इसलिए एकदम से यह तय नहीं कर पाये कि कितना परसेंट हम देंगे।

**कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): इस साल की कितनी आय हुई, यह बता दीजिए?

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): अब यह निश्चित रूप से आपने फरमाया, यह 3418 करोड़ की आय है।

**कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): मंत्रीजी, 2011-12 में कितनी आय हुई?

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): 3418 करोड़ बता रहा हूं मैं, 3418 करोड़ रुपए की आय हुई है। स्वयं माननीय मुख्य मंत्री महोदय भी इस बात को महसूस करते हैं कि सभी क्षेत्रों का पूरी तरह से विकास हो। पंचायतों को हमने पहले भी दे रखा है। खनिज की एक परसेंट रायल्टी हम सभी पंचायतों को दे रहे हैं- जिला परिषद को, पंचायत समिति को, पंचायत लेवल पर। इसी तरह से हमने महसूस किया कि पैट्रोलियम की भी जो आय हो रही है, उसका भी वितरण किया जाए। एक कमेटी गठित कर दी, कमेटी की रिपोर्ट आ गयी कि तीन परसेंट वितरण किया जाए। अब कमेटी और फोर्थ फाइनेंस कमीशन

(श्री राजेन्द्र पारीक)

इन दोनों को साथ में लेकर खुद सी.एस. इसकी मानिटरिंग कर रहे हैं और जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी, उसका जो भी वितरण होगा, तदनुसार कर दिया जाएगा।

**श्री अध्यक्ष**: श्री ग्यारसाराम कोली ।

**कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक-दो सवाल पूछ लेने दीजिए। इन्होंने यह कहा है कि कमेटी बनाई है। चार साल से इसका दोहन हो रहा है, मैं यह नहीं कहता कि मैंने सुझाव दिया है पानी के लिए दें। मैं जानता हूं। कि यह इनके हाथ की बात नहीं है। मैं मुख्य मंत्रीजी से हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप कुछ घोषणा करें। जैसे आपने कल कहा पानी के अन्दर बीस हजार का, मैं पढ़ रहा हूं, सब अख़बारों में आया है। आप स्वयं क्यों नहीं कहते कि मैं घोषणा करता हूं कि ये नहरें बहुत जरूरी हैं?

**श्री अध्यक्ष**: चर्चा समाप्त करें।

**प्रश्न संख्या-45**

श्री ग्यारसाराम कोली।

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

**कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): उसमें आप यह कह दें कि मैं दे दूंगा ...(व्यवधान)

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, चुनावी वर्ष है, सी.एम. साहब घोषणा कर दें तो इनकी फोटो छप जाएगी, बात रह जाएगी।

**कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): इसमें ऐसी क्या बात है? मैं पूछ नहीं सकता हूं क्या?

**श्री अध्यक्ष**: आप विराजें।

**कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): वह तो उनका ...(व्यवधान) वह जवाब दें या नहीं दें, मेरा...

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): सी.एम. साहब का मैसेज कैसे जाएगा?

**श्री अध्यक्ष**: विराजिए, श्री भगवान सहाय सैनी।

## चौमूं (जयपुर) में सीवरेज योजना हेतु स्वीकृत राशि

**46. श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार चौमूं कस्बे में सीवरेज लाइन डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि पूर्व में चौमूं में सीवरेज योजना स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो कब?

(3) क्या चौमूं के लिए सीवरेज योजना के लिए कोई वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी? यदि हां, तो कब? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) चौमूं में सीवरेज योजना पर कितना खर्चा आएगा?

**कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): यह तो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। यह ठीक नहीं है, अध्यक्ष महोदय, मेरे को आप प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हो। मेरे एक सवाल का जवाब तो दें। यह कह रहे हैं कि विचाराधीन है, कुछ तो उन्होंने कमेटी बनाई है आज। पांच साल से यह रायल्टी आ रही है, पांच साल बाद कमेटी बनाते हैं। इन्होंने यह मान लिया है कि इसका हिसाब मिलना चाहिए। यह किसमें देंगे? कहां देंगे?

**श्री राजेन्द्र पारीक** (उद्योग मंत्री): इसी साल रेवेन्यू बढ़ी है, कमेटी बना दी है और कमेटी का गठन हो गया, कमेटी की रिपोर्ट आ गयी। वित्त विभाग और फोर्थ फाइनेंस कमीशन इस पर निर्णय कर देंगे, तदनुसार इसका वितरण कर देंगे।

**कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): मैं इसी सरकार का हूं, मैं बोलता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसलिए बोलता हूं कि कोई जवाब ही नहीं देते हैं। यह मेरा अधिकार है।

**श्री अध्यक्ष**: आपका ही तो जवाब दिलाया है।

**कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): मैं मांग रहा हूं, मेरे गांवों में पानी नहीं है, वे प्यासे मर रहे हैं। (व्यवधान) मेरे सवाल का जवाब दिलवा दीजिए।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): सीएम साहब से जवाब दिलवा दीजिए साहब, अख़बार में खबर छप जाएगी, नहीं तो खबर नहीं छपेगी। अख़बार में नहीं छपेगी तो फिर इसका फायदा क्या रहेगा?

**कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): यह विचाराधीन है, क्या विचाराधीन है, कुछ तो देंगे? मैंने पाइंटेड क्वेश्चन पूछा है कि मेरे वहां पर अलग से पैसे दे दें ताकि पानी मिल जाए वहां पर। मैं आपसे सही कह रहा हूं कि वहां की नहरों में पानी नहीं आया तो बाड़मेर ज़िले में बहुत नुकसान होगा कांग्रेस को। मैं आपको सही कह रहा हूं। यहां पर जो विधायक बैठे हैं, कोई विधायक खड़ा होकर कह दे कि नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। किसी की हिम्मत है तो बोलो। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: विराजें, विराजें।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): ...(व्यवधान) रायल्टी का पैसा वहां की पंचायतों के विकास के लिए दिया है।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): ...(व्यवधान) दो हजार करोड़ रुपये राजस्थान की सरकार ने अकेले बाड़मेर ज़िले को दिये हैं।

**श्री अध्यक्ष**: आप विराजें, माननीय सदस्य।

**श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर): कोई पैसे की कमी नहीं है, सबसे ज्यादा पैसे दिये हैं। बायतू एरिए में सबसे ज्यादा पैसे दिये हैं। (व्यवधान)

**कर्नल सोनाराम चौधरी** (बायतू): सब डिवीजन खोलना चाहिए बायतू में ...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: आप विराजें, माननीय सदस्य, आपका जवाब दे दिया है।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, चुनावी साल को देखते हुए मुख्य मंत्रीजी दो मिनट जवाब दे दें तो अख़बार के अन्दर बड़ी खबर आ जाएगी। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष**: नगरीय विकास मंत्रीजी।

**नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री** (श्री शांती कुमार धारीवाल): (1) जी नहीं। नेहरू अरबन रिन्युअल मिशन के मापदण्डों के अनुसार सीवर लाइन हेतु जलापूर्ति का स्तर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन होना चाहिए। वर्तमान में चौमूं क़स्बे में पेयजल का सर्विस लेवल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 50 से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से उपलब्ध कराया जा रहा है। अत: वर्तमान में चौमूं कस्बे में सीवर योजना स्वीकृत करना प्रस्तावित नहीं है।

(2) चौमूं कस्बे में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई सीवरेज योजना स्वीकृत नहीं की गयी थी।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

(3) चौमूं कस्बे की सीवरेज योजना के लिए पी.डब्ल्यू.सी. मीटिंग 1/2008-09 एजेण्डा संख्या एस-29 दिनांक 2.05.2008 के अनुसार कंसलटेंसी के कार्य हेतु राशि रुपए 10.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रांक डी-60 दिनांक 17.05.2008 द्वारा जारी की गयी थी, जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। किन्तु सीवर के कार्य हेतु कोई वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 13.09.2010 को आवास विकास लिमिटेड से प्राप्त प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 चौमूं कस्बे में सीवर लाइन बिछाने की अनुमानित लागत 37.19 करोड़ रुपए की आंकी गयी है। इसके अनुसार 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर मानते हुए वर्तमान में इसकी अनुमानित लागत राशि रुपए 45.00 करोड़ होती है। किन्तु उल्लेखनीय है कि उक्त परियोजना तकनीकी रूप से फीजिबल नहीं है।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

**श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि जलापूर्ति का स्तर 135 लीटर प्रति व्यक्ति होना चाहिए। यह बाध्यता केवल चौमूं के लिए ही है या दूसरे अन्य शहरों के लिए भी है? मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जयपुर व राजस्थान के अन्य कस्बों में जहां सीवर लाइन चालू है, वहां की जलापूर्ति का स्तर क्या है? दूसरा क्वेश्चन यह है कि पीएचईडी जलापूर्ति को क्यों नहीं बढ़ा रही है चौमूं में? जब चार साल पहले यह निश्चित हो गया कि 135 लीटर प्रति व्यक्ति पर ही सीवर लाइन सैंक्शन होगी तो 50 से 55 ही क्यों है? पीएचईडी 135 लीटर प्रति व्यक्ति क्यों नहीं उपलब्ध करवा रही है? तीसरा मेरा क्वेश्चन है, आपने यह जवाब दिया कि परियोजना तकनीकी रूप से फीजिबल नहीं है, कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, यह स्पष्ट करने की कृपा करें। चौथा मेरा क्वेश्चन है कि जलापूर्ति की सशर्त योजना को क्या स्वीकृत कराने की कृपा करेंगे?

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 2008 में पीएचईडी के द्वारा चौमूं कस्बे के लिए एक 18 करोड़ रुपए की पेयजल योजना बनायी गयी और वह पेयजल योजना जिस वक्त बनी उस वक्त यह भी सोच आया कि बार-बार सड़कें नहीं खुदें, इसलिए जहां-जहां पर भी पाइप लाइन डाली जाएगी पेयजल योजना के लिए, जलप्रदाय

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

योजना के लिए तो वहां पर सीवर लाइन भी डाल दी जाएगी। उसका नतीजा यह हुआ कि उस वक्त एक कंसल्टेंट नियुक्त कर दिया गया और ए एंड एफ जारी कर दी गयी दस लाख रुपये की कि कंसल्टेंसी करके इसकी एक डीपीआर तैयार करवायी जाए। वो डीपीआर तैयार हुई 2010 में आवास विकास लिमिटेड के द्वारा। आवास विकास लिमिटेड ने यह माना कि सीवरेज लाइन डालने के लिए वांछित पेयजल आपूर्ति 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन होना जरूरी है। डीपीआर में यह पाया गया कि वहां पर पेयजल आपूर्ति प्रति व्यक्ति प्रति दिन सिर्फ 55 लीटर के करीब बैठती है इसलिए सीवरेज योजना लागू नहीं की जा सकती। असली बात यह थी कि 2008 के दिनों में चुनाव होने वाले थे और कई राजनीतिक दल इस प्रकार का काम करते हैं कि चुनाव के टाइम पर कोई भी योजना बता दी कि हमने शुरू कर दी, यह ठीक उसी तरीके की बात थी कि चौमूं में पेयजल योजना भी दे दी जाएगी और सीवरेज भी दे दी जाएगी जबकि यह फीजिबल ही नहीं था। जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्युअल मिशन के जो मापदंड हैं उनमें साफ लिखा है कि 135 लीटर का वांछित लेवल पेयजल आपूर्ति का प्रति व्यक्ति प्रति दिन होना आवश्यक है तभी जाकर वो योजना जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्युअल मिशन में शामिल की जा सकती है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि चूंकि लेवल कम है वांछित लेवल कम है इसलिए वहां पर सीवरेज योजना लागू न तो की जा सकती थी और न आज की जा सकती है।

**श्री अध्यक्ष**: सदन की कार्यवाही पन्द्रह मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 11:52 बजे पन्द्रह मिनट के लिए स्थगित हुई)**

**(12.07 बजे)**

**पुन: समवेत होने पर**

**(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)**

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

**श्री उपाध्यक्ष**: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(श्री उपाध्यक्ष)

1. श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से नागौर जिले में तेजी से बढ़ रहे अपराधों के सम्बन्ध में।
2. श्री पेमाराम, सदस्य की ओर से केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड सीकर द्वारा काश्तकारों के हितों के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।
3. श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर जिले की कानून व्यवस्था पूर्णत: बदहाल होने के सम्बन्ध में।
4. श्री हरिसिंह रावत एवं एक अन्य सदस्य की ओर से सम्पूर्ण राज्य में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति काफी बिगड़ जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5. श्री शिवजीराम मीणा एवं एक अन्य सदस्य की ओर से जहाजपुर तहसील के खारे एवं फ्लोराइड युक्त गांवों/मजरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।
6. श्री राजपाल सिंह शेखावत एवं 8 अन्य सदस्यों की ओर से जयपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही दयनीय होने के सम्बन्ध में।
7. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं 3 अन्य सदस्यों की ओर से कोटा जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही दयनीय होने के सम्बन्ध में।
8. डा. गोपाल जोशी, सदस्य की ओर से बीकानेर व अन्य स्थानों पर प्रति दिन चोरियां, हत्या, दिन-दहाड़े चेन पुलिंग की घटनाओं में वृद्धि होने के सम्बन्ध में।
9. श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से अलवर जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के सम्बन्ध में।
10. डा. दिगम्बर सिंह, सदस्य की ओर से भरतपुर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रति दिन बदतर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
11. श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से राज्य में नर्सिंग कालेज खोलने हेतु मांगे गये सभी आवेदन पत्रों की एसीबी से जांच करवा कर मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।
12. श्रीमती अनिता भदेल एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से अजमेर में कानून व्यवस्था की स्थिति दयनीय होने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

13. श्री रविन्द्र सिंह बोहरा, सदस्य की ओर से माह जून में राजाखेड़ा व धौलपुर के किसानों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट में की जा रही मीटिंग के समय पुलिस द्वारा अकारण आंसू गैस छोड़े जाने की घटना के सम्बन्ध में।

14. श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य की ओर से जयपुर शहर एवं राज्य के विभिन्न स्थानों पर सरे राह लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, चेन स्नेचिंग, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

15. श्री रमेश चन्द, सदस्य की ओर से राजस्थान में कानून व्यवस्था की समस्या के सम्बन्ध में।

16. श्री ग्यारसाराम कोली, सदस्य की ओर से भरतपुर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति दयनीय होने के सम्बन्ध में।

17. श्री अब्दुल सगीर खां एवं तीन सदस्यों की ओर से जिला धौलपुर में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति ठप होने के सम्बन्ध में।

18. श्री अशोक परनामी एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जयपुर शहर में सरे राह लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, चेन स्नेचिंग, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं में वृद्धि होने के होने के सम्बन्ध में।

19. श्री मोहनलाल गुप्ता एवं एक अन्य सदस्य की ओर से जयपुर शहर एवं राज्य के विभिन्न स्थानों पर सरे राह लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, चेन, स्नेचिंग, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

20. श्री अनिल जैन, सदस्य की ओर से सम्पूर्ण राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बिगड़ जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

21. श्री कैलाश चन्द भंसाली एवं 7 अन्य सदस्यों की ओर से जोधपुर शहर में 29 सितम्बर, 2012 को जैन समाज के मौन अहिंसा आन्दोलनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

22. श्री भवानी सिंह राजावत एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से कोटा में भारत बन्द के दौरान पुलिस द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर अकारण लाठीचार्ज करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

23. श्री जगसीराम कोली, सदस्य की ओर से राज्य में विगत 3 वर्षों में अलग-अलग तरीके से विद्युत दरों में उत्तरोत्तर वृद्धि करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

24. श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से राज्य में हत्या, बलात्कार, डकैती, चोरी, चेन स्नेचिंग इत्यादि के अपराध लगातार बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

25. श्री अमराराम, सदस्य की ओर से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

26. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से बाली, देसूरी व रानी पंचायत समितियों के 225 गांवों में पेयजल की किल्लत के सम्बन्ध में।

27. श्री पवन दुग्गल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर क्षेत्र में आई.जी.एन.पी. के सिंचाई पानी का रैगुलेशन नवम्बर से शुरू करने से नरमा, कपास की फसल के खराब होने की सम्भावना के सम्बन्ध में।

28. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से राज्य में खुदरा व्यापार के क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति दिये जाने की नीति स्पष्ट नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री पुष्पेन्द्र सिंह, श्री पवन दुग्गल एवं श्री ओम बिरला को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

## नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना के सांजू उप स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने

(श्री उपाध्यक्ष)

एवं हरसौर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

2. श्रीमती अनीता सिंह, सदस्य की ओर से भरतपुर जिले में 6 माह में बढ़ी लूट, बैंक डकैती की घटनाओं के ग्राफ के सम्बन्ध में।

3. श्री मानसिंह, सदस्य की ओर से परबतसर इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर में स्थापित उद्योगों की समस्या का निराकरण करने के सम्बन्ध में।

4. श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से नगर परिषद श्रीगंगानगर में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

5. डा. विश्वनाथ मेघवाल, सदस्य की ओर से तहसील छतरगढ़ के आरडी 465 (2 जीएम राणेर) में दिनांक 17.2.2012 को किशन मेघवाल हत्याकाण्ड का खुलासा कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के सम्बन्ध में।

6. श्री बाबूलाल बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कठूमर (अलवर) में नये विद्युत कनेक्शन जारी करने की पत्रावलियां लम्बित होने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

7. श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से जयपुर आगार की जयपुर से कुचामन संचालित दो बसों के मार्ग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में।

8. श्री हरि सिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम में विद्यार्थी मित्रों के साथ हो रहे अन्याय को रोकते हुए उनकी समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

9. श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से जिला पाली के थाना जैतारण में 20 जून, 2012 को रात्रि 9.30 बजे कांग्रेसी नेता दुर्गाराम की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में।

10. श्री अर्जुन लाल, सदस्य की ओर से दिनांक 07.10.2012 को बिलाड़ा नगरपालिका के वार्ड नं. 20 में स्थित भंवरिया बेरा पर हुए आकस्मिक दर्दनाक हादसे में मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में।

11. श्री अनिल जैन, सदस्य की ओर से झालावाड़ जिले की छापी एवं गुलेण्डी पेयजल परियोजना पर प्रस्तावित 33 के.वी. सब ग्रिड-स्टेशन हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

12. श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से अजमेर जिले के 22 हजार परिवारों एवं उन पर आश्रित करीब एक लाख लोगों का दी अजमेर अरबन को-आपरेटिव बैंक लि. केसरगंज द्वारा शोषण करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

माननीय सदस्य श्री पुष्पेन्द्र सिंह। माननीय सदस्य श्री पुष्पेन्द्र सिंह (अनुपस्थित) ।

श्री पवन दुग्गल।

## स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

### इन्दिरा गांधी नहर के सिंचाई का रैगुलेशन शुरू करने में विलम्ब

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ और गंगानगर पूरी तरह खेती पर आधारित जिले हैं। वर्तमान के अन्दर आज पाण्डेज की जो स्थिति है वह बेहतर है, 1400 की भराव क्षमता है और 1387 पानी उसके अन्दर आ चुका है, 10 फीट सेफ्टी के नाम से खाली रखा जाता है। इतना पानी होने के बावजूद भी वर्तमान में राज्य सरकार की गलत नीतियों की वजह से हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में जहां लाखों हैक्टेयर के अन्दर आज नरमा और कपास की फसल अपने पकाव पर है, वहीं रैगुलेशन आज लागू किया गया है। जिस रैगुलेशन को लेकर सरकार आई है, उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर ताज्जुब होगा, विगत दो दशक का भी अवलोकन करें तो भी कभी ऐसा नहीं हुआ, एक नवम्बर से रैगुलेशन जारी करने का सरकार प्रस्ताव लेकर आयी है। उपाध्यक्ष महोदय, एक नवम्बर से किसान के खेतों में सिंचाई पानी सरकार देगी तो, उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद किसान हैं, महसूस कर सकते हैं, कि नवम्बर के सैकिण्ड सप्ताह के अन्दर किसी भी सूरत में सरसों का बीजान नहीं हो सकता। चूंकि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में सरसों और गेहूं का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा है, वर्तमान के अन्दर जिस प्रकार से रैगुलेशन सरकार चला रही है, वह रैगुलेशन तीन में से एक ग्रुप चल रहा है जिसमें किसान को पानी 25

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

दिन से ज्यादा समय पर लगता है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसान के खेत में पानी होने के बावजूद भी राज्य सरकार की यह नीति रही तो इसका नुकसान किसान को भी है, राजस्थान सरकार के रेवेन्यू को भी इसका नुकसान हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि इस रैगुलेशन को चेंज किया जाए। अक्टूबर-नवम्बर माह के अन्दर इंदिरा गांधी प्रथम चरण की परियोजना में सिंचाई पानी चार समूह बनाकर दो समूह बराबर नहीं चलाया जाता तो किसान, नरमा कपास पकाव पर है, अगर यह पानी उसमें लगाएंगा तो, उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी सूरत में सरसों की फसल का समय पर बीजान नहीं हो पाएगा। अगर किसान सरसों की फसल का बीजान करने की कोशिश करेगा तो उसके हाथ से पकी पकाई नरमा-कपास की फसल उजड़ जाएगी। इसके साथ दुःख की बात यह है कि आज ही नहीं, सरकार ने दिसम्बर के अन्दर, जनवरी, फरवरी लगातार, तीनों महीनो में तीन में से एक ग्रुप चलाने का प्रस्ताव सरकार लेकर आयी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, वर्तमान में अक्टूबर के अन्दर चार में से दो समूह लगातार चलाने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी, जब वहां के किसान को पानी नहीं मिला तो बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था और आठ किसानों ने जान दे दी थी, उस इलाके के किसानों ने। आज वही किसान इस सरकार से वैसे ही टकराने की हालत के अन्दर आ चुके हैं। किसान के पास संघर्ष के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम उम्मीद करते हैं, इतना पानी होने के बावजूद आखिर क्या जरूरत पड़ी है सरकार को कि नवम्बर के अन्दर यह रैगुलेशन घोषित करे। पिछले दो दशक का रिकार्ड है, मंत्रीजी जवाब दें तब बताएंगे, कभी भी नवम्बर में रैगुलेशन जारी नहीं होता। वर्तमान में रैगुलेशन को तुरन्त प्रभाव से लागू करें, चार में से दो समूह बनाएं। एक पानी शीघ्र किसान को दिया जाए ताकि वह समय पर नरमा और कपास को बचाकर सरसों का बीजान कर सके। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, किसान नि:सन्देह सड़कों पर आएगा। दुबारा फिर वैसी ही हालत होगी घड़साना और रावला की, जो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के राज में हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, सीधी-सी बात है इसके अन्दर कि पानी है डेम के अन्दर, मात्र 10 पानी कम है और वह भी सेफ्टी के नाम से कम करते हैं। मेरा दावा है कि इससे ज्यादा पानी कभी हो ही नहीं सकता। 1387 पानी होने के बावजूद भी

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

अगर किसान की फसल समय पर बीजान और पकान नहीं होती तो फिर तीन जिलों का किसान कहां जाएगा? वह अपने भविष्य को लेकर क्या करेगा? इसलिए आपके माध्यम से अनुरोध है कि मंत्रीजी से आप जवाब दिलाएं। चार में से दो ग्रुप तुरन्त प्रभाव से चलाने के आदेश दें ताकि समय पर बीजान हो। हां, मंत्रीजी यह और बताए कि नवम्बर के सैकिण्ड वीक में क्या उस इलाके के अन्दर सरसों का बीजान हो सकता है।

अगर नहीं हो सकता है तो पानी है, पानी चलाओ। हम उम्मीद करेंगे कि किसान को अभी चार में से दो समय चलाने के आपके द्वारा मंत्रीजी आदेश फर्माएंगे, किसान को बचाएंगे, समय पर फसल उगाएंगे ताकि किसान की फसल बच सके। दिसम्बर के बाद में जनवरी-फरवरी के रैगुलेशन पर भी चार में से दो समय चलाने के बारे में आप मंत्रीजी से जवाब दिलवाएंगे, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष**: धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ओम बिरला।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार राजस्थान में कम पानी से पैदा होने वाली फसल सरसों नहीं बीजी जाएगी। राजस्थान नहर राजस्थान का सबसे बड़ा प्रोजैक्ट है और सरसों वह है जो सबसे कम पानी में होती है। अगर अक्टूबर में वह बिजाई नहीं होगी तो राजस्थान के हिस्से का पानी जो पोंग डैम में है, मंत्रीजी, हम तो आपसे निवेदन कर सकते हैं कि आज तक भी जब से राजस्थान कैनाल शुरू हुई है तब से कभी भी नवम्बर में रैगुलेशन लागू नहीं किया गया। राजस्थान में पानी की वैसे ही कमी है और वे फसलें जो...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: पवनजी दुग्गल ने सब बात बता दी।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): नहीं, बता दी, लेकिन आपका संरक्षण चाहेंगे। मंत्रीजी पानी होते हुए अगर फसल को जलाना चाहते हैं, और सरसों नहीं बीजी जाएगी तो यह न केवल किसान के लिये बल्कि राजस्थान की सरकार के लिये भी, राजस्थान की जनता के लिये भी सबसे दु:खदायी होगा। हम चाहते हैं कि संवेदनशीलता अगर सरकार में है तो मंत्रीजी इस बात से इंश्योर करें। राजस्थान नहर का किसान आज इस चिन्ता में डूबा हुआ है कि उसकी कपास की फसल नष्ट होगी, सरसों नहीं बीजी जाएगी।

**श्री उपाध्यक्ष**: अब समाप्त करें, प्लीज।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): तो गेहूं पूरा नहीं हो सकता है। इसलिये मंत्रीजी से हमारा निवेदन है कि निश्चित रूप से इस पर पुनर्विचार करके किसानों के हित में और राजस्थान के हित में इस रैगुलेशन को बदलकर कपास को पकाने का काम करें और सरसों का बीजान कराने की पर्याप्त व्यवस्था कराएं।

**श्री उपाध्यक्ष**: विराजिये। विषय मंत्रीजी के ध्यान में आ गया। प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। माननीय श्री अजय सिंह। माननीय श्री अजय सिंह-अनुपस्थित।

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आप जवाब दिलवा दें। दो ही मिनट का काम है, उपाध्यक्ष महोदय। आपसे हमें संरक्षण की बड़ी आवश्यकता है।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्रीमती अनीता सिंह। माननीय सदस्य श्रीमती अनीता सिंह-अनुपस्थित।

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आज लास्ट दिन विधान सभा चल रही है, अगर आज ही जवाब नहीं देंगे तो कब देंगे? इनके अधिकारियों ने तो वैसे ही भट्ठा बैठा दिया है इसलिये आपसे संरक्षण चाहते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री मानसिंह। श्री मानसिंह-अनुपस्थित। (व्यवधान) ध्यान में आ गया।

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): आप जवाब दिलवा दीजिए।

**श्री उपाध्यक्ष**: आपकी बात ध्यान में आ गयी।

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): मंत्रीजी, एक पाली के लिये अलग से कह रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री राधेश्याम गंगानगर। श्री राधेश्याम गंगानगर-अनुपस्थित। डा. विश्वनाथ मेघवाल। डा. विश्वनाथ मेघवाल-अनुपस्थित।

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): लाखों हैक्टेयर में नरमा किसान बरबाद हो रहे हैं। सरसों का बीजान नहीं होगा। ये कोई नहीं हैं, उपाध्यक्ष महोदय, जिनका आप नाम ले रहे हैं। जो बोल रहे हैं आप...

**श्री उपाध्यक्ष**: आप विराजें। केवल अब मेरी बात लिखी जा रही है। आपका नहीं हो रहा है।

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री बाबूलाल बैरवा। श्री बाबूलाल बैरवा-अनुपस्थित।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): ×××

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री निर्मल कुमावत। श्री निर्मल कुमावत-अनुपस्थित। (व्यवधान) श्री हरिसिंह रावत। श्री हरिसिंह रावत-अनुपस्थित। श्री केसाराम चौधरी। श्री केसाराम चौधरी-अनुपस्थित।

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: आप विराजिये। आप विराजिये। एक मिनट, विराजिये आप। आपको कुछ कहना तो नहीं है, मंत्रीजी?

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: आप बैठिये, एक मिनट।

**श्री हेमाराम चौधरी** (राजस्व मंत्री): यह बात पहले ही ध्यान में लाई जा चुकी है और मैंने अधिकारियों से बात भी की है। पानी की उपलब्धता और किसानों को फसल में कम पानी लगे, इसके बारे में पहले से मेरे ध्यान में है, हम इस पर विचार कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: धन्यवाद। माननीय श्री अर्जुनलाल। माननीय श्री अर्जुनलाल-अनुपस्थित। श्री अनिल जैन। माननीय सदस्य श्री अनिल जैन-अनुपस्थित। माननीय सदस्य श्रीमती अनिता भदेल। श्रीमती अनिता भदेल-अनुपस्थित।

पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री पेमाराम।

# पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

## ढाणियों में विद्युत कनेक्शन

**श्री पेमाराम** (धोद): उपाध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान) सवाल पूल का नहीं है और सवाल हंसने का भी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, एक ऐसा मुद्दा आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। (व्यवधान) नहीं, आपको भी सवाल पर बोलना पड़ेगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, आप थोड़ा-सा इधर बोलें।

**श्री पेमाराम** (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में जब से इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ, गांवों में

(श्री पेमाराम)

सरकार ने योजना बनाकर बिजली देना शुरू किया। जो गांवों में, ढाणियों में आवास करने वाले लोग हैं उन्हें घरेलू कनेक्शन देने के लिये योजनाएं बनाईं। लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, आज ये गैर हाजिर हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ठीक एक साल पहले, जाने के एक साल पहले गांवों में, ढाणियों में आवास करने वाले जो लोग हैं उनके घरेलू विद्युत कनेक्शन बंद कर दिये। आज चार साल होने को जा रहे हैं, हमारे राजस्थान में गांधीवादी, संवेदनशील मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब की सरकार है। चार बरस ये हो गये, एक बरस वह हो गया, पांच साल से ढाणियों में आवास करने वालों का विद्युत कनेक्शन बंद है। उपाध्यक्ष महोदय, आजाद भारत में यदि कोई अपनी झोंपड़ी में उजाला करने के लिये विद्युत कनेक्शन मांगता है और कोई भी सरकार विद्युत कनेक्शन नहीं देती है, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई अन्याय जनता के साथ नहीं हो सकता है। यह सरकार की जिम्मेदारी है। यह कौनसा कानून आ गया कि जयपुर में घरेलू कनेक्शन मांगेगा, उसको मिलेगा, शहरों में घरेलू कनेक्शन मांगेगा उसको मिलेगा। हम गांवों में बसने वाले लोगों ने क्या गुनाह किया है, क्या पाप किया है? या तो सरकार हमें राजस्थान का नागरिक नहीं मानती, हमें कोई दूसरे देश का, पाकिस्तान का नागरिक मानती है। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, गत बजट सत्र में यह मुद्दा सदन में आया था। माननीय मंत्री महोदय यहां पर विराजे हुए हैं, गत सत्र में राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री की हैसियत से मंत्री महोदय ने सदन को आश्वासन दिया था कि जो ग्रामीण इलाके में, ढाणियों में आवास करने वाले लोग हैं, सौ से कम आबादी के लोग हैं, उन्हें विद्युत कनेक्शन सरकार देगी और आदेश जारी करेगी। इनके आदेश के मुताबिक अजमेर विद्युत वितरण कम्पनी ने एक आदेश क्रमांक 578, दिनांक 31.05.2012 जारी किया। उपाध्यक्ष महोदय, उस आदेश की वजह से एक-एक उपभोक्ता ने 15-15 सौ रुपये खर्च किये, पत्रावलियां लगाईं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आदेश होने के बाद अकेले सीकर जिले में 26455 लोगों ने विद्युत कनेक्शन लेने के लिये आवेदन किया, झुंझुनूं जिले में 13190 लोगों ने आवेदन किया। नागौर जिले में अजमेर विद्युत वितरण कम्पनी में आता है, 4255 लोगों ने। तीन जिलों का आंकड़ा है, 43900 लोगों ने अकेले अजमेर कम्पनी में। इसी तरह से चूरू में 1447 लोगों ने। मैं समझता हूं कि पूरे राजस्थान के आंकड़े देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लाखों लोगों ने

(श्री पेमाराम)

अपने घरों में बिजली का घरेलू कनेक्शन लेने के लिये इनके आदेश से पत्रावलियां जमा कराईं। ये बिजली का कनेक्शन देने के बजाय उलटा कर रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय। हमने पत्रावलियां जमा करा दीं, रसीद ले ली, 1500 रुपये खर्च कर दिये, अब इनके अधिकारियों को इन्होंने टार्गेट दे दिया। बोला, गांवों में जो लोग बसते हैं उनसे लूट-खसोट करो, सरकारी आदेश से। इंजीनियरों को आदेश दे दिया, बी.सी.आर. भरो। बी.सी.आर. भरने के लिये कहां जा रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, पत्रावलियां इनके दफ्तर में जिन किसानों ने जमा करा दीं, ढाणियों में आवास करने वाले लोगों ने जमा करा दीं, उनकी ढाणी में चाहे वहां बिजली के तार हैं कि नहीं हैं, तार आधा किलोमीटर दूर है, झूठी बी.सी.आर. भरते हैं। लिफाफा एक-एक उपभोक्ता के पास, किसी के पास दस हजार का, किसी के पास 50 हजार का, इस तरह से लिफ़ाफ़ा भेजकर लूट-खसोट मचाना शुरू कर दिया।

**श्री उपाध्यक्ष**: समाप्त करें।

**श्री पेमाराम** (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा संवेदनशील, लाखों लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि क्या गुनाह कर दिया? हम गांवों में बसते हैं, कोई पाप तो नहीं किया, कोई अन्याय तो नहीं किया। हम भी राजस्थान के नागरिक हैं। ढाणियों में रहने वाले राजस्थान के नागरिक हैं। यदि वह अपनी ढाणी में उजाला करने के लिये, एक बल्ब चासने के लिये सरकार से फरियाद करता है कि बिजली का कनेक्शन दो तो मैं समझता हूं कि कोई गुनाह नहीं है। सरकार के मंत्री महोदय ने इसी सदन में यह आश्वासन दिया था कि सरकार आदेश निकालेगी, बिजली के कनेक्शन जारी करेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच महीने हो गये, पांच महीने पहले से पत्रावलियां इनके कार्यालय में जमा हैं, एक का भी डिमांड नोटिस जारी नहीं किया। एक भी कनेक्शन जारी नहीं किया।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, आप उनकी बात सुनिये। ऊर्जा मंत्रीजी। डाक्टर साहब, आप उनकी बात सुनिये। जवाब देना है या नहीं देना है, वह आपका विषय है। (व्यवधान) आप बैठिये, अमरारामजी। उनकी बात आने दो।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): मण्डेलियाजी डिस्टर्ब कर रहे हैं, मण्डेलियाजी को सीट पर भेजो।

**श्री उपाध्यक्ष**: हां, मण्डेलिया साहब। थोड़ा इनसे सम्बन्धित मैटर है। (व्यवधान) कृपया अपनी सीट पर पधारिए। अपने आसन पर जाइये। (व्यवधान)

**श्री पेमाराम** (धोद): नहीं, इन्होंने तो एक साल पहले बंद किया था लेकिन आपकी सरकार के आने के बाद चार वर्ष हो गये, चार साल, क्या गुनाह किया? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: अब आप समाप्त करें।

**श्री पेमाराम** (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, या तो संवेदनशील सरकार यह कहे कि ढाणियों में आवास करने वाले लोगों का गुनाह यह है कि वे गांवों में आवास करते हैं। उन्हें राजस्थान का नागरिक नहीं पाकिस्तान का नागरिक समझते हैं। या तो मना करे या फिर कनेक्शन देने के लिए लाखों पत्रावलियां जो जमा हैं, एक-एक उपभोक्ता ने 1500-1500 रुपये खर्च करके पत्रावलियां जमा करवायी हैं, उनको डिमांड नोटिस जारी करवाए। आज की तारीख में नहीं तो दीपावली आ रही है, दीपावली पर तो उजाला करवा दो। 1947 में देश आजाद हुआ उसके बाद आज भी चिमनी के चांदने की बात करें। सरकार या तो यह कहे कि हम चिमनी के चांदने में ले जाना चाहते हैं या सरकार यह कहे कि हम विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। गांवों का विकास करना चाहते हैं तो ढाणियों में आवास करने वाले लोगों की जो जमा पत्रावलियां हैं, उनके बारे में मंत्रीजी यह कहें कि हम कनेक्शन जारी करेंगे और इस तारीख तक करेंगे। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: आप विराजिए, विराजिए। मंत्रीजी को कुछ कहना नहीं है?

**श्री पेमाराम** (धोद): मंत्री महोदय।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांवों के लोग हैं ये बहुत संवेदनशील हैं। इन्होंने अपने डिपार्टमेंट में करके पांच का ग्रुप बनाकर 3500 में कनेक्शन की घोषणा की, इसके लिए तो वे साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन पांच महीने के बाद एक भी कनेक्शन जारी नहीं हो, मंत्रीजी यह तो स्पष्ट करें। आज कम्प्यूटर का युग है, जो गरीब से गरीब है, वन-बाबरी जिसका कोई ठिकाना नहीं है, उसके पास भी मोबाइल है, चार्ज करने के लिए जब वह पड़ोसी के पास जाता है तो उससे दस रुपया एक दिन चार्ज करने का लेता है। दूसरी मार यह है कि उन्होंने फाइल भर दी, वे कनेक्शन मांग रहे हैं।

(श्री अमराराम)

वे लुट रहे हैं। मंत्रीजी बताएं कि उनको किस तरह से फेज प्रोग्राम में देंगे या नहीं देंगे, कम से कम इस बात के लिए तो लोगों को संतुष्ट करें।

**श्री उपाध्यक्ष**: आपका नम्बर आ रहा है।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नम्बर तो आ जाएगा।

**श्री पेमाराम** (धोद): नम्बर तो इनका आ जाएगा। इनके आदेश हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय श्री अमरारामजी।

**श्री पेमाराम** (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: मंत्रीजी ने सारी बात सुन ली है। एक मिनट ... (व्यवधान)

**श्री पेमाराम** (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: मंत्रीजी ने गये सत्र में भी अपने वक्तव्य में इस सम्बन्ध में बता दिया था। वह सदन का आश्वासन है इसलिए मंत्रीजी के भी ध्यान में आ गया। अब, माननीय अमरारामजी, आप बोलिए।

**श्री पेमाराम** (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, लाखों लोगों का मामला है। पांच महीने पहले मंत्रीजी ने सदन में आश्वासन दिया था, राजस्थान की सरकार का आश्वासन है। जब तक आप कनेक्शन नहीं दें...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): आश्वासन दिया और फाइल जमा करवायी उसके लिए तो धन्यवाद। जब तक कनेक्शन नहीं होगा, भूखा तो पेट में कुछ जाएगा तब ही उसकी संतुष्टि होगी। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: आप दोनों और मंत्रीजी गांव के रहने वाले हैं, आप गांवों की बात करें। मंत्रीजी ने...(व्यवधान) माननीय अमारारामजी, आप अपनी बात कहिए न। (व्यवधान)

**श्री पेमाराम** (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम भी बिजली के उजाले में रहना चाहते हैं। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अमरारामजी

(श्री पेमाराम)
अपनी बात तो कहेंगे लेकिन इसमें मंत्रीजी को कुछ तो कहना पड़ेगा। मंत्रीजी या तो यह कहें कि सरकार ने जो आश्वासन दिया है, सरकार कनेक्शन देने में असमर्थ है। या यह कहें कि ढाणियों में आवास करने वाले लोग राजस्थान के नहीं पाकिस्तान के नागरिक हैं।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): मंत्रीजी तो तैयार हैं लेकिन उधर से पैसा नहीं मिल रहा, बात तो यह है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए सरकार ... (व्यवधान)

**श्री पेमाराम** (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी कुछ तो कहें। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): मैं नहीं समझता कि...(व्यवधान) मंत्रीजी इस बात के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: अच्छा-अच्छा, आप विराजिए। मंत्रीजी कुछ बोलेंगे।

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत चिंता प्रकट की है 100 से कम की ढाणियों में कनेक्शन देने के लिए। जिसके बारे में आपने चिंता प्रकट की है, मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसी बजट में 300 करोड़ रुपये की घोषणा की थी और 60 हजार कनेक्शन 100 से कम की ढाणियों में देने का उन्होंने कहा था। उसकी हमने सारे डिस्कामवाइज लिस्ट मंगावाई, और जैसा कि धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, राजस्थान में सर्वाधिक करीबन 26 हजार कनेक्शन के लिए एप्लीकेंट सीकर से, नेक्स्ट 16 हजार झुन्झुनूं से थे, फिर नागौर से थे और इस तरह से उनकी काफी बड़ी संख्या थी। उसको हम एग्जामिन करवा रहे हैं। उसको हमने बीच में रोक दिया था माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसको हम एग्जामिन करवा रहे हैं। राज्य सरकार की जो व्यवस्था है, मैं आपको अवगत करवाना चाहूंगा कि इस चार साल में, इससे कनैक्टेड है यह सारी बात इसलिए मैं बताना चाहूंगा, कल बिजली के बारे में बहुत लम्बी-लम्बी बातें हुईं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गयी सरकार ने पैदा नहीं किये 200 मेगावाट और छोड़ गये करोड़ों रुपयों का बजट, हजारों करोड़ का। (व्यवधान) हमारी सरकार ने, साढ़े तीन साल में 3500 मेगावाट...(व्यवधान)

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बजट नहीं, घाटा। घाटा छोड़ गये।

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): हां, घाटा छोड़ गये। हमने 3500 मेगावाट बिजली का जनरेशन किया और आगे आने वाले समय में ... (व्यवधान) अमरारामजी, दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, मेरा घर तो बिजली घर के सामने है और मैं आपको पढ़ता था तब से देखता आया हूं कि आप हमेशा चिंतित रहते थे। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार जो हमारा बचा हुआ सवा साल है, पांच हजार मेगावाट का जनरेशन हम बिजली का कर रहे हैं। हमारे कालीसिंध के 1200 मेगावाट के प्लांट्स हैं- एक दिसम्बर में आ रहा है 600 मेगावाट का, एक मार्च में आ रहा है। 250 मेगावाट के थ्री एण्ड फोर यूनिट्स हैं छबड़ा में, वह हमारा आ रहा है मार्च के पहले 2013 के।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामगढ़ 160 मेगावाट। (व्यवधान) Just a minute Sir, let me explain everything, शार्ट में है, क्योंकि कल मैं अपना वक्तव्य नहीं दे सका था, मैं समझता हूं कि आज मुझे वह कवर करना चाहिए। यह हमारा प्राइवेट सैक्टर में कवई में सुपर क्रिटिकल...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: आप तो कल भी स्टेटमैंट देना चाहते थे लेकिन सुना ही नहीं उन्होंने।

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह समय नहीं था। लेकिन आज मैं समझता हूं कि सारे साथी बैठे हैं। कवई का हमारा यूनिट आ रहा है सुपर क्रिटिकल 660 X 2 और लास्ट हमारी राजवेस्ट की चार यूनिट्स। राजस्थान सरकार बहुत गम्भीर है इस बारे में। हमारी अपनी सोलर एनर्जी की एक हजार मेगावाट की यूनिट्स आ रही हैं 2013 तक और विंड की हजार मेगावाट की आ रही हैं। इस तरह से राजस्थान पहला स्टेट होगा अन्य राज्यों के मुकाबले में जो सैल्फ सफिशिएंट होने जा रहा है।

माननीय प्रधान मंत्रीजी ने भी अभी तीन दिन पूर्व जो मीटिंग थी, चार दिन पूर्व 9 तारीख को विज्ञान भवन में, उन्होंने घोषणा की है कि प्रत्येक नागरिक का अपना हक है बिजली के लिए। भारत सरकार द्वारा जो हमारा आर.एफ.सी.एल., आर.ई.सी. है, उनसे हमें 15 हजार करोड़ रुपये का लोन स्वीकृत हुआ है। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। सरकार के पास

(डा. जितेन्द्र सिंह)

व्यवस्थाएं ऊर्जा उत्पादन की हैं, वह हम गम्भीरता से कर रहे हैं। सरकार प्रयत्नशील है और मैं विश्वास दिलाता हूं...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): सबको कनेक्शन देने की घोषणा करो आप तो, जो आपके पास विचाराधीन हैं। आप चाहते नहीं हैं क्या?

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अतिशीघ्र ये कनेक्शन आपको दिये जाएंगे। राजस्थान में दस लाख डोमेस्टिक कनेक्शन और दो लाख एग्रीकल्चर कनेक्शन दे दिये गये हैं। 65 हजार में से 45 हजार दे दिये हैं और बचे हुए 15 अक्टूबर से हम छह घंटे किसानों को बिजली दे रहे हैं, मैं यह कहना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: धन्यवाद। माननीय श्री अमरारामजी। (व्यवधान) उन्होंने स्टेटमैंट दे दिया, उस पर कवेश्चन थोड़े ही होता है।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): मंत्रीजी बोल रहे हैं।

**श्री राजेन्द्र सिंह गुढा** (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): माननीय मंत्री महोदय, 24 घंटे जनता को बिजली कब तक दे देंगे? राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में भी 24 घंटे लाइट आप आम जनता को कब तक दे देंगे?

**श्री उपाध्यक्ष**: एक मिनट। माननीय मंत्रीजी का यह अनुरोध है कि शहर में 24 घंटा तो गांवों में भी आप 24 घंटा दें। अपना कांस्टीट्यूशन यह कहता है कि बराबरी का अधिकार है सबका, उसके बारे में ये पूछ रहे हैं, आप बताइये।

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): गुढा से आने वाले आनरेबल मंत्री महोदय ने जो कहा है, हमारा प्रयास है, जैसा कि मैंने गुढा से आने वाले आनरेबल मंत्री महोदय से कहा है...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): पांच साल में प्रयास ही है। (व्यवधान)

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): प्रयास ड्रुथ-फुल है। मैं रिकार्डेड फैक्ट्स नहीं कह रहा हूं, मतलब आप आंखों से जाकर भी देख सकते हैं जो जनरेशन पावर सैक्टर में हो रहा है। प्रयास है कि 2013 तक, राजस्थान करीब-करीब अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे सस्ती बिजली दे रहा है एग्रीकल्चर की बी.पी.एल. को...(व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): नहीं-नहीं, सबसे महंगी, आठ रुपये यूनिट

(श्री अमराराम)

मिल रही है। गांवों में 24 घंटों में से 4 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल कहने की बात। कहने का तो मैं सुन रहा हूं चार साल से कि यह आत्मनिर्भर हो गयी, लेकिन मंत्रीजी ने कहा है इसलिए मैं कह रहा हूं...(व्यवधान)

**डा. जितेन्द्र सिंह** (ऊर्जा मंत्री): हम सबके हितैषी हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय अमराराम जी, आप तो अपनी बात कहिए।

## बाजरे के घटिया बीज वितरण से किसानों को हुआ नुकसान

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं राजस्थान के वे जिले जहां पर बाजरे की फसल खरीफ में होती है, राजस्थान की सरकार ने खरीफ 2012 में बाजरे का बीज वितरित किया। एक कम्पनी का बीज है जे.के. 676, राजस्थान की सरकार ने शायद 11 करोड़ रुपये उस कम्पनी को भुगतान करने की बात की है। वह जे.के. 676 बीज ऐसा है, शायद राजस्थान में जब से खेती होने लगी है, उसके बाद में ऐसा बाजरा किसी ने नहीं देखा। जो 100 साल का व्यक्ति है, वह भी कहता है कि ऐसा बाजरा मैंने कभी नहीं देखा। राजस्थान की सरकार बाजरे का संकर बीज वितरित करती है और बीज में अगर सरकार ही धोखा करती है, तो मैं समझता हूं बीज जैसी चीज में धोखा करे, और वह भी सरकार करे, इससे ज्यादा बड़ा अपराध नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, बाजरा दो चीज के लिये बोया जाता है। आपके यहां कोटा, हाड़ौती और उदयपुर में बाजरा नहीं बोया जाता, दो डिवीजन में, वहां केवल मक्का और ज्वार बोयी जाती है। लेकिन बाकी जो डिवीजन हैं चाहे वह भरतपुर है, चाहे जयपुर है, चाहे जोधपुर है, चाहे बीकानेर है, बाकी जो चार डिवीजन हैं, उनमें बाजरे की खेती प्रमुख रूप से होती है- पशुओं के चारे के लिये और बाजरे के लिये। यह जो बीज सरकार ने बांटा है, उससे किसान को सैकड़ों करोड़ का नुकसान हुआ है। करीब 90 प्रतिशत नुकसान हुआ है। जिसने भी यह बाजरा बोया है, वह तमाम किसान, सीकर, झुन्झुनूं, दौसा, सवाईमाधोपुर, भरतपुर के, उन्होंने डेढ़ महीने से लगातार सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, कलक्टर्स, सबको ज्ञापन दिया, बाजरे का नमूना दिखाया। लेकिन अफसोस इस बात का है, डेढ़ महीने के बाद जब उसने सिट्टा निकाला, उसकी बढ़ोतरी हुई, मुश्किल से दो से ढाई फुट का बाजरा, और ढाई इंच की

(श्री अमराराम)

सिट्टी। यह पहली बार देखने को मिल रहा है। लेकिन डेढ़ महीने के बाद भी सरकार ने उस कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की। सरकार ने अपने खजाने से 11 करोड़ रुपया खर्च किया है, किसान से एक रुपया नहीं लिया। लेकिन किसान का खेत, किसान की बुवाई, किसान का खाद, किसान का निनाद सब जितना खर्च होना चाहिये था, वह किसान का खर्च हो गया और चारे की पैदावार मात्र 10 प्रतिशत हुई है, अफसोस इस बात का है। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो खुद किसान हैं। अगर बीज में सरकार ही विश्वासघात करेगी राजस्थान के किसान के साथ, तो इससे बड़ा विश्वासघात नहीं हो सकता। कम्पनी ने विश्वासघात किया है। बाजरे का उगाव होने के बाद, सिट्टा आने के बाद किसान इस बात की मांग कर रहा है, सरकार की तरफ से उस किसान की भरपाई करने के लिये एक शब्द उस कम्पनी के खिलाफ नहीं आया है, यह सबसे ज्यादा अफसोसजनक है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है सरकार उस कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही करे और जितना किसान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना, उसकी भरपाई करे। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिये, यह बाजरे की बढ़ोतरी है, यह सिट्टी है। यह हालत है। मैं समझता हूं, इससे बड़ा किसान के साथ विश्वासघात नहीं हो सकता। अब किसान अपने पशुओं को क्या खिलाएगा? आप देखिये, ढाई इंच से ज्यादा सिट्टी नहीं है, एक-डेढ़ फुट की बढ़ोतरी है। आप कहें तो मैं टेबल कर दूं। यह राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी है। यह सरकार बड़ी संवेदनशीलता की बात करती है, खुद सरकार विश्वासघात करे! कल आप रबी के लिये बीज बांट रहे हैं, सरसों का बीज दे रहे हैं, गेहूं का डिमांस्ट्रेशन दे रहे हैं, फिर किस तरह से किसान सरकार पर विश्वास करेगा? आज 65 साल के बाद में भी राजस्थान में बाजरे का बीज नहीं है। बाजरे का संकर बीज राजस्थान में आज तक नहीं हुआ और यही बहाना किया जाता है कि यहां बाजरा पैदा होता है, जबकि दो सम्भागों में कहीं भी बाजरा पैदा नहीं होता, केवल मक्का और ज्वार पैदा होती है।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि उस कम्पनी पर कार्यवाही करना और किसान को जितना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करना, यह सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि यह बीज किसी बाजार से नहीं

(श्री अमराराम)

खरीदा है, सरकार ने दिया है इसलिये निश्चित रूप से सरकार उस नुकसान की भरपाई करने का काम करे।

**श्री उपाध्यक्ष**: पेमारामजी, आप विराजिये, आपके लीडर बोल रहे हैं। लीडर बोल रहे हैं आपके। (व्यवधान) नहीं, आप विराजिये, लीडर बोल रहे हैं।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): आप कहें तो मैं टेबल कर देता हूं।

**(माननीय सदस्य, श्री अमराराम ने बाजरे की फसल का एक पैकेट सदन पटल पर रखा)**

**श्री पेमाराम** (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, विराजने का सवाल नहीं, वाकई में चौपट कर दिया। सरकार पर यकीन किया, सरकार पर विश्वास किया काश्तकार ने।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय श्री प्रताप सिंहजी खाचरियावास। एक मिनट। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी। आप जवाब नहीं चाहते हो क्या?

**श्री पेमाराम** (धोद): यह सवाल राजनीति का नहीं है। आप भी जाते हैं ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: आप एक मिनट विराजिये न । आप जवाब सुन लीजिये। इसमें एक तो, माननीय मंत्रीजी, कम्पनी के खिलाफ किसान भी कर सकते हैं, सरकार भी कर सकती है, उसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिये।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): किसान तो इसलिये नहीं कर सकता कि किसान ने उससे नहीं लिया। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: अब आप सुन लीजिये न। हां, वह तो खुद दे रहे हैं।

**श्री हरजीराम बुरड़क** (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के ध्यान में यह प्रकरण ज्यों ही आया, बाजरे के खराब बीज की शिकायतें प्राप्त हुईं, ये शिकायतें सबसे पहले दो-तीन जिलों से प्राप्त हुई थीं, उसके आधार पर राज्य सरकार ने 17.9.2012 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। वह विशेषज्ञ समिति अभी जांच कर रही है। उस समिति को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह मौके पर वीडियोग्राफी भी करे। ज्यों ही दूसरे जिलों से भी शिकायतें प्राप्त हुईं, उन सारे जिलों की, सारे क्षेत्रों की वह कमेटी जांच कर रही है। ज्यों ही राज्य सरकार को जांच कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त होगी, उससे

(श्री हरजीराम बुरड़क)

आगे की कार्यवाही जो नियमानुसार होनी है, वह कार्यवाही करेगी। राज्य सरकार इसमें किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरतेगी।

जहां तक सवाल है टैक्निकल रिपोर्ट का, वह रिपोर्ट आने पर ही कार्यवाही होगी, उससे पहले शुरू में कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। किसी भी कम्पनी को किसी तरह का बीज का भुगतान नहीं किया गया है, सारा भुगतान रोका हुआ है।

**श्री उपाध्यक्ष**: धन्यवाद। माननीय प्रताप सिंहजी खाचरियावासजी। आश्वासन आ गया। आश्वासन से बड़ी चीज क्या बच गयी?

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): माननीय मंत्री महोदय ने देखा है, यह बाजरा आपके सामने है।

**श्री उपाध्यक्ष**: केवल खाचरियावास साहब का रिकार्ड होगा।

**श्री पेमाराम** (धोद): **xxx**

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): **xxx**

**श्री उपाध्यक्ष**: आप विराजिये खाचरियावासजी को बोलने दें।

**श्री पेमाराम** (धोद): **xxx**

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): **xxx**

**श्री उपाध्यक्ष**: आपको पता है, कानून से बड़े मंत्रीजी भी नहीं हैं, आप विराजिये। उन्होंने आश्वासन दे दिया है।

**श्री पेमाराम** (धोद): **xxx**

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): **xxx**

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय अमरारामजी, बैठिये।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): **xxx**

**श्री उपाध्यक्ष**: अब आप विराजिये। मंत्रीजी ने कहा, आप बैठोगे तो मैं बोलूंगा। मंत्रीजी ने यह भी कह दिया, कम्पनी को हम बीज का पैसा नहीं दे रहे हैं। आप बात तो सुनिये। सारा आप कहेंगे जो नहीं होगा। पार्टी चाहे दावा कर सकती है, सरकार भी कार्यवाही करेगी। यह आश्वासन दे दिया, आपकी बात को सरकार इससे ज्यादा क्या माने। माननीय खाचरियावासजी।

**श्री पेमाराम** (धोद): **xxx**

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): **xxx**

**श्री उपाध्यक्ष**: रिपोर्ट आने दीजिये।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): ×××

**श्री पेमाराम** (धोद): ×××

**श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाई माधोपुर): ×××

**श्री उपाध्यक्ष**: आप बोलिये, खाचरियावासजी।

## जयपुर के अमानीशाह नाले के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के आदेश से उत्पन्न स्थिति

**श्री प्रतापसिंह खाचरियावास** (सिविल लाइन्स): माननीय उपाध्यक्षजी, आज मैं बहुत गम्भीर विषय पर बोलना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, यह पूरा देश विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के आधार पर चलता है और हमारे संविधान का आधार भी यही है। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर पूरे देश के सिस्टम का संचालन करते हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी चुनौती विधायिका के सामने है। विधान सभा और लोक सभा के ऊपर पूरा देश भरोसा करता है, पूरी जनता भरोसा करती है कि हमारे देवदूत जो विधान सभा में बैठे हैं, वे हमारी रक्षा करेंगे। हमने उनको वोट के जरिये, वोट की ताकत के जरिये लोकतंत्र का प्रभारी बनाकर भेजा है, हमारे ऊपर जुल्म होगा, यदि हमारे ऊपर किसी भी तरह का हमला होगा तो हमारी रक्षा करेंगे। विधान सभा कानून बनाती है, विधान सभा कानून बनाकर कार्यपालिका में अलग-अलग विभाग बनाती है- जलदाय विभाग, विद्युत विभाग, जेडीए, नगर निगम, ये सब सरकार से गवर्न होते हैं। जनता महसूस करती है कि जब भी मेरे ऊपर जुल्म होगा तो मेरी सरकार ताकत के रूप में मेरे को डिफैण्ड करने के लिए खड़ी होगी। अब एक नया सिस्टम डवलप हो गया कि लोकतंत्र में विधान सभा और लोक सभा हाई कोर्ट से डरने लगे, न्यायपालिका से डरने लगे और यह महसूस करने लगे कानून बनाने वाले लोग कि यह तो हाई कोर्ट में हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसे में जनता कहां जाए? सरकार के पट्टे लेकर जो लोग मकान में रहते हैं, सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड सोसायटीज के पट्टे लेकर जो लोग चालीस-पचास वर्ष से, आजादी से पहले से सरकारी पट्टे और रजवाड़ों के पट्टे लेकर जो लोग राजधानी में रहते हैं उन लोगों के ऊपर हाई कोर्ट, खुद दस वर्ष लगाता है वह फैसला करने में, अगर हाई कोर्ट यह डिसीजन दे दे कि पन्द्रह दिन में इन सब लोगों को हटाइये, they are encroachers और बीच में यदि कोई वकील यह कह दे कि, साहब, इनके पुनर्वास की भी सुन लो, वे कह देते हैं, नो डिस्कस।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

इस देश पर हमला करने वाले कसाब को जब फांसी की सज़ा होती है, कोर्ट यह फैसला देता है, इतने दिन का समय आपको ऊपर की कोर्ट में अपील करने का दिया जाता है। यहां पर राजधानी में तीन लाख लोग रहते हैं, उन तीन लाख लोगों को हाई कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि उन लोगों का भी पक्ष सुना जाए। सरकार, जेडीए या निगम सुने। हाई कोर्ट का एक आदेश मिला, अधिकारियों ने डायरेक्ट हाथ में आदेश पकड़ा, यानी मौखिक रूप से आदेश मिला है। बीच में सरकार से अधिकारियों को बात करने की जरूरत ही नहीं है। सीधे पहुंचे, नोटिस थमाना शुरू । उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे में, आप बैठे हैं चेयर पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाई कोर्ट अपनी ड्यूटी निभा रहा है, अधिकारी हाई कोर्ट के आदेश की ड्यूटी निभा रहे हैं, ये जो विधायक बैठे हैं, ये किसकी ड्यूटी निभाएं? इसका मतलब यह हो गया कि इस देश में लोकतंत्र की रक्षा करने की पूरी ड्यूटी सिर्फ विधायकों की रह गयी। ड्यूटी निभा रहा अधिकारी कहता है कि मुझे हाई कोर्ट जेल भेज देगा। सरकार बीच में कहीं नहीं आती है। तो फिर विधायक भी लाठी और गोली लेकर खड़ा हो जाए कि मुझे जिसने वोट दिया है, वह मुकाबला करेगा। ऐसे तो फिर अराजकता फैल जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र है। कोर्ट तंत्र नहीं है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति का मूल अधिकार है सम्पत्ति रखने का। कानून-कायदे में रहकर सम्पत्ति रखने का। एक ही दिन में हाई कोर्ट कहता है कि सबके पट्टे निरस्त माने जाएं। मेरा निवेदन है कि सरकार और डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि आप हाई कोर्ट में एडामेंट होकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर, यह कहें कानून-प्रक्रिया के तहत कि पच्चीस-पच्चीस, तीस-तीस साल से लोग बैठे हुए हैं इनको हमने बिजली पानी के कनेक्शन दे दिये, यहां पर हमने करोड़ों रुपये खर्च करके डवलपमेंट कर दिया। गंगा नदी पटना से बहती है, उसकी कोई सैन्ट्रल लाइन नहीं है। अभी जयपुर में बाढ़ आ गयी। आदरणीय सोनियाजी आयीं, आकर कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में पीड़ित हुआ है तो पहले उसका पुनर्वास करो, उसके बाद कोई और बात करो। जयपुर में जहां पर पानी बह रहा है वहां पर। वहां पर सैन्ट्रल लाइन नहीं लग रही। हम यह कह रहे हैं, यह नाला एक और है। मैंने निवेदन किया, दूसरा नाला बनाओगे? नाला तो एक ही बह रहा है। कभी बहाव क्षेत्र नहीं बदलते। मैं मानता हूं आदरणीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत और मंत्री शांति धारीवालजी इस मामले में जनता का पक्ष रखना चाहते हैं। मैं इसलिए खड़ा

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

हुआ हूं कि राजधानी जयपुर की तीन लाख की आबादी, कई बार यह माहौल बनाया जाता है कि जयपुर की चालीस लाख की आबादी है, यहां बुलडोजर चलेगा तो लोग खुश होंगे जब झोंपड़ी से रोने की आवाज आएगी? यहां पर बाढ़ आ गयी थी, मैं घरों में गया। एक घर में बदबू आ रही थी, मैं अन्दर घुसा। औरत रोने लग गयी। मैंने पूछा, रो क्यों रही हो। तो उसने कहा कि आटा गीला हो गया। जो औरत आटा गीला होने पर रो रही है, जब आप उनके आठ-दस हजार मकान उजाड़ दोगे तो वह क्या सरकार के जिन्दाबाद के नारे लगाएंगे? बच्चे बिलखते रहे, रोते रहे, तीन लाख लोग बेघरबार हो गये। इस तरह के फैसले हम लागू कर दें कि हम बुलडोजर लेकर चढ़ जाएंगे और लोगों को विश्वास में नहीं लें। ये नोटिस लेकर जाते हैं। वे कहते हैं कि हम नोटिस नहीं लेंगे। ऐसे में आम आदमी की रक्षा कौन करेगा? आम आदमी की रक्षा करना सरकार की, इस विधान सभा की, विधायकों की, पूरी विधायिका की ड्यूटी है। हम एक नजरिये पर नहीं चलें। कहीं पर यदि कोर्ट तंत्र, लोक तंत्र पर भारी है तो यह फैसला हो जाए, जनता के बीच में यह चला जाए। हाई कोर्ट में बैठकर जज यह कह सकते हैं कि आज तक की सबसे नाकारा सरकार है। वे कुछ भी कह सकते हैं। अपनी चेयर पर बैठकर उनको सब अधिकार प्राप्त हैं। किसी की हंसी भी उडा सकते हैं। बदतमीजी भी कर सकते हैं। विशेषाधिकार सबके बने हुए हैं। ऐसे में क्या विधान सभा इतनी कमजोर हो गयी कि वह इस बात की चर्चा नहीं करे? सारे नियम, कायदे, कानून चुने हुए प्रतिनिधियों पर हैं? क्या नियम, कायदे और कानून के दायरे में हाई कोर्ट नहीं आते? कोर्ट नहीं आते? क्या जजों के ऊपर ये लागू नहीं होते? वे चाहेंगे जैसे करेंगे? किसी भी अधिकारी से यह कहा जाएगा कि आपकी बाडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, आपकी बाडी लैंग्वेज काम करने की नहीं है। मैंने खुद अख़बार में पढ़ा। ऐसे में स्थिति यह हो गयी कि आज जनता के बीच में जाते हैं तो जनता कहती है कि भाई साहब, चुनाव बन्द करवा दो। विधान सभा की तो अब जरूरत ही नहीं रही। विधान सभा और लोक सभा की तो अब जरूरत ही नहीं है कि पूरे देश में इतने बड़े चुनाव कराये जाएं। हां, यदि आदेश देने हों हाई कोर्ट को तो हाई कोर्ट कहता कि हम सरकार में लिखकर भेज रहे हैं, सरकार से पक्ष पूछा जाता और फिर सरकार अपनी पूरी बात रखती कि यहां इतने हजार मकान आ रहे हैं। आजादी से पहले यहां इतने लोग रहते थे, इतने अरसे में यहां इतने लोग बस

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

गये। दो साल का सरकार को समय दे। सरकार पूरे मामले का सर्वे करवाएगी। देखेगी कि वास्तविक बहाव क्षेत्र में कितने लोग आते हैं। ये-ये कंडीशन हैं। हम इन लोगों के लिए यह व्यवस्था करने जा रहे हैं। फिर कानून का पूरा सम्मान होगा। हम यह चाहते हैं, हम करेंगे लेकिन हमें समय दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, यहां मंत्रीजी बैठे हैं, पूरे राजधानी जयपुर के लोग जानना चाहते हैं सरकार का पक्ष। एमएनआईटी की रिपोर्ट आयी, सुप्रीम कोर्ट का डिसिजन है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट का और समय लूंगा। कोई भी एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट यदि दे दे तो उस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। स्पान कम्पनी ब्लैक लिस्टेड कम्पनी है, एक प्राइवेट कम्पनी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वर्ष 2005 में उस स्पान कम्पनी को अधिकृत कर दिया। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती थी, मुझे पता नहीं लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी का यह चरित्र जरूर देखा, मैंने खुद एक पब्लिक मीटिंग में कहा था कि जब इस आन्दोलन में सरकार जनता को बचाने के लिए आएगी तब बीजेपी का स्टेटमेंट आएगा। यदि उस आन्दोलन में उनको लगेगा कि सरकार जनता को मार रही है तो वे लड़ने नहीं आएंगे। बीजेपी वालों ने वही किया। जब माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी ने स्टैण्ड ले लिया कि पहले पुनर्वास होगा, उसके बाद तोड़फोड़ होगी। तब बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग में यह तय होता है कि हम हर जगह विरोध करेंगे। ठीक है, अच्छे काम में आपने किया। स्पान को 2005 में पिछली सरकार ने अधिकृत किया। उसकी रिपोर्ट चैक करने के लिए एमएनआईटी भेजी। एमएनआईटी ने यह कहा कि स्पान की रिपोर्ट ठीक नहीं है। जांच हुई और एमएनआईटी ने यह माना कि बहाव क्षेत्र को देखा जाए। एक्सपर्ट कमेटी ने यह माना कि बहाव क्षेत्र को देखा जाए, सरकार के पट्टों को चैक किया जाए। सरकार से बात की जाए। एमएनआईटी की जो रिपोर्ट है, एमएनआईटी की एक्सपर्ट कमेटी ने पूरी रिपोर्ट बनायी, उसने कहा कि यह अमानीशाह नाला है, यह बरसाती नाला है। अलग-अलग चौड़ाई बतायी। कहीं पर 70 फीट, कहीं 50 फीट, कहीं 40 फीट और कहीं 10 फीट और उद्‌गम स्थल की चौड़ाई अलग बताई। टोटल उसकी चौड़ाई 110 फीट बताई उन्होंने। आज स्थिति यह है कि नाला खाली पड़ा है। नाले को हम पूर्व दिशा से पश्चिम में घुमा रहे हैं। कालोनियों के अन्दर घुसा रहे हैं। जगह खाली पड़ी है, उसको छोड़ रहे हैं। मैं आज कह रहा हूं इस विधान सभा में, खड़ा होकर

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

शपथपूर्वक बयान करता हूं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, यदि इस क्षेत्र में बाढ़ आयी। पानी जहां से बह रहा है, उसके दोनों तरफ, आप ले लो जितनी जगह आपको चाहिए। लोगों का नुकसान नहीं होगा। नाला बह रहा है वहीं से तो दोनों तरफ लोगे। यदि इसके अलावा कहीं बुल्डोजर चलेगा तो, उपाध्यक्षजी, विधान सभा का सदस्य होने के नाते आज मैं आपसे कह रहा हूं, पृथ्वीराज नगर में जनता हाई कोर्ट में हार गयी थी, सुप्रीम कोर्ट में हार गयी थी, इन्हीं अशोक गहलोत जी की सरकार, आज उनका नियमन कर रहे हैं और यही धारीवालजी मंत्री हैं और आज वहां के लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं।

**(13.00 बजे)**

जनता को बचाना हमारी फर्स्ट मोरल ड्यूटी है और यदि हाई कोर्ट इतना बड़ा डिसिजन देता है तो हाई कोर्ट साथ में यह भी कह दे कि जाइये गोली चलाइये। लोगों के मकान तोड़ने से पहले उनको जहर दो। गोली चलाओ बुलडोजर चलाने से पहले, पहले उनको मारो। यदि इसी तरह से लोकतंत्र में चलाना है तो हम खड़े हैं जनता की रक्षा के लिए, पहले हम मरेंगे उसके बाद वहां बुलडोजर चलेगा। इतनी आसानी से, उपाध्यक्षजी, सारी स्थितियां वहां क्रिएट हो गयीं।

उपाध्यक्षजी, मैं आपके जरिए एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र पर अभी भी लोगों का बहुत भरोसा है। सरकार की ड्यूटी बनती है कि एक पक्ष नहीं देखे, दूसरा पक्ष भी देखे। वो पक्ष यह देखे कि एक मकान बनाने में जिंदगी बीत जाती है, यह राष्ट्र की सम्पत्ति का नुकसान है। आप एक साथ 20 हजार करोड़ की सम्पत्ति का नुकसान करके कौनसा नाला बनाना चाहते हो? आज पटना के पास से नदी बह रही है गंगा नदी, उसकी सैण्ट्रल लाइन तय हो सकती है? उसके बहाव से ही तय हो सकता है कहां से बह रही है। आज नाला जहां से बह रहा है वो ही नाला है, उसके हिसाब से फैसला कर लिया जाए। लेकिन इसके लिए सरकार पहले यह तय करे कि जनता की रक्षा करना हमारी ड्यूटी है। किसी का भी मकान टूटेगा तो पहले उसको मकान के बदले मकान, उसका पुनर्वास होगा उसके बाद सरकार कोई भी कार्यवाही करेगी।

हम कानून का सम्मान करते हैं लेकिन कई बार हाई कोर्ट के हर फैसले से हम सहमत हों, हाई कोर्ट के हर फैसले से न्याय होता हो, ऐसा भी नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हाई कोर्ट का फैसला यदि गलत

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

आता है तो उसमें विधान सभा को, विधायिका को, सरकार को स्टैंड लेना चाहिए। नियम, कायदा, कानून जजों के ऊपर भी बनना चाहिए, उनको भी ताकीद किया जाना चाहिए। कभी मुख्य मंत्री के खिलाफ टिप्पणी, कभी मंत्री के खिलाफ टिप्पणी, कभी विधान सभा के खिलाफ टिप्पणी। मानता हूं आप कल तक एडवोकेट थे, आप जज हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आज भी सम्मान से बोल रहा हूं, लेकिन आप चाहेंगे जिसको चोर, चाहेंगे जिसको नाकारा, चाहेंगे जिसको जैसे बता दोगे। अभी जस्टिस कापड़िया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हाई कोर्ट को ऐसे फैसले देने चाहिए जो फैसले व्यावहारिक हों, जो लागू हो सकते हों, जिनको विधायिका स्वीकार कर सकती हो और जिनको सरकार स्वीकार करके लागू करने में सक्षम हो। हमें ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जिन फैसलों से देश की, सरकार की और हमारी खुद की गरिमा कम होती हो।

इस तरह की बातें कहने के बावजूद हम एडामेंट हो जाएं और डे-टु-डे मानिटरिंग ऐसे करें जैसे अधिकारी तक नहीं करते। दस दिन बाद डे-टु-डे मानिटरिंग हो रही है, उपाध्यक्ष जी, और यह कह रहे हैं कि आप सात दिन में आइये, आकर बताइये कितनी ईंट टूटीं, कितनी रह गयीं, कितनी उठायीं या नहीं उठायी। तो ऐसे में सरकार क्या करेगी? क्या पूरा राज हाई कोर्ट के हाथ में दे दिया जाए? मंत्री, विधायिका, आई.ए.एस., आर.ए.एस. सब साइड में? अब मानिटरिंग मुख्य मंत्री और मंत्री नहीं करेंगे, अब हाई कोर्ट करेगा। डे-टु-डे, हर सात दिन, दस दिन, 15 दिन, हाई कोर्ट बुला-बुलाकर कह रहा है जेल जाना है क्या, ब्रश और साबुन लाये हो कि नहीं, साथ में तौलिया लेकर आये कि नहीं? ये हालात हैं, ऐसे चल रही है कण्ट्री।

विधान सभा और लोक सभा में बोलने के बाद अब थोड़े दिन बाद, आपको पता है, उपाध्यक्ष जी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया लेकिन आज पाकिस्तान के हालात क्या हैं, अफगानिस्तान के हालात क्या हैं? आज हिन्दुस्तान को लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, यहां लोकतंत्र की रक्षा होती है।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे न्याय की उम्मीद कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि कल हम खड़े हों सामने जनता को बचाने के लिए। वो वक्त नहीं आ जाए जब विधायकों को लाठी लेकर खड़ा होना पड़े कि ऐसे फैसले हम स्वीकार नहीं

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

कर सकते। विधान सभा प्रक्रिया और नियम तय करती है, आप तय कीजिए, जनता की रक्षा कीजिए जिससे विधायिका का सम्मान बना रहे। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी, आपको कुछ कहना है?

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी बोलना चाहूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: नहीं, यह तो पर्ची का मामला है।

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): पर्ची का मामला है तो साथ-साथ बुला दो न दो मिनट।

**श्री उपाध्यक्ष**: लेकिन दो ही मिनट।

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): हां, मैं शार्ट में ही बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतापसिंहजी खाचरियावास ने आज व्यवस्था और अभी जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में निवेदन किया है। हम लोग कानून का बहुत सम्मान करते हैं, न्यायपालिका का बहुत आदर सम्मान है लेकिन जिस तरह से टीका-टिप्पणी अभी हो रही है, चाहे हमारी सरकार के, चाहे हमारे अधिकारियों के और हर किसी के, चाहे औद्योगिक संस्थानों के, इसके बारे में हमको अवश्य चिन्तन करना चाहिए। धीरे-धीरे व्यवस्थाएं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की है कि न्यायाधीशों को ऐसा कोई निर्णय नहीं देना चाहिए, जो कि कार्यपालिका ने अगर मानने से मना कर दिया तो क्या हालात होंगे।

राष्ट्रपति महोदय ने भी एक बात आज से तीन दिन पूर्व कही कि हम लोगों को हमारी सीमाओं के अन्दर रहकर निर्णय करना चाहिए। आज हालात ये हैं कि अगर हम सचिवालय में जाएं कि प्रमुख शासन सचिव कहां गये, मुख्य सचिव कहां गये। कि हाई कोर्ट के अन्दर पेशी है उनकी। सरकार के खिलाफ कोई निर्णय आ जाता है, औद्योगिक संस्थानों के खिलाफ निर्णय आ जाता है। चित्तौड़ के अन्दर एक औद्योगिक समूह है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, मैं उसकी एडवोकेसी नहीं कर रहा, राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय से तीन हजार आदमी, वो लोग जो छैनी-हथौड़े से सैकड़ों वर्षों से अपना भरण-पोषण करते आ रहे हैं, वो आज बेरोजगार हो गये। एक आदमी ने तो आत्महत्या कर ली और भुखमरी की हालत के अन्दर आ गये, उनकी रोजी-रोटी वो ही थी।

निवेदन है कि उनका हस्तक्षेप दिन पर दिन हमारी कार्य प्रणाली पर

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

बढ़ रहा है। कल भी अध्यक्षजी ने अपने चैम्बर में सर्वदलीय बैठक बुलायी। वो एक कारण बनता जा रहा है। बिना बात के अन्दर, हमारा कोई निर्णय ही नहीं हुआ है लेकिन हमारे को वहां पर नोटिस दिये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर कार्यपालिका और जो हमारी विधायिका है, उसको ठोस निर्णय तो करना पड़ेगा। केवल वो ही बुद्धिमान नहीं हैं कि, साहब, केवल बुद्धिमान वो ही हैं। सरकार में बैठे हुए, जो हम लोगों को चुन कर भेजते हैं, क्या हम बुद्धिहीन लोग हैं? जो हमारे अधिकारी हैं, जो बहुत मेहनत से आई.ए.एस. की पोस्ट पर जाते हैं, उनको बंधक मजूदर बनाकर, सुबह से शाम तक मानसिक प्रताड़ना देने के उद्देश्य से खड़ा रखा जाता है। आम जनता देखती है, आज क्या इम्प्रैशन जा रहा है। न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं लेकिन न्यायपालिका के अन्दर यह संदेश अवश्य जाना चाहिए विधान सभा से कि केवल बुद्धिमान वो ही नहीं हैं। हम लोग जो जनता से चुने हुए लोग हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां दी जाती हैं, पांच वर्ष तक सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है, आज हम लोग क्या निकम्मे हो गये? वो ही सब हमको गाइड लाइन तय करेगी कि कैसे-कैसे हमको काम करने हैं, क्या-क्या हमको निर्णय करने हैं? हमारी जवाबदेही बिलकुल ही नहीं है?

**श्री उपाध्यक्ष**: अब समाप्त करें।

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, हमारी विधान सभा के अन्दर से एक मैसेज अवश्य जाना चाहिए। जो हालात बन रहे हैं, लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं गांवों के अन्दर कि, साहब, आज आपकी सरकार ने तो यह निर्णय किया और उच्च न्यायालय ने यह निर्णय खिलाफ दे दिया। तो ये हालात अच्छे नहीं बन रहे, कि हालात अच्छे बन रहे हों।

**श्री उपाध्यक्ष**: विराजिये, विराजिये।

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): अच्छे और सौहार्दपूर्ण हमारे सम्बन्ध रहने चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का मैं भी समर्थन करता हूं कि ये हालात रहे तो आने वाले समय में हालात और खराब होंगे। मामूली निर्णय और कोर्ट के जो इस प्रकार के निर्णय आ रहे हैं ...

**श्री उपाध्यक्ष**: यह सब्जैक्ट नहीं है कोई। (व्यवधान)

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): इनकी वजह से आज बालोतरा उद्योग के लाखों लोग बेरोजगार हो गये हैं और आम पब्लिक में यह मैसेज चला जाता है ...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: आप बोल लेना ...(व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): इस पर मन्थन करें, चिन्तन करें।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोर्ट की वजह से, मैं बड़ी पीड़ा के साथ कह रहा हूं ...

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): मैं चुन कर आया हूं, मेरी आवाज तो सुनो। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य की बात आने दो। हां, बोलो।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोर्ट ने जो निर्णय दिया, आज बालोतरा की हजारों औद्योगिक इकाइयां और लाखों मजदूर सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं। बाकी जगह नदियों में पानी डाला जा रहा है, बहती नदियों में पानी जा रहा है और लूणी नदी में 22 साल पहले पानी आया, आज पानी नाम की चीज नहीं, नाम मात्र की नदी है।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्लीज, आप समाप्त करें।

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): इस प्रकार अगर निर्णय रहे और विधायिका अगर कमजोर हो गयी तो जनता में संदेश खराब जाता है। माननीय प्रतापसिंहजी ने कहा, उन बातों का समर्थन करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय अलाउद्दीन जी। आप एक मिनट में बोल लो, एक लाइन में बोल लो।

**श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाई माधोपुर): दो मिनट में।

**श्री उपाध्यक्ष**: नहीं, दो मिनट तो बहुत होते हैं। यह बहस का विषय नहीं है।

**श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाई माधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सवाई माधोपुर से चुन कर आता हूं, सवाई माधोपुर में कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है, वहां पर सारी पर्यटन कार्यवाही बंद कर दी गयी है। लाखों-करोड़ों रुपया जो वहां पर लगाया गया है, जो टैक्सी वाले हैं,

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

गरीब हैं, मजदूरी करने वाले लोगबाग हैं सब भूखे मरने की स्थिति में आ गये हैं। एक ऐसा आदेश कर दिया है कि ये सारी गतिविधियां बंद कर दी जाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिला दूं, इसी गेम सैंक्चुरी की वजह से तेल शोधक कारखाना मथुरा में चला गया, खाद का कारखाना चला गया, कोई कारखाना वहां पर नहीं लग सकता। जो जगह कारखाने के लिए पूरे विश्व में मशहूर थी, एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्टरी थी, इसी पर्यटन के लिए खतम हो गयी। वहां के सारे लोग सिर्फ इस गेम सैंक्चुरी के पीछे अपना कारोबार चला रहे हैं और कोर्ट के एक फैसले से सारे कारोबार बंद हो गये। जहां पर दुनिया के सारे बड़े-बड़े राष्ट्रपति, बड़े-बड़े लोगबाग आकर पर्यटन करते हैं, देखते करते हैं। वास्तव में आज हमारे साथियों ने जो नगरपालिका के लिए बात उठाई है, खास तौर से जो जयपुर से आने वाले सदस्य ने उठाई है, तीन लाख आदमियों के गरीब परिवारों को जिनको दो टाइम की बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी मिलती है, एक आदेश से उनको सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया जाए, कोई सरकार बरदाश्त नहीं कर सकती, कोई कानून बरदाश्त नहीं कर सकता, कोई संविधान बरदाश्त नहीं कर सकता। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): नौकरियां रोक दीं नौकरियां ...(व्यवधान) नौकरियां खोल रही है सरकार, मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, पंचायती राज में नौकरियां खोल रहे हैं ...(व्यवधान)

**श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाई माधोपुर): ...(व्यवधान) परेशान हो रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी, आप कुछ बोलना चाहते हैं?

**श्री मदन प्रजापत** (पचपदरा): माननीय उपाध्यक्षजी, यह मामूली बात नहीं है, बहुत गम्भीर मामला है और सभी सदस्य इस बात से सहमत हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: अब आप विराजें।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अमानीशाह नाले के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने 3 अक्टूबर, 2012 को एक आदेश प्रसारित किया जिसकी कापी हमें 10 अक्टूबर को मिली है। मुख्य तौर पर उस आदेश में तीन बातें थीं। नगर निगम जयपुर और जयपुर विकास प्राधिकरण एक माह के अन्दर-अन्दर निर्माण और अतिक्रमणों को नाले पर से

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

हटा दें। दूसरा था जितने भी नोटिसेज इन दोनों संस्थाओं के द्वारा जारी किये जाते हैं, वे माननीय उच्च न्यायालय के ध्यान में लाये जाएं। और तीसरा यह था कि नाले को ठीक उसी स्थिति में रखा जाए जिस स्थिति में वह पहले से चला आ रहा था। ये तीन आदेश उनके द्वारा जारी किये गये।

यह बात सही है जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया, कि हजारों की तादाद में वहां पर रिहायश है। अभी तक जो कुछ काम दोनों सस्थाओं के द्वारा किया गया, जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के द्वारा किया गया, गैर आवासीय निर्माण जितने भी थे, उनको हटाने का काम न्यायालय के आदेशों के अनुसार सम्पन्न हुआ लेकिन आवासीय निर्माणों पर हाथ नहीं लगाया गया। सरकार की यह सोच थी कि इनके लिए पुनर्वास की कोई न कोई योजना बनाई जानी चाहिए। विशेष सरकार ने यह सोचा है, इस पर विचार किया है काफी कि विस्थापितों के लिए एक विशेष रिहैबिलिटेशन प्लान बनाया जाए। नाले के बहाव को और रिहैबिलिटेशन प्लान को चूंकि बनने में समय लगेगा इसलिए जो समय माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है वह पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए इसकी एक रिव्यू पिटीशन पेश की जाए और पेश करके उनको यह कहा जाए कि पुनर्वास की हम योजना बना रहे हैं। पुनर्वास योजना बनने के पश्चात् तथा सेण्ट्रल लाइन तय करने के बाद क्योंकि सेण्ट्रल लाइन 2005 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो उन्होंने स्पान नाम की एक कम्पनी को सैण्ट्रल लाइन बनाने के लिए दे दिया, उस पर आज हमने यह सोचा कि यह सैण्ट्रल लाइन फीजिबल नहीं है, वास्तविक नहीं है तो हमने एम एन आई टी को यह काम दे दिया। एम एन आई टी के बीच में और उनके बीच में डिफरेंसेज हुए। उन्होंने किसी जगह 400 फीट बता रखा था स्पान ने कि 400 फीट का नाला है, एम एन आई टी ने कहा कि इतना फ्लो ही नहीं है, 400 फीट बताने की जरूरत ही क्या है, इसका फ्लो तो कम है। यहां 150 होना चाहिए, यहां 200 होना चाहिए, यहां 175 होना चाहिए, जैसा जैसा बताया तो मौटे तौर पर एक तो सैण्ट्रल लाइन का जहां तक प्रश्न है, स्पान कम्पनी के द्वारा सुझायी गयी सैण्ट्रल लाइन का आधार जो 200 फीट चौड़ाई की गयी है, उस पर काफी आबादी बसी हुई है। तो उस आबादी को बचाने के लिए, इसकी सैण्ट्रल लाइन तय करने के लिए भी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया जाना तय किया गया है, एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है। आम जनता व कालोनियों से प्राप्त आब्जेक्शंस पर,

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

आब्जेक्शंस मिले हैं 25-30 आब्जेक्शंस काफी इम्पोर्टेंट हैं जो शार्ट लिस्ट किये गये हैं। जिन आब्जेक्शंस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए वे आब्जेक्शंस भी मेरे पास हैं। तो उन आब्जेक्शंस पर विचार करने के लिए यह एक्सपर्ट की कमेटी सुझाव देगी। वास्तविक बहाव के क्षेत्र को ध्यान में रखकर अभी तक जितने भी आब्जेक्शंस प्राप्त हुए हैं उन पर यह फैसला लेगी। इन सब बातों के लिए समय चाहिए। पुनर्वास की योजना बनेगी, हजारों आदमी आज वहां पर निवास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हजारों आदमियों को बसाने के लिए योजना कोई एक या दो महीने में नहीं बन पाती है। काफी लम्बा समय इसमें लगता है कि किस प्रकार से पुनर्वास उनका किया जा सकता है और कब तक किया जा सकता है।

ठीक इसी तरीके से सैण्ट्रल लाइन का भी, 47 किलोमीटर का नाला है, 47 किलोमीटर के नाले में सैण्ट्रल लाइन जहां डिस्प्यूट नहीं है कोई बात नहीं है लेकिन जहां डिस्प्यूट आता है उसके लिए तय करने के लिए एक्सपर्ट ही उस पर राय दे सकता है।

**श्री उपाध्यक्ष**: आप डिस्टर्ब नहीं हों, एक बात की जानकारी, क्या जो तीस-चालीस साल से वहां बसे हुए हैं उनको हाई कोर्ट ने, कोर्ट ने गवर्नमैंट ने नोटिस दिया है आज दिन तक हटाने के लिए? जो चालीस-चालीस साल से बसे हुए हैं, ऐसे भी केसेज बता रहे हैं, पुराने बसे हुए हैं। इस अहम विषय के लिए उस आधार पर वह कह रहे हैं। उनका और कोई ज्यादा, मेन पाइंट उनका यही है कि जो चालीस साल से बसे हुए हैं, उनका राइट हो ही गया वैसे तो। फिर यह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने उनको नोटिस दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया तो क्या यह कानूनी खामी नहीं है क्या? सरकार क्या करेगी? शालीन भाषा, हालांकि पाकिस्तान का उदाहरण नहीं देना चाहिए, वहां की स्थिति अलग है लेकिन यह शालीन भाषा, शालीन तरीका ला आफ एविडेंस है। यही बात माननीय सदस्य के दिमाग में आ रही है और इसीलिए उन्होंने मन में गम्भीरता से कोई बात सदन के सामने रखी है।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): हां, ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो फरमाया वह भी बिलकुल ठीक है। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जहां पर आबादी बसी हुई है और वह सैण्ट्रल लाइन जो स्पान ने तय की है, अगर वह आबादी में से निकल रही है और बहाव कहीं और है तो हमें

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

उसकी स्थिति को देखकर एक्सपर्ट्स की ओपीनियन लेकर फैसला करना चाहिए। उसमें वक्त लगेगा। इसीलिए हमने यह एक्सपर्ट की कमेटी का गठन करना, रिहैबलिटेशन का प्लान बनाना और रिव्यू पिटीशन पेश करके हाई कोर्ट से समय लेना, ये सब कुछ बातें तय की हैं। मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर पर किसी भी आवासीय निर्माण को जब तक उसका पुनर्वास नहीं हो सकता, तब तक हटाया नहीं जाएगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य परम नवदीप जी, आपको कुछ कहना है क्या? एक मिनट में कोई बात हो विशेष तो आप बता दीजिए। नई बात नहीं।

## अनुरोध एवं मांग

### टिब्बी में 8 घंटे विद्युत की सुनिश्चित अबाध आपूर्ति

**डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह** (संगरिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। माननीय मंत्री महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का टिब्बी इलाका जिसे राइस बैल्ट के नाम से जाना जाता रहा है, यहां पर हम हमेशा आठ घंटे अबाध बिजली देते रहे हैं। पिछली सरकार ने भी दी। यह बात अलग है कि हमारी सरकार ने पिछले काल के अन्दर 1750 मेगावाट बिजली पैदा की, पिछली सरकार ने कुछ नहीं की मात्र 300 । अब हमारा टार्गेट भी बहुत बड़ा है पांच हजार मेगावाट का। आपने उसमें मात्र 1500 का डैफिसिट रखा है, मैं उम्मीद करती हूं, जो हमारा कार्यकाल अभी बचा है उसमें आप यह भी पूर्ति कर लेंगे। जब इतना सब कुछ हम दे रहे हैं, आप कर रहे हैं, पूरे राजस्थान को मेरा यह टिब्बी क्षेत्र राइस देता है, तो यहां क्यों नहीं हम अबाध आठ घंटे बिजली की आपूर्ति करते? मेरा नम्र निवेदन है, मेरे इलाके के किसान भाई जो आपको धान की फसल दे रहे हैं, कृपा करके उन्हें आठ घंटे अबाध बिजली देने का कष्ट करें। साथ में शाम के वक्त जो बिजली कटती है, वो ना कटे। त्यौहारों का समय है, बार-बार अधिकारी यह कह देते हैं कि एलटी कट लग गया, जयपुर से लग जाता है। कृपया अधिकारियों को निर्देशित करें। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि, अधिसूचनाएं। श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

# सदन पटल पर रखे गये पत्र

## अधिसूचना

### वित्त विभाग

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित 53 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.12(5)वित्त/कर/2011-90 दिनांक 21.2.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.12(5)वित्त/कर/2011-91 दिनांक 21.2.2012 जिसके द्वारा निदेशक, विज्ञान प्रौद्योगिकी, राजस्थान द्वारा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, 2011 के लिये खरीदे गये भोजन एवं अन्य सामग्री पर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.2(45)वित्त/कर/09-92 दिनांक 9.3.2012 जिसके द्वारा जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा अपने अंश पूंजी रुपये 29 करोड़ 17 लाख बढ़ाये जाने पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.2(42)वित्त/कर/09-93 दिनांक 12.3.2012 जिसके द्वारा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 से 30 अप्रैल, 2012 के मध्य लिये गये पुराने ऋण एवं नये लिये गये ऋणों के दस्तावेजों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.12(50)वित्त/कर/2011-94 दिनांक 13.3.2012 जिसके द्वारा मैसर्स रिगेन पावरटेक प्रा. लिमिटेड, उदयपुर द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी के उपयोग के लिये राज्य के बाहर से खरीदे गये माल को प्रवेश कर से छूट प्रदान की गई है;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/12-115 दिनांक 26.3.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

7- अधिसूचना संख्या : एफ.2(11)वित्त/कर/12-123 दिनांक 29.3.2012 जिसके द्वारा राजस्थान एक्स सर्विसमैन कारपोरेशन को उनके आर्टिकल आफ एसोसिएशन एवं मेमोरेण्डम एसोसिएशन के दस्तावेज पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.2(62)वित्त/कर/10-9 दिनांक 7.5.2012 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है;

9- अधिसूचना संख्या : एफ.5(1)वित्त/कर/11-10 दिनांक 8.5.2012 जिसके द्वारा भूमि की विभिन्न श्रेणी की बाजार दर निर्धारित की गई है;

10- अधिसूचना संख्या : एफ.4(6)वित्त/कर/11-11 दिनांक 17.5.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(15)वित्त/कर/12-98 दिनांक 26.3.2012 में संशोधन किया गया है;

11- अधिसूचना संख्या: एफ.12(33)वित्त/कर/2012-12 दिनांक 21.6.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(28)वित्त/कर/2007-145 दिनांक 9.3.2012 में संशोधन किया गया है;

12- अधिसूचना संख्या : एफ.2(15)वित्त/कर/2010-13 दिनांक 26.6.2012 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़ द्वारा नॉन कन्वर्टेबल बाण्ड्स पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है;

13- अधिसूचना संख्या : एफ.2(54)वित्त/कर/07-14 दिनांक 26.6.2012 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जारी बाण्ड्स पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है;

14- अधिसूचना संख्या : एफ.2(45)वित्त/कर/09-15 दिनांक 26.6.2012 जिसके द्वारा जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी सेल सर्टिफिकेट पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है;

15- अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2011-16 दिनांक 2.7.2012 जिसके द्वारा मैसर्स श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लि. पाथरेड़ी, अलवर आटो कम्पोन्ट इकाई हेतु राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम, 2010 के अन्तर्गत कस्टमाइज्ड पैकेज स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश जारी किये गये हैं;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

16- अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2011-17 दिनांक 2.7.2012 जिसके द्वारा मैसर्स श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लि. पाथरेड़ी, अलवर को दिनांक 8.2.12 से कतिपय माल के क्रय को प्रवेश कर से छूट प्रदान की गई है;

17- अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2011-18 दिनांक 2.7.2012 जिसके द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010 के तहत कस्टमाइज्ड पैकेज दिये जाने वाली एवं आटोमोबाइल कम्पोनेन्ट्स के निर्माण की पंजीकृत इकाइयों द्वारा निर्मित माल को राज्य के भीतर विक्रय पर कर के संदाय में सशर्त छूट प्रदान की गई है;

18- अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2011-19 दिनांक 2.7.2012 जिसके द्वारा मैसर्स श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लि. पाथरेड़ी, अलवर द्वारा निर्मित किये गये माल को विक्रय करने पर केन्द्रीय विक्रय कर में 0.25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है;

19- अधिसूचना संख्या : एफ.11(1)वित्त/कर/2004-20 दिनांक 5.7.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.11(1)वित्त/कर/2004-22 दिनांक 4.5.2005 में संशोधन किया गया है;

20- अधिसूचना संख्या: एफ.11(1)वित्त/कर/2004-21 दिनांक 5.7.2012 जिसके द्वारा स्पिनफैड की हनुमानगढ़ इकाई के लिये उनके द्वारा देय विद्युत शुल्क में 5 वर्ष के लिये 50 प्रतिशत विद्युत शुल्क की राशि से परिहार किया गया है;

21- अधिसूचना संख्या : एफ.2(27)वित्त/कर/09-22 दिनांक 12.7.2012 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है;

22- अधिसूचना संख्या: एफ.5(1)वित्त/कर/11-23 दिनांक 12.7.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.5(1)वित्त/कर/11-10 दिनांक 8.5.2012 में संशोधन किया गया है;

23- अधिसूचना संख्या : एफ.2(5)वित्त/कर/2009-31 दिनांक 12.7.2012 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के पक्ष में स्टाम्प ड्यूटी छूट प्रदान की गई है;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

24- अधिसूचना संख्या : एफ.2(55)वित्त/कर/12-32 दिनांक 12.7.2012 जिसके द्वारा इन्दिरा आवास योजना और मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के अधीन आबंटित आवासीय स्थल के पट्टा विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस की छूट प्रदान की गई है;

25- अधिसूचना संख्या : एफ.2(55)वित्त/कर/12-33 दिनांक 12.7.2012 जिसके द्वारा इन्दिरा आवास योजना और मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना के अधीन आबंटित आवासीय स्थल के पट्टा विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान की गई है;

26- अधिसूचना संख्या : एफ.2(56)वित्त/कर/2012-34 दिनांक 18.7.2012 जिसके द्वारा उदयपुर सीमेन्ट वर्क्स लिमिटेड को स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

27- अधिसूचना संख्या : एफ.2(88)वित्त/कर/10-35 दिनांक 18.7.2012 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को उनके द्वारा जारी शेयर सर्टिफिकेट पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

28- अधिसूचना संख्या : एफ.2(49)वित्त/कर/12-36 दिनांक 18.7.2012 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम को उनके द्वारा जारी नान एस.एल.आर. बाण्ड पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

29- अधिसूचना संख्या : एफ.12(9)वित्त/कर/2012-38 दिनांक 18.7.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12 (63)वित्त/कर/2005-80 दिनांक 11.8.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

30- अधिसूचना संख्या : एफ.12(31)वित्त/कर/2012-40 दिनांक 18.7.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;

31- अधिसूचना संख्या : एफ.12(31)वित्त/कर/2012-41 दिनांक 18.7.2012 जिसके द्वारा मैसर्स हीरो मोटोकार्प लिमिटेड द्वारा कम किये गये माल पर वैट दर में कमी की गई है;

32- अधिसूचना संख्या : एफ.12(31)वित्त/कर/2012-42 दिनांक 18.7.2012 जिसके द्वारा मैसर्स हीरो मोटोकार्प लिमिटेड द्वारा उपयोग की गई विद्युत पर विद्युत शुल्क में छूट दी गई है;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

33- अधिसूचना संख्या : एफ.12(26)वित्त/कर/2012-44 दिनांक 18.7.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(14)वित्त/कर/2006-136 दिनांक 8.3.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

34- अधिसूचना संख्या : एफ.12(26)वित्त/कर/2012-45 दिनांक 18.7.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;

35- अधिसूचना संख्या : एफ.12(26)वित्त/कर/2012-46 दिनांक 18.7.2012 जिसके द्वारा मैसर्स जेसीबी इंडिया लिमिटेड द्वारा क्रय किये गये माल पर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा-8(3) में कर दर कम की गई है;

36- अधिसूचना संख्या : एफ.12(26)वित्त/कर/2012-47 दिनांक 18.7.2012 जिसके द्वारा मैसर्स जेसीबी इंडिया लिमिटेड द्वारा किये गये विद्युत उपयोग पर विद्युत शुल्क में कमी की गई है;

37- अधिसूचना संख्या : एफ.12(26)वित्त/कर/2012-48 दिनांक 18.7.2012 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा-8(5) के अन्तर्गत मैसर्स जेसीबी इंडिया लिमिटेड द्वारा किये गये विक्रय पर केन्द्रीय विक्रय कर में कमी की गई है;

38- अधिसूचना संख्या : एफ.12(145)वित्त/कर/2011-49 दिनांक 19.7.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;

39- अधिसूचना संख्या : एफ.2(42)वित्त/कर/09-50 दिनांक 26.7.2012 जिसके द्वारा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड या जोधपुर वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के साथ दिनांक 1.5.2012 से 31.3.2013 की अवधि के मध्य विद्यमान उधारों के लिये निष्पादित किये जाने वाले उधार करारी की लिखतों पर प्रभार स्टाम्प ड्यूटी से छूट प्रदान की गई है;

40- अधिसूचना संख्या : एफ.12(18)वित्त/कर/2008-51 दिनांक 26.7.2012 जिसके द्वारा जापानी निवेशकों द्वारा जापानी जोन में निर्मित माल पर केन्द्रीय विक्रय कर दर 0.25 प्रतिशत की गई है;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

41- अधिसूचना संख्या : एफ.2(56)वित्त/कर/12-52 दिनांक 21.8.2012 जिसके द्वारा राजस्थान नगरीय निकाय विभाग अथवा एन्टरप्राइजेज या एजेन्सी आफ दी स्टेट गवर्नमेन्ट द्वारा सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट वेस्ट वाटर/सीवरेज ट्रीटमेन्ट, कामन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट कामन इफ्लूपेंट या डिम्परायार्ड आदि पर देय स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई है;

42- अधिसूचना संख्या : एफ.12(48)वित्त/कर/2012-53 दिनांक 21.8.2012 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची–II में संशोधन किया गया है;

43- अधिसूचना संख्या : एफ.12(48)वित्त/कर/2012-54 दिनांक 21.8.2012 जिसके द्वारा विज्ञापन के डिस्प्ले के लिये प्रयुक्त सामग्री पर वैट में छूट प्रदान की गई है;

44- अधिसूचना संख्या : एफ.12(40)वित्त/कर/2012-55 दिनांक 23.8.2012 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा किसी पंजीकृत ठेकेदार को की गई बिक्री पर देय टैक्स से छूट प्रदान की गई है;

45- अधिसूचना संख्या : एफ.12(40)वित्त/कर/2012-56 दिनांक 23.8.2012 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड़, जयपुर के द्वारा उसके ठेकेदार को विक्रय किये गये माल पर कर में छूट प्रदान की गई है;

46- अधिसूचना संख्या : एफ.12(40)वित्त/कर/2012-57 दिनांक 23.8.2012 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)वित्त/कर/2005-81 दिनांक 11.8.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

47- अधिसूचना संख्या : एफ.12(94)वित्त/कर/2009-58 दिनांक 24.8.2012 जिसके द्वारा रायल राजस्थान आन व्हील्स (पीओडब्लू-II) को विलासिता कर में छूट प्रदान की गई है;

48- अधिसूचना संख्या : एफ.12(153)वित्त/कर/2009-59 दिनांक 12.9.2012 जिसके द्वारा उद्योगों के लिये आरएसटी/सीएसटी स्कीम की शर्तों के भंग करने पर राजस्थान वैट अधिनियम के तहत देय कर में छूट दी गई है;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

49- अधिसूचना संख्या : एफ.12(153)वित्त/कर/2009-60 दिनांक 12.9.2012 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या : एफ.14(8)वित्त/कर/98 दिनांक 7.4.1998 में संशोधन किया गया है;

50- अधिसूचना संख्या : एफ.12(153)वित्त/कर/2009-61 दिनांक 12.9.2012 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.14(8)वित्त/कर/98 दिनांक 7.4.1998 में संशोधन किया गया है;

51- अधिसूचना संख्या : एफ.12(102)वित्त/कर/09पार्ट-62 दिनांक 12.9.2012 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2005-37 दिनांक 6.5.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

52- अधिसूचना संख्या : एफ.12(102)वित्त/कर/09पार्ट-63 दिनांक 12.9.2012 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2005-39 दिनांक 6.5.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है; एवं

53- अधिसूचना संख्या : एफ.12(156)वित्त/कर/2009-64 दिनांक 28.9.2012 जिसके द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या : एफ.12(156) वित्त/कर/09-58 दिनांक 3.11.2009 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, पंचायत राज मंत्री पंचायत राज विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

## पंचायती राज विभाग

**श्री महेन्द्र जीत सिंह** (जनजातीय क्षेत्र विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या : एफ.(7)एम/रूल्स/लीगल/पीआर/2012/930 दिनांक 2 मई, 2012, जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्रीमती ममता भूपेश, सदस्य महिला एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति वर्ष 2012-13 समिति के 23वें एवं 24वें प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगी।

# समिति प्रतिवेदन

## महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति वर्ष 2012-13

## (संख्या 23 व 24)

**श्रीमती ममता भूपेश** (सिकराय): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2012-13 समिति के 23वें एवं 24वें प्रतिवेदनों का उपस्थापन करती हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: वित्तीय कार्य। अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) वर्ष 2012-13 एवं अतिरेक मांगें वर्ष 2008-2009 पर मतदान एवं पारण।

# मुखबंद

## अनुपूरक अनुदान की मांगों (प्रथम संकलन) वर्ष 2012-13 का पारण

### मांग संख्या-1

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 1- राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,000/- (बीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

### मांग संख्या-3

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3- सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

### मांग संख्या-5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5- प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने

(श्री उपाध्यक्ष)

वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,000/- (बीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-7**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 1- निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-12**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12- अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-14**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14- बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/- (चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-20**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20- आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-23**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23- श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,00,07,000/- (तीन करोड़ सात हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-24**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 33,000/- (तैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-26**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-27**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27- पेयजल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,98,61,000/- (दस करोड़ अठानवें लाख इकसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-28**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28- ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,40,81,00,000/- (एक अरब चालीस करोड़ इक्यासी लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-29**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 24,46,44,,000/- (चौबीस करोड़ छियालीस लाख चवालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-30**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30- जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,80,09,000/-(दो करोड़ अस्सी लाख नौ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-32**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32- नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-33**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,00,19,000/- (छह करोड़ उन्नीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-36**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36- सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,34,99,99,000/- (एक अरब चौंतीस करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?'

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-37**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37- कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 81,70,000/- (इक्यासी लाख सत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-41**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41- सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,54,02,000/- (पच्चीस करोड़ चौवन लाख दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

**मांग संख्या-42**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42- उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,000/- (छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-43**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43- खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,00,000/- (दस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-46**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46- सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,000/- (तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-47**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47- पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

**मांग संख्या-48**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48- विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/- (चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-51**

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,10,66,000/- (तीन करोड़ दस लाख छियासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?'

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

## अतिरेक मांगों वर्ष 2008-09 का पारण

**मांग संख्या-9**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 9- वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,82,65,906/-(पांच करोड़ बयासी लाख पैंसठ हजार नौ सौ छह) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-11**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 11- विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,03,64,463/- (एक करोड़ तीन लाख चौंसठ हजार चार सौ तिरसठ) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

**मांग संख्या-16**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 16- पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 36,41,75,115/- (छत्तीस करोड़ इकतालीस लाख पचहत्तर हजार एक सौ पन्द्रह) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-19**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 19- लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,46,57,947/- (नौ करोड़ छियालीस लाख सत्तावन हजार नौ सौ सैंतालीस) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-20**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 20- आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,55,284/- (चौदह लाख पचपन हजार दो सौ चौरासी) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-21**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 21- सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,19,25,69,359/- (एक अरब उन्नीस करोड़ पच्चीस लाख उनहत्तर हजार तीन सौ उनसठ) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

**मांग संख्या-24**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 24- शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,71,64,53,424/- (एक अरब इकहत्तर करोड़ चौंसठ लाख तिरेपन हजार चार सौ चौबीस) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-26**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 26- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,75,45,682/- (आठ करोड़ पचहत्तर लाख पैंतालीस हजार छह सौ बयासी) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-27**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 27- पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 91,35,09,642/- (इक्यानवे करोड़ पैंतीस लाख नौ हजार छह सौ बयालीस) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

**मांग संख्या-45**

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या 45- सरकारी कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 61,157/- (इकसठ हजार एक सौ सत्तावन) तक की राशि और प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री उपाध्यक्ष)

# विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

## राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2012

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

# विधेयक पर विचार

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: कोई बोलना है?

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

**खण्डश: विचार**

खण्ड-2 व 3- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 व 3 स्वीकार किये जाएं?

(श्री उपाध्यक्ष)

**(स्वीकृत)**

खण्ड-2 व 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- कोई संशोधन नहीं

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

## विधेयक का पारण

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: कोई सदस्य?

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष तौर से उस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो राजस्थान में अफीम की खेती करते हैं उन किसानों को केन्द्र सरकार पट्टा देती है, लेकिन डोडा, पोस्त खरीदने का जो ठेका राजस्थान सरकार ने दिया है, इसमें एक तरह की लूट वे किसानों से कर रहे हैं। 1 क्विंटल की बजाय 1 क्विंटल 8 किलो, बोरी के नाम से 8 किलो चूरा अधिक तौल रहे हैं। जो सरकार ने उनको रेट तय करके दी 125 रुपया, उसकी बजाय केवल 100 रुपये का भुगतान कर रहे हैं और 25 रुपया आज भी ठेकेदार खा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह सरकार की इनकम है। किसान बड़ी मुश्किल से अफीम की खेती करता है। जो रेट थी, वही 10 साल से रेट है। बाकी किसान की उत्पादन की रेटें खाद हो, डीजल हो, सबकी बहुत तेजी से बढ़ी हैं। लेकिन उसकी रेट वही जो कुछ सरकार तय कर रही है, वह भी उनको पूरी नहीं मिल रही है। बोरी के नाम पर 8 किलो चूरा लेने का काम ठेकेदार कर रहे हैं, काश्तकारों की चूंकि मजबूरी है, जुलाई के आखिरी तक उनको तुलाना पड़ता है। अगर वे 31 जुलाई तक नहीं तुलाते हैं तो उन पर एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज होता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उन काश्तकारों के साथ जो लूट हो रही है, हमारे मंत्रीजी उनकी जांच कराएं

(श्री अमराराम)

और जिस भी ठेकेदार ने इस तरह का कृत्य किया है उसके खिलाफ कार्यवाही करें। और किसानों को भुगतान कराने का काम करेंगे। हम 125 रुपये में खरीद रहे हैं, आम उपभोक्ता जो पोस्त का आदी है, उसको हम 600 रुपये में दे रहे हैं। मेरा निवेदन है कि 125 में खरीदते हैं तो डबल से ज्यादा कीमत आम उपभोक्ता जो इसका एडिक्ट है, उससे नहीं ली जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय मंत्रीजी।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपके विचार सम्बन्धित विभाग के मंत्रीजी को बता दूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2012 को पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान विनियोग (संख्या-6) विधेयक, 2012 पारित किया गया।

# विधेयक का पुर:स्थापन

## राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2012

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2012 को पुर:स्थापित करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

# विधेयक पर विचार

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

**खण्डश: विचार**

खण्ड-2- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- कोई संशोधन नहीं

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

# विधेयक का पारण

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय अमरारामजी को धन्यवाद।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2012 को पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2012 पारित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

# विधेयक पर विचार

## राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री घनश्याम तिवाड़ी। श्री घनश्याम तिवाड़ी (अनुपस्थित)।

श्री ओम बिरला। श्री ओम बिरला (अनुपस्थित)।

श्री गुलाब चन्द कटारिया। श्री गुलाब चन्द कटारिया (अनुपस्थित)।

श्री राजेन्द्र राठौड़। श्री राजेन्द्र राठौड़ (अनुपस्थित)।

डा. दिगम्बर सिंह। डा. दिगम्बर सिंह (अनुपस्थित)।

श्री रोहिताश्व कुमार। श्री रोहिताश्व कुमार (अनुपस्थित)।

श्री पेमाराम। उपस्थित। (व्यवधान) आपके साथी तो बोले नहीं कोई।

**श्री पेमाराम** (धोद): वह तो खैर मिलीभगत है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 लेकर जो सरकार आई है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार विधेयक तो लेकर आई है लेकिन अधिवक्ताओं का कल्याण करने के बजाय राजस्थान की जनता को लूटने के लिए जो अदालतों में जा रहे हैं, जो परेशानी में हैं, जो संकटग्रस्त हैं, जिनको अदालतों में अपनी फरियाद लेकर जाना पड़ता है। कायदा तो यह था कि राजस्थान की जनता को राहत देने के लिए, अधिवक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार कानून लाती लेकिन इस कानून के माध्यम से जहां फरियादी को पहले 10 रुपये की फीस देनी पड़ती थी, अब राजस्थान की सरकार नाम कल्याण का ले रही है और काम गला काटने का करेगी। पहले 10 रुपये की फीस देनी पड़ती थी उसको बढ़ाकर दुगना ही नहीं किया, ढाई गुना, 25 रुपये। कोई फरियादी गरीब आदमी जो अपनी फरियाद लेकर जाएगा, सरकार एक तरफ तो तरह-तरह के कानून कायदे लाकर वाहवाही लूटने की बात करती है कि जन सुनवाई कानून ले आये, फलां कानून ले आये, अभी अधिवक्ताओं के कल्याण का कानून ले आये,

(श्री पेमाराम)

अधिवक्ताओं के कल्याण के कानून में उनका पैसा बढ़ाने की सरकार ने लम्बी लिस्ट दी है कि जो पुरानी रेट थी उसको बढ़ाकर हम ज्यादा करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा बेहतर होता कि राजस्थान की सरकार अपना कोई अंशदान उसमें करती। राजस्थान की सरकार अपने हिस्से का कोई एक नया पैसा भी जमा नहीं कराएगी, सारा का सारा पैसा जो भी आएगा, जनता की जेब पर डाका डालकर लाएगी। वकीलों के कल्याण के बारे में यह विधेयक लेकर आई है।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि सरकार इसमें राजीव गांधी अधिवक्ता प्रशिक्षण योजना की तर्ज पर राज्य में भी सरकारी खर्चे पर जो नये वकील बनकर आ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए कोई प्रशिक्षण शिविर की व्यवस्था करती और उसका खर्चा राज्य सरकार उठाती तो समझ में आता कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार कोई कानून लेकर आई है। समझ में आता कि राजस्थान में कानून का शासन स्थापित करने के लिए सरकार प्रयासरत है। लेकिन सरकार यह करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार वकीलों के बैठने के लिए सीटों की व्यवस्था करती, उनकी लाइब्रेरी के लिए व्यवस्था करती। यह काम करने की सरकार को फुर्सत नहीं है। सरकार तो कानून बनाकर जनता के हवाले छोड़ दे, कानून का नाम कल्याणकारी होगा और कानून का काम जनता की जेब पर डाका डालने का।

उपाध्यक्ष महोदय, नए वकील जो आ रहे हैं, यदि राजस्थान की सरकार भी संवेदनशील होती तो इनको अध्ययन करवाना चाहिए था कर्नाटक की तर्ज पर। कर्नाटक में 5 हजार रुपए जो स्टाइपेण्ड दिया जा रहा है, यदि राजस्थान में भी वह लागू करती तो शायद समझ में आता कि सरकार कल्याण करने की योजना लेकर आई है। (व्यवधान) बोल तो दूं, पर करेगी तो सरकार।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जनता की जेब पर डाका डालने के लिए कानून लेकर आई है लेकिन मैं मेरी बात तो रखूं। वाकई में फरियादी के साथ सरकार जो अन्याय करने जा रही है, वह निश्चित तौर पर गलत है। जो साधारण प्रीमियम भी 50 हजार रुपए था, अभी आप भाषण देंगे कि वकीलों को यह बढ़ाकर देंगे, मगर उस भाषण में सरकार यह भी कहे कि राजस्थान सरकार के हिस्से से इतना अंशदान भी मिलेगा तो मैं समझूंगा कि इस कानून का औचित्य है। वरना मैं समझता हूं कि इस कानून से राजस्थान की जनता

(श्री पेमाराम)

की जेब पर दो गुणा नहीं, ढाई गुणा डाका डालने का काम, जनता को लूटने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। इस कानून की मेरी समझ में कोई आवश्यकता नहीं है, धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय श्री अमरारामजी।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 में आपने बाकी जो बढ़ाया है गम्भीर बीमारियों, असामयिक निधन पर, वह बात ठीक है, लेकिन इसमें वकालतनामे पर फीस जो पहले 2 रुपये लगती थी उसको बढ़ाते-बढ़ाते 10 रुपये तक ले आये और इस कानून में उसको सीधा 10 से 25 कर रहे हैं, वह भी सब न्यायालयों में। मतलब मुंसिफ न्यायालय में भी वही होगा और हाई कोर्ट में भी वही होगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि यह एकदम से ढाई गुणा जो बढ़ा रहे हैं, ठीक है पैसे का अवमूल्यन हुआ है, महंगाई बढ़ी है, बाकी चीजें आपने अधिवक्ताओं के लिए की हैं वे स्वागत योग्य हैं, लेकिन आम आदमी पर वकालतनामे पर टिकट की फीस जो बढ़ाई है, वह मैं समझता हूं कि न्यायोचित नहीं है, इसलिए इसको 25 रुपये की जगह 10 रुपये ही रखा जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय श्री पवन दुग्गल। धन्यवाद।

प्रभारी मंत्री।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन आया है, यह मोटे तौर पर अधिवक्ताओं के हितार्थ लाया गया है। कल्याण कोष की राशि बढ़े और ज्यादा से ज्यादा राशि हारी-बीमारी के वक्त में या रिटायरमेंट के वक्त में अधिवक्ताओं को प्राप्त हो सके, इसीलिए यह सब कुछ किया गया है। आज वैसे देखा जाए तो 10 रुपये की फीस कोई मायने नहीं रखती है इसीलिए इसको बढ़ाकर 25 रुपये किया गया है। जहां तक, माननीय सदस्य आपका और पेमारामजी का इसमें सवाल था कि सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है, निश्चित तौर पर सरकार का योगदान वहीं हो जाता है जहां पर दूसरों से पैसे लेकर वह किसी कल्याण कोष में रखती है। यह सरकार की इच्छा थी कि इस कल्याण कोष को किस तरीके से बढ़ाया जाए। अब इसमें दो-तीन संशोधन किए गए हैं। पहले तो यह था कि 45 वर्ष की आयु के पश्चात् कोई अधिवक्ता सदस्य नहीं बन सकता था। अब इसको भी हटा दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो 45 साल से ज्यादा के

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

हैं, वे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से जो अधिवक्ताओं द्वारा अभिदान दिया जाता था, उसको भी बढ़ाया गया है ताकि कल्याण कोष में ज्यादा रकम आ जाए हारी-बीमारी के वक्त के लिए चाहे वह एड्स हो, ओपन हार्ट सर्जरी हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, एंजियोग्राफी हो, वगैरह-वगैरह, इनमें भी बढ़ाकर पैसा दिए जाने का जो किया गया है, उनकी कल्याण निधि को समृद्ध बनाने के लिए ही यह संशोधन लाया गया है। मैं समझता हूं कि यह संशोधन अधिवक्ताओं के हित में है, इसको पारित किया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

**(अस्वीकृत)**

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

**खण्डश: विचार।**

खण्ड-2 से 9-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 9 स्वीकार किए जाएं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड- 2 से 9- स्वीकार किये गये।

खण्ड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

...(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्य भंवरलालजी मेघवाल, बैठकर बोलना, यह आसन के प्रति ही नहीं, सदन के प्रति भी ठीक नहीं है। अच्छा संदेश नहीं जाता है।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): दूसरा काम नहीं है अब इनके पास, खाली बैठे हैं अब। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेनिंग दिलाओ पहले।

**श्री उपाध्यक्ष**: आपको और भंवरलालजी को ट्रेनिंग दिलाई गई तो फिर औरों का क्या रहेगा? आसन कहां रहेगा? वैसे बेनीवाल साहब आ गये हैं इसलिए ...(व्यवधान)...

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

## विधेयक का पारण

श्री शांतीकुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

**श्री शांती कुमार धारीवाल** (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: कोई बोलना चाहते हैं? माननीय बेनीवालजी?

प्रश्न यह है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाए?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया गया।

## विधेयक पर विचार

### राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक, 2012

श्री अशोक बैरवा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: कोई जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव करेंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया – अनुपस्थित।

श्री राजेन्द्र राठौड़ – अनुपस्थित।

डा. दिगम्बर सिंह – अनुपस्थित।

श्री रोहिताश्व कुमार – अनुपस्थित।

श्री ओम बिरला – अनुपस्थित।

श्री अमराराम।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक, 2012, इस प्रदेश और देश में बहुत-सी जातियां हैं, भिन्न-भिन्न धर्मों के लोग- हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, लेकिन फख्र के साथ एक ऐसी कौम जो सिख है, चाहे स्वर्ण मन्दिर अमृतसर में आप चले जाएं, वहां एक भी भिखारी आपको नहीं मिलेगा। कानून लेकर आए हैं, यह कानून बनाया जाए, लेकिन लोगों में इस बात की अवेयरनैस पैदा की जाए कि ऐसे लोग कोई भी काम करने के लिए तैयार हों, शारीरिक मेहनत करने के लिए तैयार हों। पढ़े हुए लोग शारीरिक मेहनत को हेय दृष्टि से देखते हैं। हमारे समाज ने शारीरिक श्रम से जो हेय दृष्टि पैदा की है इसको दूर करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। इसी देश में सिख जाति का कोई भी व्यक्ति आज आपको भिक्षा वृति करता हुआ नहीं मिलेगा। तो जब एक जाति में नहीं है तो बाकी लोगों में क्यों नहीं? हिन्दू धर्म के धार्मिक स्थल हैं चाहे मुस्लिम धर्म के हैं, इतने लोग उनके सामने भिखारी के रूप में मिलते हैं, मैं समझता हूं, इस कानून के साथ- साथ सामाजिक जाग्रति और एहसास कराने का काम जब तक हम राजनीति में काम करने वाले लोग जिनकी जिम्मेदारी है, नहीं करेंगे, केवल कानून बनाने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए निश्चित रूप से इसके लिए हो। जो निर्धन लोग हैं उनकी जिम्मेदारी सरकार की है कि उनका पुनर्वास करने के लिए कार्य करें जिससे इसका जो उद्देश्य है वह पूर्ण हो सके। यह निश्चित रूप से किया जाना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय श्री पवन दुग्गल।

**श्री पवन कुमार दुग्गल** (अनूपगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक, 2012 अभी सदन में लाया गया है, बड़े अफसोस की बात है, लेकिन देर आये, दुरुस्त आये। आज भी प्रदेश के अन्दर एक लाख से ज्यादा इनकी संख्या है। यह सरकारी आंकड़ा है। अब यह विधेयक तो लेकर आये हैं मगर इस विधेयक के अन्दर उन लोगों का सलेक्शन कैसे होगा, किनको भिखारी माना जाए? जो इन्होंने नार्म्स यहां लिखे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उसके अनुसार तो भिक्षावृत्ति करने वाले और जिसको ये निर्धन कहते हैं, उसका कोई नार्म्स तय नहीं हो पा रहे हैं। इन्होंने लिखा है विकलांग, चाहे वह शारीरिक रूप से ठीक-ठाक हो, ऐसी परिस्थितियों के अन्दर हमारा यह मानना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि बहुत बड़े राजनीति प्लेटफार्म की तरह जब तक इसका खूब सारा प्रचार-प्रसार नहीं होगा, तब तक यह विधेयक यहां पास कराना मैं समझता हूं, कोई बहुत बड़ा कानून लाकर सुधार नहीं होने वाला है। आप रेलवे स्टेशन के पास जाइए, वहां झुग्गी झोंपड़ियों के अन्दर क्या हालात हैं। बस अड्डों के पास जाइए, वहां किस प्रकार से लोग भिखारी भिक्षावृत्ति से अपने परिवार का जीवन-यापन कर रहे हैं। फिर इन्होंने पुनर्वास के लिए आवास की जगह के सलेक्शन की बात कही है, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें वह कितने दिन रहेगा और किसका ये सलेक्शन करके लेकर आएंगे? जब तक इनको सीमित करने के मापदंड निर्धारित नहीं करें, इनकी शिक्षा के आगे प्रावधान नहीं करें, फिर इनके स्थाई आवास का प्रावधान नहीं करें तो इस प्रकार के विधेयक को लाने का यहां कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। इन्होंने कहा है दो महीने रहेगा, सक्षम अधिकारी छह महीने रहेगा, छह महीनों में आप उसका क्या सुधार कर दोगे? आप स्थायित्व की बात अगर करना चाहते हो तो इस विधेयक का फायदा उन भिखारियों को और उन गरीब लोगों को हो सकता है, अदरवाइज तो कोई संभावना ही नहीं है।

दूसरा, इसमें, उपाध्यक्ष महोदय, कहा गया है कि इस प्रकार से जो इनका सलेक्शन करेंगे, परोपकारी संस्थाएं निर्धन व्यक्तियों की देखभाल करेंगी। अगर परोपकारी संस्थाएं निर्धनों का देखभाल करेंगी तो ये किसलिए विधेयक लेकर आ रहे हैं? ये तो संस्थाएं आलरेडी कर रही हैं। जिन संस्थाओं की जैसी मानसिकता है, वे तो अपना सुधार करने का प्रयास कर रही हैं। सरकार का इस प्रकार का जो सहारा है, वह उन्हीं के ऊपर फिर सौंप रहे हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश के अन्दर लाखों की तादाद के अन्दर गरीब लोग, निर्धन लोग

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

जिनको सरकार माने, विधान सभा तक आ जाएं, और जिनकी संख्या लाखों में हो, तो मैं समझता हूं यह बहुत बड़ा लोकतंत्र के लिए भी अभिशाप है। इसलिए न केवल उनको स्थायित्व दिया जाए, उनकी शिक्षा का प्रावधान भी किया जाए। उनके परिवारों को देखो तो सही कम से कम कि वे किस परिवार से हैं, किस जाति से हैं। आखिरकार उनकी कौन-सी पृष्ठभूमि है जिसकी वजह से वे भिक्षावृति के अन्दर लिप्त हैं। इन सब बातों के बारे में चर्चा करके, विस्तृत चर्चा करके अगर इस विधेयक को पास करवाया जाए तो ही, उपाध्यक्ष महोदय, सही होगा, वर्ना तो मैं समझता हूं कि यह कानून कानून बनकर रह जाएगा। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय श्री पेमाराम।

**श्री पेमाराम** (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भिखारी और निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास का विधेयक जो सरकार लाना चाह रही है, मैं आपका ध्यान इस विधेयक की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: आज कोई नई बात बताओ, पेमाराम जी।

**श्री पेमाराम** (धोद): हां, बिलकुल नई। बिलकुल नई, आपको भी अफसोस होगा। सोचना यह पड़ेगा कि राजस्थान में भिखारी और निर्धन व्यक्ति आये कहां से। उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेज यहां पर शासन करते थे सन् 1947 से पहले, उस दौरान हमारे देश के अनेकों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां देकर हिन्दुस्तान को आजाद करवाया था। वह इसलिए करवाया था, उनकी भावनाएं थीं भगत सिंह जैसे लोगों की, मैं एक एक का नाम नहीं गिनाना चाहता, अनगिनत लोग जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी में अपनी कुर्बानियां दीं, कि शायद भारत देश आजाद होगा, आजाद भारत में इस धरती पर पैदा होगा उस बच्चे को शिक्षा मिलेगी, उसके दो हाथों को काम मिलेगा, मजदूर का विकास होगा, मजदूर को काम मिलेगा, किसान के खेत को पानी मिलेगा, स्वर्ग धरती पर आएगा, इस धरती पर पैदा होने वाले को स्वर्ग की जिन्दगी जीने का हक होगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: राम राज्य होगा।

**श्री पेमाराम** (धोद): वह सब कुछ होगा। प्रजातंत्र भी आया, उपाध्यक्ष महोदय, लोगों ने सरकारें चलाई हैं, यह सरकारों की नीतियों का परिणाम है कि निर्धन व्यक्ति निर्धन होता गया, अमीर अमीर बनता गया, गरीब गरीब बनता गया, भिखारी बनता गया। उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो सन् 1947

(श्री पेमाराम)

से लेकर आज तक जिन्होंने सत्ता चलाई है, गलत नीतियां बनाकर लुटेरों को लूटने के लिए छूट दी है और गरीब के पेट पर लात मारने का काम किया है। सरकारों की नीतियां जिम्मेदार हैं ...(व्यवधान) सवाल बंगाल और बिहार का नहीं है, भाई। कानून, राजस्थान की विधान सभा में बैठे हैं आप, राजस्थान की विधान सभा में पेश करना चाह रहे हो। बंगाल की बात कर रहे हो तो बंगाल की बात कर लो। है आपमें से कोई? इंदिरा मैया भी लगातार नहीं जीत पाई। इस लोकतंत्र में वोट की ताकत पर 24 साल तक मुख्य मंत्री की गद्दी पर रहने वाला कोई है तो वो बंगाल का लाल ज्योति बसु है। है आप में से कोई? है गांधी जी के चेलों में कोई? बंगाल की बात करते हो, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। मैं राजस्थान के निर्धन और भिखारियों के सवाल पर जो कानून.....

**(14.00 बजे)**

**श्री उपाध्यक्ष**: आप समाप्त करो अपनी बात।

**श्री रतन देसाई उर्फ देवासी** (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष जी, इन्होंने गांधी के चेले कहा, मेरे खयाल से वह शब्द आना नहीं चाहिए, वह एक्सपंज होना चाहिए। (व्यवधान) उनकी बात नहीं आनी चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष**: गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, अगर कोई अपशब्द हुआ तो एक्सपंज हो जाएगा। लेकिन आप अपनी बात तक सीमित रहो।

**श्री पेमाराम** (धोद): विधान सभा में है, नोट पर है गांधी जी की तस्वीर और आप गांधी जी के नाम से इतने...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य, वो तो वैस्ट बंगाल में भी लगती थी, सब लगती थी। पर आप तो इस मामले में भिखारियों का जो नियम है, क्या होना चाहिए, अपने तक लिमिटेड रखो। और कितना मिनट बोलना चाहिए वो.... (व्यवधान) क्या फायदा?

**श्री अलाउद्दीन आजाद** (सवाई माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, बंगाल में सबसे ज्यादा भिखारी हैं।

**श्री उपाध्यक्ष**: ये राजस्थान विधान सभा के सदस्य हैं, आप विराजिए। (व्यवधान)

**श्री पेमाराम** (धोद): वो बंगाल की विधान सभा सोचेगी। हम राजस्थान के लोगों के बारे में कानून बना रहे हैं। (व्यवधान) यह कानून बंगाल के बारे में थोड़े ही लागू होगा!

**श्री उपाध्यक्ष**: इस राज्य के लोगों के बारे में है, ये राजस्थान विधान सभा के सदस्य हैं। आप राजस्थान विधान सभा के सदस्य हैं।

**श्री पेमाराम** (धोद): मैं राजस्थान के बारे में बोल रहा हूं, बिलकुल ठीक बोल रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: अब इनको ज्ञान है सब जगह का तो आप क्यों कर रहे हो? आप कहने दो। अपने सजेशन दे रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री पेमाराम** (धोद): ये निर्धन व्यक्ति बनाना, ये भिखारी बनाना....

**श्री उपाध्यक्ष**: यह बनाना नहीं, भिखारियों के लिए क्या किया जाए, यह कहिए आप तो। नियम यह है।

**श्री पेमाराम** (धोद): अब गहराई में जाना पड़ेगा, गहराई में यदि नहीं जाएंगे, नींव में यदि नहीं जाएंगे तो बिल्डिंग नहीं बनेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यदि कोई मकान भी बनाते हैं तो पहले उसकी गहराई तक नींव जब तक मजबूत नहीं होगी, मकान गिर जाएगा।

**श्री उपाध्यक्ष**: धन्यवाद।

**श्री पेमाराम** (धोद): वो कानून फेल हो जाएगा इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इसकी गहराई में, तह तक जो मेरी बात है वह मैं कहूं। मेरा कहना यह है कि राजस्थान में जो निर्धनता, गरीबी है वो सरकार की नीतियों का परिणाम है।

**श्री उपाध्यक्ष**: माननीय सदस्य।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): जो मंत्री हट गये उनकी तरफ इशारा है क्या?

**श्री उपाध्यक्ष**: आप इनके बाद बोल लीजिए।

**श्री पेमाराम** (धोद): नहीं, मेरा सोच इसमें यह है कि इस समस्या का कोई कानून बनाने से समाधान नहीं हो सकता, इसके लिए समाज में जाग्रति लाने की आवश्यकता है।

**श्री उपाध्यक्ष**: धन्यवाद।

**श्री पेमाराम** (धोद): धन्यवाद नहीं, साहब, मेरी बात तो कहूं। मैंने संशोधन की सूचना इसीलिए दी है।

**श्री उपाध्यक्ष**: आपकी समय सीमा निश्चित है।

**श्री पेमाराम** (धोद): समय सीमा तो है, साहब, पर यह कानून बन रहा है और इसमें कोई समय सीमा नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष**: बोलना भी कानून में है।

**श्री पेमाराम** (धोद): बोल रहा हूं मैं। कानून के बारे में जब बोल रहा हूं तो दिक्कत कहां है साहब? (व्यवधान)

**श्री सी.एल. प्रेमी** (केशवरायपाटन): इनसे यह पूछ लें कि भिखारी की परिभाषा क्या है। (व्यवधान)

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): आप इससे-इससे क्या कह रहे हो? प्रेमी साहब, यह क्या कह रहे हो? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: आप गलत नम्बर डायल नहीं करें।

**श्री पेमाराम** (धोद): मेरा कहना यह है कि चाहे निर्धन व्यक्ति हो, चाहे भिखारी हो, ज्यादातर सरकार की नीतियों का परिणाम है। सरकार को अपनी नीतियां बदलकर, क्योंकि आजाद भारत में आज भी जिस तरह से दो तरह की जिन्दगी बना दी....

**श्री उपाध्यक्ष**: अब आप समाप्त करें। आप अच्छी-अच्छी बात कहते-कहते उस बात पर चले गये जिसका कोई मतलब नहीं है।

**श्री पेमाराम** (धोद): अच्छी बात ही कह रहा हूं, साहब। बढ़िया बात कह रहा हूं, इस कानून के बारे में ही कह रहा हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**: धन्यवाद। अब आपकी बात का जवाब आ जाने दो पहले। आप विराजिए।

**श्री पेमाराम** (धोद): इस कानून के बारे में ही कह रहा हूं, साहब। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि आज भी भारत देश में पैदा होने वाले, राजस्थान में पैदा होने वाले के लिए दो तरह की शिक्षा व्यवस्था बना दी। एक सरकारी स्कूल जहां मास्टर नहीं है, एक वो जहां अमीर का बेटा पढ़ेगा। दो तरह का सिस्टम कर दिया। दो तरह के अस्पताल कर दिये। निर्धन व्यक्ति के लिए तो सरकार सारी की सारी वो ही नीतियां बना रही है... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: धन्यवाद दे रहे हैं। ये तो धन्यवाद दे रहे हैं सरकार को, आप विरोध क्यों कर रहे हो? आप विरोध क्यों कर रहे हो? (व्यवधान) दवाई का, शिक्षा का, धन्यवाद दे रहे हैं।

**श्री पेमाराम** (धोद): आपके पल्ले नहीं पड़ा।

**श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया** (चूरू): सरकार ने दवाई फ्री, सबकी फ्री, जानवरों की भी फ्री। (व्यवधान) पशुओं के लिए भी फ्री। जच्चे-बच्चे के लिए भी फ्री। कहां कितना परिवर्तन किया हमने!

**श्री उपाध्यक्ष**: बात तो समझिये। (व्यवधान)

**श्री पेमाराम** (धोद): कोशिश करो आप समझने की। (व्यवधान) पल्ले नहीं पड़ा आपके।

**श्री उपाध्यक्ष**: आप विराजिए। एक सदस्य को दूसरे सदस्य का सम्मान करना चाहिए। वो माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

**श्री पेमाराम** (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि निर्धन व्यक्ति या भिखारी के पुनर्वास के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। उनकी शिक्षा के बारे में खर्चा करे....

**श्री उपाध्यक्ष**: धन्यवाद। अभी मंत्रीजी बताएंगे कि क्या-क्या कर रहे हैं।

**श्री पेमाराम** (धोद): यह कानून पढ़ लिया न, यह प्रस्ताव है। सरकार उनके आवास के लिए जमीन दे। आज कोई निर्धन व्यक्ति गांव के जोहड़े में भी यदि झोंपड़ी बनाकर रह जाता है तो सरकार उसको आबादी में नहीं काटती। इसलिए उसके मकान बनाने के लिए कोई व्यवस्था करे। जब तक हम उसको समाज की मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, समाज में उसको सम्मिलित नहीं करेंगे, हम भी हेय दृष्टि से देख पाएंगे। इसलिए यह वातावरण बनाने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वातावरण बनाने में सरकार की नीतियां प्रमुखता के साथ हैं। सरकार अब भी अमीर को अमीर बनाने की नीति पर चलेगी तो निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान इस कानून से नहीं हो सकता, यही मुझे कहना है, धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष**: उम्मीद है, तीनों की बात का ध्यान सरकार रखेगी। माननीय बेनीवाल जी, आपको कुछ बोलना है? बेनीवाल जी हाथ खड़ा कर रहे हैं।

**श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): मैं कह रहा हूं कि इसमें भी कोई आरक्षण की व्यवस्था है क्या भिखारियों में?

**श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक आज सदन में लाया गया है और माननीय सदस्यों ने सुझावों से अपनी बात रखी है। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रयास, हमारा कदम, इस सरकार की सोच गरीबों के लिए, निर्धनों के लिए, दरिद्रों के लिए, भिखारियों के लिए है जिनकी आज दिन तक किसी ने सुध नहीं ली है। उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनका पुनर्वास करने के

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

लिए, भिक्षावृत्ति से उनको दूर करने के लिए। कोई भिक्षावृत्ति नहीं करें और जीवन में सम्मान के साथ जीए। उनके रिहैबिलिटेशन का काम इस विधेयक के जरिए एक कानून बनाकर करने की सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति जाहिर की है। अब माननीय सदस्य बता रहे हैं कि ये भिखारी आये कहां से। जिस स्टेट में 25 साल से जिस सरकार ने राज किया, आधे से ज्यादा भिखारी तो वहीं से आ रहे हैं। बाकी उनको देखते-देखते यह भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति बढ़ी है। कुछ बीमारी की वजह से, कुछ मानसिक विमंदित होने की वजह से, कुछ आप जैसे लोगों ने उनकी सुध नहीं ली उससे बढ़ी है। आज सरकार ने प्रयास किया है और अपनी इच्छा शक्ति के दम पर यह कानून लाकर हम यह बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार सब वर्गों के लिए सोचती है, आमजन के लिए सोचती है। गरीबों के लिए, दीन-हीन के लिए सोचती है। राजस्थान में इतनी बड़ी योजना हम लेकर आये- मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना जिसके माध्यम से गरीब जाए चाहे अमीर जाए, उन सबका इलाज करा रहे हैं। हमने 15 अगस्त से पशुओं के लिए दवाई नि:शुल्क की जो बोलता नहीं, मूक बधिर प्राणी है।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): बंगाल में तो हमने भिखारी पैदा किये, राजस्थान में तो 75 तक आपने ही पैदा किये?

**श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): नहीं, नहीं, सर्वे हमने कराया है।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): आज तक भिखारी और गरीब आदमी राजस्थान में तो एक ही नहीं है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: आप बंगाल में क्या हो? आप राजस्थान के हैं। यह बंगाल बीच में कैसे आ गया राजस्थान के।

**श्री पेमाराम** (धोद): मंत्रीजी कह रहे हैं।

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): देश में और प्रदेश में 75 तक राज किया तब तक गरीबी तो मिटा दी आपने? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, 1952 से लेकर 1977 तक कांग्रेस की देश में, प्रदेश में सरकार थी।

**श्री उपाध्यक्ष**: आप एक मिनट विराजिए। हम बाहर के व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते तो बाहर के प्रदेश का नाम क्यों ले रहे हो आप?

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): उन्होंने गरीबी मिटा दी तो फिर भिखारी कहां से आ गये? हमने तो बंगाल में 34 साल किया है पर देश में तो आपने किया है। 1952 से लेकर 1977 तक आपने किया है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष**: आप दोनों को ज्ञान होना चाहिए कि बंगाल में मुख्य मंत्री और हैं। (व्यवधान)

**श्री अमराराम** (दांतारामगढ़): आपने अगर गरीबी मिटा दी होती तो फिर यह कानून लाने की कहां जरूरत थी? (व्यवधान) ये कम्पनियों के भिखारी तो इधर हैं, कम्पनियों के भिखारी यहां हैं। (व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सदस्य, हमारा दिल देखिए।

**श्री उपाध्यक्ष**: अब आप बैठिये। (व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने भेद नहीं किया। अगर वो भिखारी +++ का भी है तो उसको स्वीकार करेंगे और वो भिखारी अगर बंगाल का है तो उसको भी हम स्वीकार करेंगे। (व्यवधान) मैं निवेदन करता हूं कि उनका पुनर्वास करने के लिए, उनकी ट्रेनिंग करने के लिए पूरे प्रावधान इस कानून के जरिए हैं। उनको चिह्नित करने का, उनका सर्वे करने का प्रावधान है, उनको शिक्षा देने का प्रावधान है, उनको रोजगार से जोड़ने का प्रावधान है, उनके कल्याण के लिए, वैलफेयर के लिए एक कोष का प्रावधान है। राजस्थान सरकार साढ़े चार करोड़ रुपये उसमें जमा करेगी, उनके वैलफेयर की बात करेगी। बाकी कोई बीमार है तो उसके इलाज के लिए हमारी व्यवस्था है। इसके अलावा मैं यह निवेदन करता हूं कि आलरेडी सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत मानसिक विमंदितों के लिए, मूक-बधिरों के लिए हमारे काफी हास्टल, छात्रावास चल रहे हैं। नि:शक्त हैं उनके लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। उनको इन योजनाओं के जरिए हम शामिल करेंगे। आपके मन की भावनाओं को मैं निश्चित तौर पर स्वीकार करता हूं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम उनका पूरा खयाल रखते हुए प्रयास करेंगे कि राजस्थान में भिक्षावृत्ति का अंत हो और लोग भिक्षावृत्ति से दूर हों। अगर बीमार हैं, नशे के आदी हैं तो उनका अलग से इलाज कराएंगे, उनके वैलफेयर का पूरा खयाल रखेंगे। एनजीओज के माध्यम से और भी सेवाएं लेंगे...

**श्री उपाध्यक्ष**: बैठकर नहीं बोलेंगे कोई।

**श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैंने यह निवेदन किया कि जो भी भिक्षावृत्ति के लिए जिस जगह से भी आये हैं, उनका राजस्थान में रीहैबिलिटेशन करने के लिए यह कानून बनाया है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके जरिये वैलफेयर करेंगे, उनको पुनर्वास करके, रोजगार से उनको मुख्य रूप से...

**श्री उपाध्यक्ष**: डिस्टर्ब नहीं करें, मंत्रीजी, डिस्टर्ब नहीं करें।

**श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सदस्य ने गलती से पश्चिमी बंगाल और +++ बोल दिया था, उसको मैंने बोला है, उसको एक्सपंज कर दिया जाए। मेरा आग्रह है कि भिक्षावृत्ति को बढ़ावा न मिले, वे लोग वापस मुख्य धारा में सम्मान के साथ जीएं, इसके लिए यह सरकार कानून लेकर आई है। .

**श्री उपाध्यक्ष**: जो असंसदीय होगा, अनावश्यक शब्द होगा, वह डिलीट हो जाएगा।

**श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: प्रश्न यह है कि राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक, 2012 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

**(अस्वीकृत)**

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाए?

**(स्वीकृत)**

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

**खण्डश: विचार**

खण्ड 2 से 42-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 42 स्वीकार किये जाएं?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 2 से 42 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नामादि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किया जाए?

**(स्वीकृत)**

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री अशोक बैरवा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

## विधेयक का पारण

**श्री अशोक बैरवा 'खण्डार'** (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक, 2012 को पारित किया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष**: कोई सदस्य? प्रश्न यह है कि राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक, 2012 पारित किया जाए? (व्यवधान)

**(स्वीकृत)**

राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक, 2012 पारित किया गया।

### राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा,
द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

**सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।**

**(तदनन्तर सदन की बैठक 14.14 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)**

# अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

## वन क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों की जांच

**22. श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) व **डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन क्षेत्र में शराब सेवन अवैध है? यदि हां, तो किस धारा के अन्तर्गत? सम्बन्धित अधिनियम की छायाप्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 2012 में राज्य के जयपुर स्थित झालाना वन क्षेत्र में बने पार्क में प्रधान मुख्य वन संरक्षकों द्वारा किसी शराब पार्टी के आयोजन किये जाने की शिकायत/जानकारी सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कब व इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि वन विभाग ने अपने नवनिर्मित मुख्यालय का शिलान्यास झालाना वन क्षेत्र में बिना भू-रूपान्तरण के करवाया है? यदि हां, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन क्षेत्र में शराब सेवन बाबत कोई प्रावधान नहीं है। अधिनियम की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 2012 में झालाना वन क्षेत्र में स्थित पार्क में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के द्वारा आयोजित पारिवारिक स्नेह मिलन (फैमिली गेट-टूगेदर) कार्यक्रम में शराब सेवन को लेकर दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में समाचार प्रकाशित हुआ था एवं एक शिकायत भी प्राप्त हुई थी। समाचार में प्रकाशित एवं शिकायत में वर्णित आरोपो की सत्यता बाबत परीक्षण की कार्यवाही विचाराधीन है।

(3) वन विभाग के लिये नये मुख्यालय भवन के निर्माण हेतु झालाना वन क्षेत्र के राजस्थान राज्य सड़क निर्माण निगम एवं खेतान पोलीटेक्निक से लगते हुये भूखण्ड में शिलान्यास का कार्यक्रम सम्पन्न कराया गया है। वन क्षेत्रों में वन प्रबन्धन से सम्बन्धित आवश्यक भवन निर्माण के लिये भू-रूपान्तरण की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ऐसे निर्माण से वन भूमि की किस्म में परिवर्तन नहीं होता है।

**अनुबंध-1**

## वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

## (1988 में किये गये संशोधनों सहित)

वनों के संरक्षण तथा उससे सम्बन्धित अथवा उससे आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू–कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह 25 अक्टूबर 1980 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निदेश करने वाला कोई आदेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्ण अनुमोदन के बिना नहीं देगा :-

(1) कि कोई आरक्षित वन उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में ''आरक्षित वन'' पद के अर्थ में या उसका कोई प्रभाग आरक्षित नहीं रह जाएगा;

(2) कि किसी वन भूमि या उसे किसी प्रभाग को किसी वनेत्तर प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए;

(3) कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, अभिकरण या आय संगठन को, जो सरकार के स्वामित्व, प्रबंध, नियंत्रण के अधीन नहीं है, समनुदेशित किया जाए;

(4) किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग से, पुनर्वनरोपण के लिए उसका उपयोग करने के प्रयोजन के लिए, उन वृक्षों को, जो उस भूमि या प्रभाग में प्राकृतिक रूप से उग आए हैं, काटकर साफ किया जाए।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजन के लिए ''वनेत्तर प्रयोजन'' से,-

(क) चाय, काफी, मसाले, रबड़, पाम, तेल वाले पौधे या अन्य उद्यान कृषि फसलों या औषधीय पौधों की खेती के लिए; और

(ख) पुनर्वनरोपण से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए, किसी वन भूमि या उसके प्रभाग का तोड़ना या काट कर साफ करना अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत वनों और वन्य-प्राणियों के संरक्षण विकास और प्रबंध से सम्बन्धित या उसका आनुषंगिक कोई कार्य, अर्थात चौकियों, अग्नि लाइनों, बेतार संचारों की स्थापना और बाड़, पुल और पुलियों, बांधों, जल छिद्रों खाई चिन्हों, सीमा चिन्हों, पाइप लाइनों का निर्माण या अन्य वैसे ही प्रयोजन नहीं है।

''3क जो कोई धारा 2 के उपबंधों से में किसी का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि पंद्रह दिन तक ही हो सकेगी, दंडनीय होगा।

3ख (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध-

(क) सरकार के किसी विभाग द्वारा किया जाता है वहां विभागाध्यक्ष; या

(ख) किसी प्राधिकरण द्वारा किया जाता है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के लिए जाने के समय उस प्राधिकरण के कारोबार के संचालन के लिए उस प्राधिकरण का भारसाधक और उसके प्रति उतरदायी था, और साथ ही वह प्राधिकरण भी;

ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा :-

परन्तु इस उपधारा की कोई बात उस विभागाध्यक्ष को या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी जो यह सबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उस अपराध के निवारण के लिए उसने सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग या उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी प्राधिकरण द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न, किसी अधिकारी की या प्राधिकरण की दशा में, उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति की, सहमति या मौतानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा अधिकारी या व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और वह तद्‌नुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।''

## जोधपुर खनन क्षेत्र के क्वारी लाइसेंसों का नवीनीकरण

**23. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में क्वारी लाइसेंस धारकों द्वारा लाइसेंस नवीनीकरण हेतु फार्म नम्बर एक को भरना अनिवार्य कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त फार्म नम्बर एक की क्या उपयोगिता है? फार्म के फार्मेट और उपयोगिता का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कार्यालय खनिज अभियन्ता, जोधपुर के अन्तर्गत कुल कितने क्वारी लाइसेंस वर्तमान में चालू हैं और इनमें से कितने क्वारी लाइसेंस धारकों ने लाइसेंस नवीनीकरण हेतु फार्म नम्बर एक भर दिया है एवं कितनों ने नहीं? फार्म नम्बर एक भरने में विलम्ब रहने के क्या कारण रहे?

(3) क्या उक्त प्रक्रिया में हुए विलम्ब के लिए कोई जिम्मेदारी तय की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार विलम्ब हेतु जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। यह सही है कि शासन की अधिसूचना दिनांक 28.01.2011 द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 26(2) को संशोधित किया गया है, जिसके प्रावधान निम्नानुसार है :-

"A Quarry licence may be renewed on submission of application to the mining Engineer/Assistant Mining Engineer along with Form No 1-K, for a period of 10 years."

फार्म में लाइसेंसधारी को उनके पक्ष में स्वीकृत अन्य क्वारी लाइसेंस/खनन पट्टों, नवीनीकरण हेतु चाहे गये क्षेत्र तथा स्वयं का विवरण आदि अंकित करना अनिवार्य है, व्यवस्थित एवं सही तरीके से रिकार्ड संधारण में फार्म की उपयोगिता है तथा क्वारी लाइसेंस के नवीनीकरण का निस्तारण हेतु उक्त सूचनाएं आवश्यक हैं। नियम 26(2) तथा फार्म के फार्मेट की प्रति परिशिष्ट-1 व 2 पर उपलब्ध है।

(2) कार्यालय खनि अभियन्ता, जोधपुर के अन्तर्गत 6580 क्वारी लाइसेंस वर्तमान में चालू है । इनमें से 4086 क्वारी लाइसेंस धारकों ने लाइसेंस नवीनीकरण हेतु फार्म नम्बर 1-के प्रस्तुत कर दिया है तथा 2494 क्वारी लाइसेंस धारकों द्वारा नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है ।

(खनिज मंत्री)

इसी बीच शासन की अधिसूचना दिनांक 23.5.2012 से प्रभावी क्वारी लाइसेंसों की अवधि 31 मार्च, 2013 तक बढ़ायी गयी है। अत: अब दिनांक 31.03.2013 को अवधि समाप्त होने वाले क्वारी लाइसेंस धारक नियमानुसार इसके 30 दिन पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। अत: नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(3) वर्तमान में नवीनीकरण की अवधि 31.03.2013 होने के कारण कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

## राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय होद (सीकर) का क्रमोन्नति प्रकरण

**24. श्री बंशीधर खण्डेला** (सीकर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि हाल ही में क्रमोन्नत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय होद (सीकर) को पूर्व में वर्ष 2010 में उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया गया था? यदि हां, तो तत्समय (वर्ष 2010) में अध्ययनरत छात्राओं की संख्या एस.आर. रजिस्टर की प्रति तथा पदस्थापित प्रधानाध्यापक शिक्षक मय स्टाफ की नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालय के उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नति के समय अध्ययनरत छात्राओं की संख्या क्या थी तथा इस दौरान कौन-कौन शिक्षक मय स्टाफ पदस्थापित थे? विवरण सदन की मेंज पर रखें ।

(3) किसी विद्यालय को क्रमोन्नत किये जाने के क्या मानदण्ड हैं?

क्या किसी विद्यालय का विद्यालय में अस्तित्व के बिना ही सीधे उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया जा सकता है?

(4) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय होद (सीकर) वर्ष 2010 से पूर्व कब अस्तित्व में आया तथा उसकी कब-कब क्रमोन्नतियां हुई?

(5) क्या उक्त विद्यालय की क्रमोन्नतियां नियमानुकुल है? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है?

(श्री बंशीधर खण्डेला)

(6) क्या उक्त विद्यालय वर्तमान में राजकीय भवन में संचालित हैं या अन्यत्र निजी भवन में तथा किस आदेश के द्वारा एवं कितनी राशि के किराये पर?

**उत्तर**

(1) वर्ष 2010-11 में उक्त विद्यालय को सीधे ही माध्यमिक स्तर पर प्रारम्भ किया गया, अत: कक्षा 1 से 8 में नये प्रवेश से पूर्व कोई छात्रा अध्ययनरत नहीं थी ।

वर्ष 2010-11 में माध्यमिक स्तर पर प्रारम्भ के पश्चात् हुये नये प्रवेश से विद्यालय की कक्षावार छात्रा संख्या इस प्रकार हो गई :-

| क्र.सं. | कक्षा | छात्रा संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 09 |
| 2 | 7 | 14 |
| 3 | 8 | 17 |
| 4 | 9 | 35 |
| 5 | 10 | 29 |
| | **कुल छात्रा संख्या** | **104** |

उक्त नव प्रवेशित छात्राओं के नामवार, एस.आर. रजिस्टर की छाया प्रति का परिशिष्ट "क-1" तथा प्रारम्भ के बाद पदस्थापित प्रधानाध्यापक मय स्टाफ की नामवार सूची का परिशिष्ट "क-2" संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालय के उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति के समय कुल 176 छात्राएं अध्ययनरत थीं तथा इस दौरान कार्यरत स्टाफ के विवरण का परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(3) प्रदेश में वर्तमान में विद्यालय क्रमोन्नति के मानदण्डों की प्रति का परिशिष्ट "ग" संलग्न है।

विशेष परिस्थितियों में किसी भी स्तर का विद्यालय प्रारम्भ किया जा सकता है।

(4) विद्यालय वर्ष 2010-11 से माध्यमिक स्तर पर प्रारम्भ तथा वर्ष 2012-13 से उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया ।

(5) उक्त विद्यालय को स्थानीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों की

(शिक्षा मंत्री)

मांग एवं क्षेत्र की परिस्थितियों के मद्देनजर नीतिगत निर्णय लेते हुये उक्त विद्यालय प्रारम्भ किया गया था । अत: इसमें किसी भी अधिकारी का दोष नहीं है।

(6) उक्त विद्यालय वर्तमान में राजकीय भवन में संचालित नहीं है, अपितु बाबा विशम्भरदास ट्रस्ट द्वारा निर्मित भवन में संचालित है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 21.06.2010 में अंकित शर्तों की पालना में उक्त विद्यालय निजी भवन में संचालित हो रहा हैं ।

उक्त विद्यालय भवन का कोई किराया राज्य सरकार द्वारा वहन/व्यय नहीं किया जा रहा है।

**(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)**

## राजसमन्द नगरपालिका क्षेत्र में सड़क मरम्मत पर व्यय राशि

**25. श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजसमन्द नगरपालिका क्षेत्र में सड़कों की भौतिक स्थिति क्या है? नगर में कुल कितनी किलोमीटर की सड़के हैं तथा इनमें से कितनी सड़के क्षतिग्रस्त हैं?

(2) उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा?

(3) नगरपालिका क्षेत्र राजसमन्द में सड़को के विकास के कितने कार्य किन-किन योजनाओं में चल रहे हैं व ये कार्य कब तक पूर्ण होंगे?

**उत्तर**

(1) नगर परिषद क्षेत्र राजसमन्द में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, (भारतीय राष्ट्रीय उच्चमार्ग प्राधिकरण) सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं नगर परिषद की लगभग क्रमश: 6.50 किलोमीटर, 15.02 किलोमीटर एवं 38.50 किलोमीटर लम्बाई की डामरीकृत सड़के हैं। इस प्रकार नगर में कुल 60.02 किलोमीटर लम्बाई की सडके भौतिक रूप से विद्यमान हैं। इनमें से 14 सड़के क्षतिग्रस्त हैं।

(2) आरयूआईडीपी द्वारा वाटर सप्लाई एवं सीवरेज की लाइन डालने के कारण जो सड़के क्षतिग्रस्त हुई हैं उसकी मरम्मत का कार्य शीघ्र करवाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं एवं मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

आरयूआईडीपी द्वारा ली गई दो मुख्य सड़कों के मरम्मत कार्य दिसम्बर 2012 तक तथा एक अन्य सड़क सहित उक्त तीनों सड़कों का पुनर्निर्माण का कार्य जुलाई 2014 तक पूरा हो जायेगा। नगर परिष्द द्वारा शेष रही क्षतिग्रस्त 12 सड़कों की मरम्मत का कार्य दिसम्बर 2012 तक एवं आवश्यकतानुसार पुनर्निर्माण कार्य मार्च 2013 तक करवा दिया जायेगा।

(3) आरयूआईडीपी के द्वारा राजसमन्द शहर में 7.30 किलोमीटर लम्बाई की 3 सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ा करने का कार्य किया जाना है। इस सम्बन्ध में कन्फरमेटरी सर्वे किया जा चुका है । इन सड़कों पर वाटर सप्लाई एवं सीवरेज का कार्य प्रगति पर होने के कारण सम्पूर्ण कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 18.7.2014 है । उक्त कार्य पर राशि रुपये 13.12 करोड़ रुपये व्यय किया जाना सम्भावित है ।

नगर परिषद राजसमन्द द्वारा भी परिषद कोष से 40 कार्य करवाये जायेंगे जिसमें सड़क, नाली निर्माण/मरम्मत आदि शामिल है। इन कार्यो पर 4.75 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इसके लिये निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं।

## अजयमेरू आगार का औचक निरीक्षण प्रकरण

**26. श्री अजय सिंह** (डेगाना) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजयमेरू आगार में पदस्थापित परिचालक श्री सोहनलाल कमेडिया जिनकी ड्यूटी दिनांक 25-08-2011 को मेड़ता से अजमेर वाया रिया मार्ग पर थी, का परिवहन निगम के उड़नदस्ते द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि बस में कोई भी यात्री बिना टिकट नहीं होने के बावजूद रिमार्क लगा दिया गया था? यदि हां, तो किस समय किस स्थान पर निरीक्षण कर क्या नोट लगाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सम्बन्धित अधिकारी एवं माननीय मंत्री महोदय को ज्ञापन देने के बावजूद भी निर्दोष परिचालक का स्थानान्तरण दूरस्थ स्थान पर कर दिया तथा एक वर्ष बाद भी जांच पूरी नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

(श्री अजय सिंह)

(4) क्या सरकार जांच पूर्ण कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। अपितु वाहन में वक्त निरीक्षण 7 यात्री बिना टिकट पाये गये थे। वाहन का निरीक्षण 12.15 बजे आगमन आलनियावास पर किया गया। निरीक्षण दल द्वारा लगाये गये नोट की प्रति परिशिष्ट "1" पर व वाहन निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(3) सम्बन्धित परिचालक निर्दोष नहीं था तथा प्रस्तुत ज्ञापन की जांच राजस्थान परिवहन निगम के तत्कालीन कार्यकारी प्रबन्धक (चैकिंग) द्वारा की गई। जिसमें उड़नदस्ता दल के रिमार्क को सही माना है। बिना टिकट यात्री ले-जाने की अनियमितता में लिप्त होने के कारण स्थानांतरण अजयमेरू आगार से बीकानेर आगार में किया गया था।

परिचालक को पत्र क्रमांक 617 दिनांक 15.09.2011 द्वारा दोषारोपण पत्र जारी किया गया था, जिसमें जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। परिचालक को दिनांक 02.07.2012 को चाहे गये दस्तावेजों की प्रतियां भी उपलब्ध कराई जा चुकी हैं।

जांच पूर्ण नहीं होने के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि प्रकरण में तीनो शिकायतकर्ताओं के बयान हो चुके हैं। लेकिन परिचालक के जांच में अनुपस्थित होने के कारण जिरह नहीं हो सकी। परिचालक दिनांक 10.07.2012, 27.07.2012, 12.08.2012, 04.09.2012 एवं 28.09.2012 को विभागीय जांच में उपस्थित नहीं हुआ तथा न ही दोषारोपण पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है।

(4) जांच कार्यवाही पूर्ण करने में अधिकारी विशेष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि जांच कार्यवाही में विलम्ब का कारण प्रश्न के भाग संख्या "3" में अंकितानुसार है।

**(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा का सी.ए.एस. प्रकरण

**27. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंजमण्डी) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में सी.ए.एस.-2003 एवं सी.ए.एस.-2006 में कुछ शिक्षकों को ए.आई.सी.टी.ई./ राज्य सरकार के नियमों के विरुद्ध आवश्यक योग्यता पूरी नहीं करने के उपरान्त भी सी.ए.एस. के लाभ दिये गये? यदि हां, तो किन नियमों के तहत एवं किन-किन शिक्षकों को सी.ए.एस. के लाभ दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में सी.ए.एस.-2007 में हुई अनियमितताएं जिसमें कुछ शिक्षकों के आवश्यक योग्यता पूरी नहीं करने के उपरान्त भी सी.ए.एस. के लाभ दिये जाने की जांच हेतु जांच कमेटी गठित की गई व जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई है? यदि हां, तो जांच कमेटी की पूर्ण रिपोर्ट एवं इस प्रकरण में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में सी.ए.एस-2007 में श्री प्रशांत जामवाल, जो कि उस समय विदेश में विश्वविद्यालय से अवकाश लेकर निवास कर रहे थे, को बिना साक्षात्कार के ही सी.ए.एस. के लाभ दे दिये गये? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ऐसा किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में सी.ए.एस.-2007 में जिन शिक्षकों को सी.ए.एस. के लाभ दिये गये हैं, वह समस्त शिक्षक आवश्यक योग्यताएं पूरी करते थे? यदि नहीं, तो किन नियमों के तहत सी.ए.एस. के लाभ दिये गये तथा यदि हां, तो योग्यता पूरी करने वाले शिक्षकों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में सी.ए.एस.-2007 पर जांच कमेटी ने कुछ शिक्षकों को समस्त योग्यताएं पूरी करने के बावजूद सी.ए.एस. के लाभों से वंचित रखे जाने की शिकायत की थी एवं उन्हें सी.ए.एस. के लाभ नियत तिथि से दिये जाने की अनुशंसा की है? यदि हां, तो शिक्षकों को कमेटी की अनुशंसा के तहत लाभ क्यों नहीं दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि दिनांक 26-05-2012 को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा विशेष सी.ए.एस. का आयोजन किया गया जिसमें पुन: कुछ शिक्षकों को सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी करने एवं

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

राज्य सरकार के आदेशों के विपरीत नियत तिथि से उन्हें सी.ए.एस. के लाभों से वंचित किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) वर्ष 2007 में सी.ए.एस. के लिए गठित कमेटी की अभिशंसा के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों के निस्तारण हेतु एक जांच कमेटी का गठन किया गया था। जांच कमेटी की रिपोर्ट परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जांच कमेटी की अभिशंसा के आधार पर सम्बन्धित योग्य एवं पात्र अभ्यर्थियों को सी.ए.एस. का लाभ देने हेतु पुन: नये सिरे से एक सी.ए.एस. कमेटी गठित की गई। इसी क्रम में सी.ए.एस. हेतु कमेटी की बैठक दिनांक 26.5.2012 को आयोजित कर उल्लेखित प्रकरणों पर कमेटी द्वारा पुनर्विचार कर अपनी अनुशंसा दी गई। अनुशंसा की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2007 में उन्हीं शिक्षकों को सी.ए.एस. का लाभ दिया गया जो AICTE द्वारा 5वें वेतन आयोग में निर्देशित दिशा-निर्देशों को पूर्ण करते थे एवं चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर दिये गये थे। जिन शिक्षकों को यह लाभ दिये गये उनका विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(5) सी.ए.एस.-2007 पर गठित जांच समिति ने अपनी अनुशंसा में कुछ शिक्षकों के प्रकरणों को पुन: साक्षात्कार करते हुए सी.ए.एस. का लाभ पात्रता तिथि से देने हेतु अनुशंसा की थी। मई, 2012 में विशेष सी.ए.एस. के लिए समिति का गठन किया गया जिसके द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत साक्षात्कार के उपरान्त की गई अनुशंसा एवं प्रबन्ध मण्डल द्वारा उसका अनुमोदन करने के उपरान्त योग्य पात्र शिक्षकों को कमेटी द्वारा की गई अनुशंसा तिथि से ही दिया गया।

(6) दिनांक 26.05.2012 को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा विशेष सी.ए.एस. का आयोजन किया गया जिसमें कि समिति द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत साक्षात्कार के उपरान्त की गई अनुशंसा एवं प्रबन्ध मण्डल द्वारा उसका

(तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री)

अनुमोदन करने के उपरान्त योग्य एवं पात्र शिक्षकों को इसका लाभ कमेटी द्वारा की गई अनुशंसा तिथि से ही दिया गया। कमेटी की अनुशंसा की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय नीति के तहत मण्डी प्रांगणों में भू-आबंटन

**28. डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर) व **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय नीति के तहत मण्डी प्रांगणों में भूमि आबंटित की जा रही है? यदि हां, तो कितनी-कितनी भूमि, कहां-कहां?

(2) उक्त नीति अन्तर्गत राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा कितने-कितने आवेदन कब-कब आबंटन योग्य माने तथा कितने-कितने आवेदन कब-कब सरकार द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात भी आबंटन पत्र जारी नहीं किये गये? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस योजना में वेयर हाउस के लिए भूमि आबंटन भी शामिल किया गया है? क्या उक्त सफल आवेदकों का आबंटन रोका गया है? यदि हां, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। राज्य में कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, 2010 के तहत मण्डी प्रांगणों में भूमि आबंटित किये जाने का प्रावधान है। आबंटित की गई भूमि का विवरण संलग्न परिशिष्ट '1' पर उपलब्ध है।

(2) कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन नीति, 2010 के बिन्दु संख्या 24 (ब) के तहत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं को सहायता/प्रोत्साहन राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किये जाने का प्रावधान है। उक्त समिति के समक्ष आदिनांक तक इस नीति के तहत कोई प्रकरण नहीं रखा गया है।

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा उक्त नीति 2010 के अन्तर्गत राज्य की विभिन्न मण्डी यार्डो में भूमि/स्थान आबंटन के प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का परीक्षण एवं आबंटन सम्बन्धी सिफारिश करने हेतु प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन आदेश दिनांक 24 मई, 2010 के द्वारा किया गया। आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। उक्त समिति के द्वारा अभिशंसित एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट '3' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। विभाग द्वारा उक्त नीति के तहत पूर्व में आबंटित 34 भूखंडों पर आबंटन की शर्तो के अनुरूप इकाइयों की स्थापना एवं उनकी प्रगति की राज्य सरकार के स्तर पर समीक्षा की जा रही है। जिससे आबंटित भूमि के निर्धारित उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके। इस दौरान नये स्वीकृत 38 आवेदनों के आबंटन को लम्बित रखा गया है।

(4) जी हां। आबंटन रोके जाने के कारण का खुलासा बिन्दु संख्या 3 में कर दिया गया है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजनों को सहायता हेतु मृत व्यक्ति के पोस्टमार्टम की अनिवार्यता

**30. श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली में दिनांक 01 जनवरी, 2011 से अब तक किस-किस पुलिस थाना क्षेत्र में हुई दुर्घटना में किस-किस व्यक्ति की मृत्यु हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) इनमें से किस-किस मृतक का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया?

(3) इनमें से किन-किन मृतकों के परिजनों को मुख्य मंत्री सहायता कोष से कितनी-कितनी अवधि में सहायता राशि प्रदान की गई एवं किन-किन मृतकों के परिजनों को किन-किन कारणों से सहायता राशि नहीं दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि दुर्घटना से मृत हुये व्यक्तियों के पोस्टमार्टम कराने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, परन्तु मुख्य मंत्री सहायता कोष से सहायता राशि स्वीकृत करने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अनिवार्यता है,

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

जिसके कारण अनेकों मृतकों के परिजनों को सहायता राशि से वंचित रहना पड़ता है?

(5) क्या यह भी सही है कि कई प्रकरणों में मृतक का पोस्टमार्टम नहीं कराये जाने पर भी सहायता राशि दी गई है?

(6) क्या सरकार दुर्घटना में पोस्टमार्टम नहीं कराने वाले परिजनों को भी सहायता राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो किन-किन कारणों से?

**उत्तर**

(1) जिला पाली में दिनांक 01 जनवरी, 2011 से अब तक दुर्घटनाओं में जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, उनका थानेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) दुर्घटनाओं में मृत जिन व्यक्तियों का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, उनकी सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) मृतकों के परिजनों को दी गयी सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। शेष मृतकों के परिजनों को सहायता राशि नहीं दिये जाने के कारण निम्नानुसार है :-

1. आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होना।
2. मृतकों का अन्य जिलों का होना।
3. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का नहीं होना।

(4) जी हां। गृह विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.19(8)गृह-10/04 दिनांक 25/09/2004 के द्वारा राजस्थान पुलिस नियम-1965 के नियम 6.35 के उप नियम (1) में संशोधन के अनुसार सड़क और रेल दुर्घटनाओं के मामलों में यदि अन्वेषक अधिकारी को मृत्यु के कारण के बारे में कोई संदेह नहीं हो तो शव परीक्षा के लिए भेजना आवश्यक नही होता है। मुख्य मंत्री सहायता कोष से दुर्घटना के प्रकरणों में सहायता देने हेतु पोस्टमार्टम की अनिवार्यता है।

(5) जी हां। जिला कलक्टर की अनुशंसा के आधार पर पोस्टमार्टम की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान कर सहायता स्वीकृत की जा सकती है।

(6) जिला कलक्टर की अनुशंसा के आधार पर पोस्टमार्टम की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान कर सहायता स्वीकृत की जा सकती है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## कुपोषित बालक/बालिकाओं पर व्यय राशि

**31. श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए विगत चार वर्षों में किन-किन योजनाओं/कार्यक्रम के तहत कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार तथा योजना/कार्यक्रमवार आवंटित राशि व व्यय राशि का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के तहत प्रतिवर्ष कितने कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया गया? विगत चार वर्षों में जिला एवं वर्षवार चिन्हित किये गये बालक-बालिकाओं की अलग-अलग संख्या का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में राज्य में कितने कुपोषित बच्चे हैं? विगत चार वर्षों में जिलेवार व वर्षवार कुपोषण की स्तर की संख्या सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) कुपोषण दूर करने के लिए वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक की अवधि में विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत आबंटन एवं व्यय की सूचना निम्नानुसार है:-

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

**(व्यय लाखों में)**

| क्र. सं. | विभाग का नाम | वर्ष 2008-09 | | वर्ष 2009-10 | | वर्ष 2010-11 | | वर्ष 2011-12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | आबंटन | व्यय | आबंटन | व्यय | आबंटन | व्यय | आबंटन | व्यय |
| 1 | मिड डे मिल कार्यक्रम (ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग एवं मिड-डे-मिल कार्यक्रम) | 39951.85 | 41615.49 | 33073.73 | 47967.19 | 71530.79 | 67484.09 | 62513.37 | 70782.56 |
| 2 | कुपोषण उपचार केन्द्र योजना (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) | 154.99 | 38.93 | 216.30 | 86.88 | 362.34 | 173.15 | 282.48 | 163.45 |
| 3 | आई.सी.डी.एस. (महिला एवं बाल विकास विभाग) | 24420.25 | 23679.17 | 31845.90 | 30456.68 | 49237.34 | 47668.51 | 62008.44 | 59412.79 |

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

चार वर्षों की विभिन्न विभागों द्वारा आबंटन व्यय की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) आईसीडीएस कार्यक्रम के तहत विगत चार वर्षों में जिला एवं वर्षवार चिन्हित किये गये बालक एवं बालिकाओं की कुपोषण के स्तर के आधार पर अलग-अलग संख्या का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में (अगस्त 2012) कुपोषित बच्चे परिशिष्ट-स के अनुसार है।

विगत चार वर्षों में बच्चों में कुपोषण के स्तर की संख्या परिशिष्ट-ब में ही समाहित है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही

**32. श्री मानसिंह** (परबतसर) व **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कई पंजीकृत खानें कार्यरत हैं? यदि हां, तो पंजीकृत खानों का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में पंजीकृत खानों के अलावा भी खानें कार्यरत हैं? यदि हां, तो जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार राज्य में अवैध रूप से चल रही खानों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। राज्य में पंजीकृत खनन पट्टों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

(2) जी हां। राज्य में प्रश्न के भाग 1 के उत्तर में वर्णित खनन पट्टों के अलावा खानों में, अप्रधान खनिज के 17974 क्वारी लाइसेंस, 1642 ईट मिट्टी एस.टी.पी. एवं 1140 अन्य एस.टी.पी. वर्तमान में स्वीकृत है जिनका पंजीयन नहीं होता है। इन खानों की जिलेवार संख्या परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। विभाग द्वारा अवैध रूप से चलाई जाने वाली खानों के

(खनिज मंत्री)

विरुद्ध जिला प्रशासन, पुलिस, वन व राजस्व विभाग के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाकर तथा विभागीय स्तर पर सतत रूप से कार्यवाही की जाती है। अप्रेल, 2011 से अगस्त, 2012 तक अवैध खनन एवं अवैध निर्गमन के कुल 6021 प्रकरण बनाये गये हैं, जिनमें से 1109 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा 1725.37 लाख रूपये की वसूली शास्ती स्वरूप की गई है। राज्य में अवैध खनन की रोकथाम हेतु विभाग में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सतर्कता) स्तर के अधिकारी का पदस्थापन किया गया है एवं 1000 की नफरी का मिनरल प्रोटक्शन फोर्स गठित कर नियुक्ति की प्रक्रिया विचाराधीन है ।

**परिशिष्ट-1**

**पंजीकृत खनन पट्टों का जिलेवार विवरण**

| क्र.सं. | जिला | प्रधान खनिज | अप्रधान खनिज | कुल खनन पट्टे |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अलवर | 15 | 312 | 327 |
| 2. | अजमेर | 538 | 409 | 947 |
| 3. | बांसवाड़ा | 4 | 104 | 108 |
| 4. | बारां | - | 39 | 39 |
| 5. | बाड़मेर | 15 | 564 | 579 |
| 6. | भरतपुर | 17 | 743 | 760 |
| 7. | भीलवाड़ा | 648 | 221 | 869 |
| 8. | बीकानेर | 112 | 101 | 213 |
| 9. | बूंदी | 3 | 1007 | 1010 |
| 10. | चित्तौड़गढ़ | 89 | 63 | 152 |
| 11. | चूरू | - | 203 | 203 |
| 12. | दौसा | 10 | 106 | 116 |
| 13. | धौलपुर | - | 159 | 159 |
| 14. | डूंगरपुर | 33 | 113 | 146 |
| 15. | हनुमानगढ़ | 6 | 1 | 7 |
| 16. | जयपुर | 112 | 1054 | 1166 |
| 17. | जैसलमेर | 17 | 668 | 685 |

| क्र.सं. | जिला | प्रधान खनिज | अप्रधान खनिज | कुल खनन पट्टे |
|---|---|---|---|---|
| 18. | जालौर | 7 | 421 | 428 |
| 19. | झालावाड़ | - | 131 | 131 |
| 20. | झुंझुनूं | 42 | 452 | 494 |
| 21. | जोधपुर | 9 | 484 | 493 |
| 22. | करौली | 51 | 246 | 297 |
| 23. | कोटा | 2 | 115 | 117 |
| 24. | नागौर | 87 | 744 | 831 |
| 25. | पाली | 50 | 240 | 390 |
| 26. | प्रतापगढ़ | 47 | 62 | 109 |
| 27. | राजसमन्द | 683 | 1296 | 1979 |
| 28. | सवाई माधोपुर | 11 | 116 | 127 |
| 29. | सीकर | 124 | 496 | 620 |
| 30. | सिरोही | 24 | 259 | 283 |
| 31. | श्रीगंगानगर | 13 | - | 13 |
| 32. | टोंक | 51 | 78 | 129 |
| 33. | उदयपुर | 186 | 504 | 690 |
| | **योग** | **3006** | **11611** | **14617** |

**अधीक्षण खनि अभियन्ता (प्रथम)**

**परिशिष्ट-2**

**अपंजीकृत क्वारी लाइसेंस व एस.टी.पी. का जिलेवार विवरण**

| क्र. सं. | जिला | क्वारी लाइसेंस | ईंट मिट्टी एस.टी.पी. | अन्य एस.टी.पी. | कुल स्वीकृत क्वारी लाइसेंस व एस.टी.पी. की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अलवर | - | 119 | 1 | 120 |
| 2. | अजमेर | - | 45 | 89 | 134 |
| 3. | बांसवाड़ा | 6 | 5 | 54 | 65 |
| 4. | बारां | - | - | 5 | 5 |
| 5. | बाड़मेर | - | - | 34 | 34 |

| क्र. सं. | जिला | क्वारी लाइसेंस | ईंट मिट्टी एस.टी.पी. | अन्य एस.टी.पी. | कुल स्वीकृत क्वारी लाइसेंस व एस.टी.पी. की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | भरतपुर | - | 99 | - | 99 |
| 7. | भीलवाड़ा | 1648 | 95 | 4 | 1747 |
| 8. | बीकानेर | 61 | 54 | 225 | 340 |
| 9. | बूंदी | - | - | - | 0 |
| 10. | चित्तौड़गढ़ | 2690 | 12 | 17 | 2719 |
| 11. | चूरू | - | 16 | 82 | 98 |
| 12. | दौसा | - | 20 | 3 | 23 |
| 13. | धौलपुर | - | 41 | 7 | 48 |
| 14. | डूंगरपुर | 14 | 5 | 21 | 40 |
| 15. | हनुमानगढ़ | - | 311 | - | 311 |
| 16. | जयपुर | - | 227 | 42 | 269 |
| 17. | जैसलमेर | - | 4 | 6 | 10 |
| 18. | जालौर | - | - | 1 | 1 |
| 19. | झालावाड़ | - | - | 9 | 9 |
| 20. | झुंझुनूं | - | 66 | 30 | 96 |
| 21. | जोधपुर | 12475 | 0 | 10 | 12485 |
| 22. | करौली | - | 1 | 8 | 9 |
| 23. | कोटा | - | - | 6 | 6 |
| 24. | नागौर | 939 | 2 | 55 | 996 |
| 25. | पाली | 139 | 5 | 86 | 230 |
| 26. | प्रतापगढ़ | - | 0 | 12 | 12 |
| 27. | राजसमन्द | - | 4 | 22 | 26 |
| 28. | सवाई माधोपुर | - | 2 | 47 | 49 |
| 29. | सीकर | - | 72 | 21 | 93 |
| 30. | सिरोही | - | - | 15 | 15 |
| 31. | श्रीगंगानगर | - | 424 | - | 424 |
| 32. | टोंक | - | 9 | 218 | 227 |
| 33. | उदयपुर | 2 | 4 | 10 | 16 |
| | **योग** | **17974** | **1642** | **1140** | **20756** |

**अधीक्षण खनि अभियन्ता (प्रथम)**

## धौलपुर नगर परिषद द्वारा स्टेडियम निर्माण हेतु जारी स्वीकृति

**34. श्री अब्दुल सगीर खां** (धौलपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण कराये जाने का ब्लूप्रिंट भूमि का हस्तान्तरण एवं उससे सम्बन्धित उक्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण मय दस्तावेज सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्टेडियम के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो चुकी है? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण मय दस्तावेज सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार उक्त स्टेडियम के निर्माण को कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है?

(4) क्या यह सही है कि लगभग तीन-चार वर्ष पूर्व स्टेडियम के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी थी? यदि हां, तो उसकी कितनी राशि थी और उसका अभी तक उपयोग क्यों नहीं किया गया?

**उत्तर**

(1) राज्य सरकार द्वारा धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण एवं स्टेडियम के लिये भूमि आवंटन की जा चुकी है । आदेशों व मानचित्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही नगर परिषद धौलपुर द्वारा की जा रही है ।

(2) जी हां यह सही है कि निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है किन्तु वित्तीय स्वीकृति जारी होना शेष है। सम्बन्धित दस्तावेज की छायाप्रति प्रश्न के भाग संख्या 1 के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) वित्तीय स्वीकृति जारी होने के पश्चात टेण्डर आदि प्रकिया एवं कार्यादेश जारी होने के पश्चात निर्माण कार्य नियमानुसार आरम्भ हो सकेगा ।

(4) जी नहीं। शेष भाग का उत्तर भाग संख्या 3 के उत्तर में निहित है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा प्रस्तावित चालक-परिचालक परीक्षा

**35. श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से दिनांक 23 सितम्बर, 2012 से प्रस्तावित चालक, परिचालक और मैकेनिक परीक्षा के केन्द्र अभ्यर्थियों के नाम के बजाय जाति वर्ग के आधार पर बनाये गये हैं? यदि हां, तो किन नियमों के तहत? सम्बन्धित नियमों/आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

दिनांक 23.09.2012 को आयोजित चालक, परिचालक व आर्टीजन परीक्षा आदेश संख्या 4511 दिनांक 24.09.2012 द्वारा रद्द की जा चुकी है।

## प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण

**37. श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में विभिन्न वर्गों के लिए न्यूनतम मजदूरी कितनी-कितनी निर्धारित की गई है? पड़ौसी राज्यों से तुलना करते हुए श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में न्यूनतम मजदूरी तय करने के क्या आधार हैं? सम्बन्धित नियम व प्रक्रिया की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जनवरी, 2009 से सितम्बर, 2012 की अवधि में प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मण्डल अथवा श्रम सलाहकार मण्डल की कब-कब बैठकें हुई और उसमें न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की क्या-क्या सिफारिशें की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी और कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.5.2012 से अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल व उच्च कुशल कामगार हेतु न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन रूपये 147/-, 157/-, 167/- व 217/- निर्धारित है।

पडौसी राज्य पंजाब, हरियाणा, गुजरात व मध्यप्रदेश इत्यादि राज्यों में अनुसूचित नियोजनों के अनुसार तथा श्रेणीवार पृथक-पृथक वेतन दरें निर्धारित की गई हैं जो राजस्थान राज्य की श्रेणियों से मेल नहीं खाती हैं।

(श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री)

अत: अन्य राज्यों से तुलना नहीं की जा सकती है। अन्य राज्यों की न्यूनतम दरों का विवरण परिशिष्ट ए, बी, सी, डी पर संलग्न है।

(2) राज्य में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करने का मुख्य आधार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को माना जाता है। न्यूनतम वेतन निर्धारण सम्बन्धित नियम व प्रक्रिया न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4 एवं 5 में दी गई है जिसकी प्रति परिशिष्ट-ई पर संलग्न है।

(3) उक्त अवधि में न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मण्डल की दो बैठकें दिनांक 22.12.2010 तथा 16.7.2012 को आयोजित की गई। सलाहकार मण्डल द्वारा उक्त बैठकों में की गई चर्चा एवं सिफारिशें (कार्यवाही विवरण) परिशिष्ट एफ एवं जी पर संलग्न है।

राजस्थान श्रम सलाहकार मण्डल की बैठक दिनांक 11.5.2011 को आयोजित की गई । कार्यवाही वृतान्त परिशिष्ट एच पर संलग्न है।

(4) राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी से न्यूनतम मजदूरी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। अब जनवरी, 2013 में तत्समय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ोतरी की जाएगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## देवयानी (जयपुर) पर्यटन स्थल के विकास हेतु कार्य योजना

**39. श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि साम्भर देवयानी सरोवर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के सम्बन्ध में समय-समय पर स्थानीय निवासियों/जन प्रतिनिधियों/संस्थाओं द्वारा सरकार को ज्ञापन दिये गये हैं? यदि हां, तो जनवरी, 2011 से सितम्बर, 2012 के मध्य कितने ज्ञापन प्राप्त हुये? ज्ञापनों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त ज्ञापनों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार साम्भर देवयानी सरोवर को धार्मिक/पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने हेतु विशेष पैकेज देने एवं इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के नरायना को भी धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। 1. माननीय पर्यटन मंत्री महोदया की दिनांक 7.9.2012 को साम्भर यात्रा के दौरान भी अध्यक्ष, साम्भर नगर कांग्रेस कमेटी, साम्भर लेक, जयपुर, व अध्यक्ष, साम्भर नगर युवक कांग्रेस आई, साम्भर लेक, जयपुर तथा अध्यक्ष, नगरपालिका, साम्भर लेक, जयपुर द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किये गये थे जो कि परिशिष्ट 1 से 3 तक संलग्न है।

उक्त ज्ञापनो में मुख्य रूप से साम्भर लेक को जिला एवं पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की गई थी।

2. इसी क्रम में जोधपुर चैप्टर इन्टेक का पत्र दिनांक 25.5.2012, पर्यटन विभाग को माननीय मुख्य मंत्री महोदय के कार्यालय से प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र में तथा नागरिक विकास समिति, साम्भर लेक, जिला जयपुर के पत्र दिनांक 02.07.2011 के द्वारा भी क्रमश: जल संरक्षण बाराहदरी संरक्षण एवं वहां की लोक कलाओं के संरक्षण कार्य तथा साम्भर लेक कस्बे को **पधारो सा योजना** भारत सरकार में शामिल करने एवं कस्बे में हैरिटेज साइट विकसित करने की मांग की गई है। प्राप्त पत्रों की प्रतियां परिशिष्ट-4 व 5 पर संलग्न है। इसके पूर्व भी इसी प्रकार के प्रस्ताव आते रहे हैं।

3. इन प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही हेतु पर्यटन तथा कला एवं संस्क्रति विभाग को डी.पी.आर. बनाने के निर्देश दिये गये हैं। डी.पी.आर. बनने के उपरान्त कार्यो कि प्राथमिकता निधारित कर बजट राशि की उपलब्धता के अनुसार विकास कार्य करवाये जायेंगे।

(2) 1. इन प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही हेतु पर्यटन तथा कला एवं संस्क्रति विभाग को डी.पी.आर. बनाने के निर्देश दिये गये हैं। डी.पी.आर. बनने के उपरान्त कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित कर बजट राशि की उपलब्धता के अनुसार विकास कार्य करवाये जायेंगे।

2. इस विषय में साम्भर साल्ट लि. तथा विषय विशेषज्ञों से साम्भर में रेल पर्यटन की सम्भावनाओं पर अपने सुझाव देने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्रोजेक्ट मानिटरिंग यूनिट,

(पर्यटन राज्य मंत्री)

भारत सरकार के सदस्यों को भी साम्भर झील में रेल पर्यटन की सम्भावनाएं तलाशने के लिए कहा गया है।

प्राप्त सुझावों के आधार पर विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) बनवाई जानी प्रस्तावित है। इस प्रकार विभाग द्वारा प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(3) पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल विशेष को विशेष पैकेज नहीं दिया जाता है। अपितु समय-समय पर राज्य बजट मद में उपलब्ध राशि अनुसार प्राथमिकता निर्धारित कर पर्यटन विकास कार्य करवाये जाते हैं।

(4) जी नही। इस बिन्दु का उत्तर, प्रश्न के बिन्दु संख्या 3 के उत्तर के अनुसार ही है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## शराब ठेकेदारों से बकाया राशि की वसूली हेतु कार्यवाही

**40. डा. जसवन्त सिंह यादव** (बहरोड़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में शराब ठेकेदारों में कितना राजस्व बकाया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा दिसम्बर, 2011 तक उक्त बकाया राजस्व को वसूलने हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये तथा कितना राजस्व वसूल किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 2011 तक कुल 23,467.60 लाख रुपये राजस्व वसूल किया जाना शेष था? यदि हां, तो अब तक उक्त राशि की वसूली हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) वर्ष 2008-09 में 15,501.52 लाख रु., वर्ष 2009-10 में 15,206.54 लाख रु. व वर्ष 2010-11 में 15,128.47 लाख रु. शराब ठेकेदारों पर बकाया थे। वर्षवार शराब ठेकेदारों पर बकाया की सूची क्रमश: परिशिष्ट-1, 2 व 3 पर संलग्न है।

(2) बकाया राजस्व वसूली के प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-4 व 5 पर उपलब्ध है।

(आबकारी मंत्री)

(3) जी हां। वसूली की कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-6 व 7 पर उपलब्ध है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बसेठ (अलवर) की क्रमोन्नति

**41. श्री बाबूलाल बैरवा** (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र कठूमर का ग्राम बसेठ पंचायत समिति कठूमर ग्राम पंचायत मुख्यालय है? यदि हां, तो क्या सरकार यहां के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी हां। सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण विद्यालय को क्रमोन्नत किया जाना सम्भव नहीं है। ग्राम पंचायत बसेठ के अन्य राजस्व ग्राम लाठकी में माध्यमिक स्तर का विद्यालय पूर्व से ही संचालित है।

## अजमेर नगर सुधार न्यास द्वारा करवाये गये विकास कार्य

**42. श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा चार वर्षों (2009-10 से 2012-13 वर्तमान तक) में गैर योजना क्षेत्र व कृषि भूमि पर बसी नियमनशुदा कालोनियों में सड़क, नाली, नाला आदि निर्माण के क्या-क्या विकास कार्य कराये गये तथा उन पर कितनी राशि खर्च की गयी? वर्षवार, क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अजमेर शहर में ऐसी कौन-कौनसी कालोनी, क्षेत्र है, जहां स्थित भूखण्डों के नियमन नगर सुधार न्यास द्वारा नियमानुसार विकास व अन्य शुल्क वसूल कर किये गये हैं तथा उन क्षेत्रों में विकास कार्यों पर न्यास द्वारा कितनी राशि व्यय की गयी? क्षेत्र, कालोनीवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नगर सुधार न्यास के माध्यम से ऐसे क्षेत्र, कालोनियों में भी विकास कार्य कराये जाने का विचार रखती है, जहां से न्यास ने नियमन शुल्क वसूल किया है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक गैर योजना क्षेत्र में कराये गये विकास कार्य की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजस्व ग्राम:- किरानीपुरा, रसूलपुरा, थोक मालियान, चौरसियावास, घूघरा, लोहागल, कोटडा, दौराई, बारोज, माकडवाली, कायड़, नौसर, थोक तेलियान कांकरदा भूणाबाय में नियमानुसार विकास व अन्य शुल्क राशि 1775275 रुपये वसूल कर नगर सुधार न्यास द्वारा नियमानुसार नियमन किये गये है। इन क्षेत्रों में विकास कार्यों पर किये गये व्यय की राशि 398.79 लाख रुपये विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। जिन कालोनियों में नियमन/विकास शुल्क प्राप्त हो जाता है, तो न्यास उन क्षेत्रों में विकास कार्यों को यथासम्भव प्राथमिकता देती है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## पैट्रोलियम पदार्थों पर "वैट" से प्राप्त राजस्व

**43. श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पैट्रोल, डीजल पर कितने प्रतिशत वैट लगाया गया है एवं पिछले तीन वर्ष में इस मद में कितनी राशि वैट से प्राप्त हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले तीन वर्षों में डीजल, पैट्रोल में कितनी बार मूल्य वृद्धि की गयी तथा मूल्य वृद्धि के कारण राज्य सरकार को कितनी अधिक राशि वैट के रूप में प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार मूल्य वृद्धि के कारण वैट के रूप में प्राप्त होने वाली बढ़ी हुई राशि को कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) अ. राज्य में पैट्रोल पर वर्तमान में वैट दर 26 प्रतिशत है तथा डीजल पर वैट दर 18 प्रतिशत है। परन्तु अधिसूचना दिनांक 29.06.2011 द्वारा डीजल के विक्रय पर 54 पैसे प्रति लीटर की दर से कर में छूट प्रदान की जा रही है।

(वित्त मंत्री)

ब. राज्य में पिछले तीन वर्ष (2009-10 से 2011-12 तक) में पैट्रोल व डीजल से प्राप्त राजस्व राशि निम्नानुसार है:-

**(राशि करोड़ रु. में)**

| वर्ष | पैट्रोल | डीजल |
|---|---|---|
| 2009-10 | 878.66 | 2063.00 |
| 2010-11 | 1148.91 | 2500.38 |
| 2011-12 | 1494.66 | 2896.77 |

(2) राजस्थान में पिछले तीन वर्षो में पैट्रोल एवं डीजल की कीमतों में निम्न प्रकार वृद्धि हुई है:-

| डीजल | | | पैट्रोल | | |
|---|---|---|---|---|---|
| दिनांक | वृद्धि रुपये प्रति लीटर | कीमत में बढ़ोतरी के पश्चात राजस्व आय में कमी/वृद्धि (करोड़ रू. में प्रतिमाह) | दिनांक | वृद्धि रुपये प्रति लीटर | कीमत में बढ़ोत्तरी के पश्चात राजस्व आय में कमी/वृद्धि (करोड़ रु. में प्रतिमाह) |
| 02.07.09 | 2.10 | 10.50 | 02.07.09 | 4.27 | 6.55 |
| 27.10.09 | 0.04 | 0.20 | 27.10.09 | 0.07 | 0.11 |
| 27.02.10 | 2.68 | 13.41 | 27.02.10 | 2.90 | 4.45 |
| 16.06.10 | 0.21 | 1.14 | 16.06.10 | 0.28 | 0.48 |
| 26.06.10 | 1.97 | 10.70 | 26.06.10 | 3.74 | 6.40 |
| 01.07.10 | 0.02 | 0.11 | 01.07.10 | 0.02 | 0.03 |
| 08.09.10 | 0.09 | 0.49 | 08.09.10 | 0.10 | 0.17 |
| 02.11.10 | 0.02 | 0.11 | 21.09.10 | 0.29 | 0.50 |
| 16.01.11 | 0.19 | 1.03 | 17.10.10 | 0.76 | 1.30 |
| 24.06.11 | 3.16 | दिनांक 24.06.11 को हुई वृद्धि पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.06.11 को अधिसूचना जारी कर 54 पैसे (0.54 रु.) प्रति लीटर वैट पर छूट प्रदान की गई है। | 02.11.10 | 0.02 | 0.03 |

(वित्त मंत्री)

| डीजल | | | पैट्रोल | | |
|---|---|---|---|---|---|
| दिनांक | वृद्धि रुपये प्रति लीटर | कीमत में बढ़ोतरी के पश्चात राजस्व आय में कमी/वृद्धि (करोड़ रु. में प्रतिमाह) | दिनांक | वृद्धि रुपये प्रति लीटर | कीमत में बढ़ोत्तरी के पश्चात राजस्व आय में कमी/वृद्धि (करोड़ रु. में प्रतिमाह) |
| 14.09.11 | 5.00 | 36.15 | 09.11.10 | 0.35 | 0.60 |
| | | | 16.12.10 | 3.16 | 5.41 |
| | | | 16.01.11 | 2.87 | 4.91 |
| | | | 01.04.11 | 0.02 | 0.04 |
| | | | 15.05.11 | 5.29 | 9.49 |
| | | | 01.07.11 | 0.28 | 0.50 |
| | | | 22.07.11 | 0.01 | 0.02 |
| | | | 15.09.11 | 3.37 | 6.05 |
| | | | 04.11.11 | 1.92 | 3.45 |
| | | | 16.11.11 | -2.37 | -4.25 |
| | | | 01.12.11 | -0.83 | -1.49 |
| | | | 01.04.12 | -1.06 | -1.18 |
| | | | 24.05.12 | 7.92 | 13.10 |
| | | | 03.06.12 | -2.07 | -3.76 |
| | | | 29.06.12 | -3.10 | -0.38 |
| | | | 24.07.12 | 0.88 | 0.01 |
| | | | 01.08.12 | 0.02 | 0.03 |

(3) ऐसा कोई विषय वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। ऐसे मामलों में राज्य की समग्र वित्तीय स्थिति तथा आगामी महीनों में संभावित व्यय आदि को देखकर ही निर्णय लिये जाते हैं।

## बयाना के चारदीवारी रहित विद्यालय

**45. श्री ग्यारसाराम कोली** (बयाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बयाना के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चारदीवारी नहीं होने से विद्यालयों की भूमि पर अतिक्रमण हो रहे हैं? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों की भूमि पर?

(श्री ग्यारसाराम कोली)

(2) क्या सरकार चारदीवारी विहीन विद्यालयों की भूमि पर चारदीवारी निर्मित कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

**उत्तर**

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बयाना के 8 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे पाए गए हैं जिनमें चारदीवारी नहीं होने से विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण हैं। विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत बयाना विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेडली गडासिया में चारदीवारी नहीं होने से अतिक्रमण है।

(2) जी हां। सरकार चारदीवारी विहीन राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की चारदीवारी निर्माण सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रतिवर्ष भारत सरकार से अनुमोदित होने वाली वार्षिक कार्य योजनाओं में स्वीकृत बजट सीमा में मार्च, 2015 तक निर्मित कराने का विचार रखती है।

विधान सभा क्षेत्र बयाना में अब केवल 19 स्वयं के भवन वाले राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो चारदीवारी विहीन हैं। इनमें मार्च, 2015 तक बजट उपलब्धता अनुसार एवं भूमि पर अतिक्रमण/विवाद का निस्तारण प्रशासन एवं जनसहयोग से कराकर चारदीवारी निर्माण कराना लक्षित है। विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत चारदीवारी विहीन विद्यालयों की भूमि पर चारदीवारी का निर्माण आगामी वर्षों में बजट प्रावधान होने पर करवाया जा सकेगा।

**परिशिष्ट-क**

**विधान सभा क्षेत्र बयाना के ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जहां बाउण्ड्रीवाल के अभाव में अतिक्रमण हो रहे हैं**

| क्र. सं. | नाम विद्यालय | ब्लाक | ग्राम पंचायत | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राउप्रावि चहल | बयाना | शेरगढ़ | रास्ते की समस्या होने के कारण निर्माण सम्भव नहीं भूमि पर विवाद |
| 2 | राउप्रावि डुमरिया | बयाना | समोगर | बाउण्ड्रीवाल रहित, गांव का रास्ता है, बाउण्ड्रीवाल नहीं बन सकती। |

| क्र. सं. | नाम विद्यालय | ब्लाक | ग्राम पंचायत | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 3 | राउप्रावि लखनपुर | बयाना | लखनपुर | निर्माणाधीन, ग्रामीणों द्वारा रास्ते का विवाद |
| 4 | राउप्रावि घाटौली | बयाना | खानसूरजापुर | दानदाताओं द्वारा विवाद/ अतिक्रमण |
| 5 | राउप्रावि खातीपुरा | रूपवास | माडापुरा | विद्यालय जमीन पर अतिक्रमण |
| 6 | राउप्रावि मौरोली डहर | रूपवास | मिल्सवा | विद्यालय जमीन पर अतिक्रमण |
| 7 | राउप्रावि संस्कृत धानाखेडली | रूपवास | धानाखेडली | विद्यालय जमीन पर अतिक्रमण |
| 8 | राउप्रावि चुरारीडांग | रूपवास | चुरारीडांग | विद्यालय जमीन पर अतिक्रमण |

**परिशिष्ट 'ख'**

**विधान सभा क्षेत्र बयाना के चारदीवारी विहीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची**

| क्र.सं. | नाम विद्यालय | ब्लाक | ग्राम पंचायत | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | राउप्रावि एतमादपुर | बयाना | गाजीपुर | बाउण्ड्रीवाल स्वीकृत कार्य प्रगति पर है। |
| 2. | राउप्रावि धुरैरी | बयाना | कारवारी | एक साइड में बाउण्ड्री नहीं है |
| 3. | राउप्रावि नगला छैला | बयाना | शाहपुर | 30 फुट लम्बाई में बाउण्ड्रीवाल नहीं है। |
| 4. | राउप्रावि कांदौली | रूपवास | आडेलजाट | गेट व 10 फीट बाउण्ड्रीवाल अधूरी |
| 5. | राउप्रावि सिंघावली | रूपवास | चैकोरा | अपूर्ण (सत्र 2010-11 में स्वीकृत कार्य होने के बाद शेष) |

| क्र.सं. | नाम विद्यालय | ब्लाक | ग्राम पंचायत | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 6. | राउप्रावि सं. जाटववस्ती जटमासी | रूपवास | जटमासी | अपूर्ण (सत्र 2010-11 में स्वीकृत परन्तु राशि वापस) |
| 7. | राउप्रावि (छात्रा) इब्राहिमपुर | रूपवास | इब्राहिमपुर | गेट व 15 फीट बाउण्ड्रीवाल शेष (पूर्व में ग्रांम पंचायत द्वारा निर्मित) |
| 8. | राउप्रावि मडौली | रूपवास | मडौली | गेट व 15 फीट बाउण्ड्रीवाल बननी है (बाउण्ड्रीवाल रहित) |
| 9. | राउप्रावि खेरिया लोधा | रूपवास | शक्करपुर | गेट लगाना है (अपूर्ण) |
| 10. | राप्रावि (छात्र) इब्राहिमचूर | रूपवास | इब्राहिमपुर | निर्माणाधीन (स्वीकृत 2011-12) |
| 11. | राउप्रावि (छात्रा) महलपुरपुरा | रूपवास | महलपुरचूरा | निर्माणाधीन |
| 12. | राउप्रावि चहल | बयाना | शेरगढ़ | रास्ते की समस्या होने के कारण निर्माण सम्भव नहीं भूमि पर विवाद |
| 13. | राउप्रावि डुमरिया | बयाना | समोगर | बाउण्ड्रीवाल रहित, गांव का रास्ता है, बाउण्ड्रीवाल नहीं बन सकती। |
| 14. | राउप्रावि लखनपुर | रूपवास | लखनपुर | निर्माणाधीन ग्रामीणों द्वारा रास्ते का विवाद |
| 15. | राउप्रावि घाटौली | रूपवास | खान सूरजापुर | दानदाताओं द्वारा विवाद/ अतिक्रमण |
| 16. | राउप्रावि खातीपुरा | रूपवास | माडापुरा | विद्यालय जमीन पर अतिक्रमण |
| 17. | राउप्रावि मौरोली डहर | रूपवास | मिल्सवा | विद्यालय जमीन पर अतिक्रमण |
| 18. | राउप्रावि संस्कृत धानाखेडली | रूपवास | धानाखेडली | विद्यालय जमीन पर अतिक्रमण |
| 19. | राउप्रावि चुरारीडांग | रूपवास | चुरारीडांग | विद्यालय जमीन पर अतिक्रमण |

**नोट : उक्त 19 विद्यालयों में परिशिष्ट 'अ' पर दिये गये 8 विद्यालय भी सम्मिलित हैं।**

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## प्रश्न संख्या-28

## (स्थगित)

## राष्ट्रीय राजमार्गों के मदिरा विक्रय केन्द्रों को बंद करने हेतु कार्यवाही

**29. श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में सरकार की आबकारी नीति के अनुसार जिले में अंग्रेजी शराब, बीयर के त्रैमासिक उठाव की औसत वृद्धि 20 प्रतिशत से कम होने पर स्पेशल बैण्ड फीस की राशि के बराबर जुर्माना वसूले जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो आबकारी नीति अनुसार वर्ष 2011-12 में कुल कितनी राशि वसूल की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर शराब की दुकानों को बंद किये जाने से सम्बन्धित कोई पत्र राज्य सरकार को लिखा है? यदि हां, तो पत्र की छाया प्रति तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि स्प्रिट की तस्करी करने पर एग्रो बायोटेक कम्पनी पर वर्ष 2010 में फर्जी परमिट से स्प्रिट सप्लाई करने पर सरकार द्वारा कोई टैक्स वसूली का नोटिस दिया था? यदि हां, तो दिये गये नोटिस के आधार पर सरकार द्वारा अब तक कितनी राशि वसूली गई?

### उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार की आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के अनुसार प्रत्येक जिले में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के त्रैमासिक उठाव की औसत वृद्धि की 20 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले कम्पोजिट समूहों/रिटेल आफ दुकानों के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा जमा करायी गयी कम्पोजिट फीस/न्यूनतम स्पेशल वैण्ड फीस, जो भी लागू हो, के 5 प्रतिशत राशि के बराबर त्रैमासिक शास्ति आरोपित की जायेगी। उक्त कम उठाव वाले समूहों की गणना प्रत्येक तिमाही के पश्चात् की जायेगी। एक त्रैमास में जमा शास्ति राशि का समायोजन स्पेशल वैण्ड फीस में उसी वित्तीय वर्ष की आगामी अवधि में दिया जायेगा।

(आबकारी मंत्री)

वित्तीय वर्ष 2011-12 की आबकारी एवं मद्यसंयम नीति में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर में औसत से कम वृद्धि देने वाले कम्पोजिट समूहों के अनुज्ञाधारियों एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर रिटेल आफ अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध जुर्माना वसूले जाने बाबत कोई निर्णय नहीं था। अत: वर्ष 2011-12 में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के कम उठाव करने पर जुर्माना की कोई राशि वसूल नहीं की गयी थी।

वर्ष 2012-13 में जुर्माना राशि के तौर पर प्रथम त्रैमास में रु. 22974866 की राशि वसूल की गयी, जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा लिखे गये पत्र की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। इस पत्र में मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत नशे में वाहन चलाने के विरुद्ध सख्त कार्यवाही के साथ-साथ राज्य सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग से शराब की दुकानों को हटाने जैसे सुझाव दिये गये हैं। उक्त अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्यवाही परिवहन विभाग द्वारा की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित शराब की दुकानें राजस्थान आबकारी नियमों के अन्तर्गत ही संचालित हैं।

(3) जी नहीं। मैसर्स एग्रीबायोटेक इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, अजीतगढ जिला सीकर द्वारा बन्धपत्र का निष्पादन कर अपने द्वारा उत्पादित प्रासव (E.N.A.) का निर्यात राज्य के बाहर करने एवं उक्त प्रासव के गन्तव्य स्थल पर पहुंचने का प्रमाण पत्र (E.V.C.) प्रस्तुत नहीं करने से वर्ष 2010-2011 में जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, सीकर द्वारा उक्त इकाई को कुल 6 नोटिस जारी कर कुल राशि रुपये 17,70,72,000/- की पेनल्टी आरोपित की गई है।

जिला आबकारी अधिकारी, सीकर कार्यालय द्वारा जारी उक्त नोटिसों के आधार पर विभाग द्वारा कुल राशि रुपये 15,46,34,097/- राजकोष में जमा हो चुकी है तथा शेष रही राशि रुपये 2,24,37,903/- के विरुद्ध इकाई द्वारा उत्तरतिथि के 24-24 लाख रु. के कुल 9 चैक तथा राशि रुपये 8,37,903/- का एक चैक जिला आबकारी अधिकारी सीकर कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## मालपुरा में वर्ष 2011-12 में अवैध शराब के दर्ज प्रकरण

**30. श्री रणवीर पहलवान** (मालपुरा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में वर्ष 2011-12 में अवैध शराब के कुल 32 प्रकरण दर्ज किये गये तथा 143 बोतल हथकड़ शराब व 87 पव्वे सादा देशी शराब जब्त की गई? यदि हां, तो क्या सभी प्रकरणों में मुल्जिमान की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त में से 18 प्रकरणों में मुल्जिमों की गिरफ्तारी शेष है? यदि हां, तो क्यों? मुल्जिमों की गिरफ्तारी में होने वाली देरी/लापरवाही के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी है?

(3) क्या सरकार दोषी कर्मचारी/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में वर्ष 2011-12 की सम्पूर्ण अवधि में कुल 34 अभियोग दर्ज किये गये थे जिनमें आबकारी वृत्त मालपुरा में 5 अभियोग एवं आबकारी थाना में 29 अभियोग दर्ज किये गये थे जिनमें 172 बोतल हथकड़ शराब व 87 पव्वे सादा देशी शराब के जब्त किये गये। वर्तमान में 34 प्रकरणों में से 31 प्रकरणों में गिरफ्तारी हो चुकी है। शेष 3 में प्रयास जारी हैं।

(2) जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2011-12 के कुल 34 प्रकरणों में 34 मुल्जिम बने थे जिनमें से 31 मुल्जिमों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 प्रकरणों के मुल्जिम फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। मुल्जिमों की गिरफ्तारी में होने वाली देरी या लापरवाही के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(3) प्रश्न के भाग-2 में अंकित तीन प्रकरणों में मुल्जिम फरार हैं। मुल्जिमों की गिरफ्तारी में होने वाली देरी या लापरवाही के लिए किसी अधिकारी/कर्मचारी के दोषी होने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

## राजसमन्द जिले के औद्योगिक विकास हेतु कार्य योजना

**31. श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(1) राजसमन्द जिले में वर्ष 2009 से अगस्त, 2012 तक में कितनी नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई है?

(2) उक्त इकाइयों में कितना पूंजी निवेश हुआ एवं कितने व्यक्तियों को नियोजन मिला?

(3) सरकार द्वारा जिले में औद्योगिक विकास हेतु क्या प्रयास किये गये हैं?

(4) सरकार की उक्त जिले में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु क्या योजना है?

**उत्तर**

(1) राजसमंद जिले में वर्ष 2009 से अगस्त, 2012 तक स्थापित इकाइयों का विवरण निम्न प्रकार है:-

| वर्ष | स्थापित इकाइयां/जारी ज्ञापन |
|---|---|
| 2009-2010 | 413 |
| 2010-2011 | 411 |
| 2011-2012 | 411 |
| 2012-2013 (अगस्त, 2012 तक) | 91 |

(2) उपरोक्त औद्योगिक इकाइयों में वर्षवार निम्नानुसार पूंजी निवेश एवं नियोजन हुआ है:-

| क्र सं. | वर्ष | पूंजी निवेश (लाख रु.) | नियोजन (संख्या) |
|---|---|---|---|
| 1. | 2009-2010 | 1955.35 | 1255 |
| 2. | 2010-2011 | 3148.75 | 1587 |
| 3. | 2011-2012 | 5240.42 | 1779 |
| 4. | 2012-13 (अगस्त, 2012 तक) | 2389.82 | 810 |

(उद्योग मंत्री)

(3) रीको द्वारा राजसमन्द जिले में औद्योगिक क्षेत्र राजनगर एवं धोइन्दा विकसित किये गये हैं। राजनगर औद्योगिक क्षेत्र में कुल 49 भूखण्ड नियोजन कर 34 औद्योगिक इकाइयों को आबंटित है। धोइन्दा औद्योगिक क्षेत्र में कुल 239 भूखण्ड नियोजित हैं जिसमें से 203 भूखण्ड 185 औद्योगिक इकाइयों को आबंटित हैं।

(4) रीको द्वारा ग्राम बग्गड, तहसील भीम में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना है जिसमें ग्राम बग्गड़, तहसील भीम की 660-16-10 बीघा राजकीय बिलानाम भूमि का आबंटन राज्य सरकार द्वारा दिनांक 03.06.2010 को किया गया है। वर्तमान में इस भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है जो कि विचाराधीन है। पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जायेगा ।

## रायसिंहनगर क्षेत्र में लघु उद्यमियों हेतु ऋण/अनुदान

**32. श्री दौलतराज समेजा** (रायसिंहनगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा कौन-कौन से लघु उद्योगों हेतु कितना-कितना ऋण दिया जाता है और किस-किस लघु उद्योगों पर कितना अनुदान देय है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में वर्ष 2009 से आज तक सरकार द्वारा किस-किस उद्योग पर कितना ऋण दिया गया? उद्योगवार लाभान्वितों की सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा किसी भी प्रकार की औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु रुपये 2,000/- से रुपये 20 करोड़ तक ऋण निर्धारित मापदण्डों के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है एवं निगम द्वारा किसी भी प्रकार का अनुदान देय नहीं है।

राज. निवेश प्रोत्साहन योजना- 2010 के अन्तर्गत सभी प्रकार के लघु उद्योगो पर उनके द्वारा जमा किए गये कुल कर (वैट एवं सीएसटी) की 50 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान देय है। यह अनुदान निवेश एवं रोजगार सृजन

(उद्योग मंत्री)

अनुदान के रूप में 7 वर्षों की अवधि के लिए देय होता है जिसमें कुल जमा कर के 30 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान निवेश अनुदान के रूप में एवं कुल कर जमा के 20 प्रतिशत तक का अनुदान रोजगार सृजन अनुदान के रूप में देय होता है परन्तु महिला/अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विकलांगताग्रस्त उद्यमी को कुल कर जमा के 10 प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त अनुदान देय होता है।

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 11.07.2011 मे अधिसूचित 13 जिलों यथा- बांसवाड़ा, धौलपुर, चूरू, झालावाड़, जालौर, बाडमेर, करौली, बारां, डूंगरपुर, दौसा, झुन्झनूं, सवाईमधोपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थापित किये गये अतिलघु एवं लघु उद्योगों को यह अनुदान 10 वर्षों की अवधि तक के लिए देय है।

(2) राजस्थान वित्त निगम द्वारा विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में वर्ष 2009 से अब तक दिये गये ऋण का विवरण निम्न प्रकार है :-

| क्र.सं. | इकाई का नाम | ऋण स्वीकृत | ऋण विवरण |
|---|---|---|---|
| 1. | मैसर्स श्रीबालाजी फ्यूल इण्डस्ट्रीज, रायसिंहनगर | 17.00 लाख रुपये दिनांक 22.3.2010 | 15.30 लाख रुपये |

## हनुमानगढ़ नगर परिषद द्वारा फ्लैट्स निर्माण हेतु जारी स्वीकृति

**33. श्री आदराम मेघवाल** (पीलीबंगा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा आवासीय भू-खण्ड संख्या 46 सैक्टर नम्बर 9/2 हनुमानगढ़ जंक्शन पर फ्लैट्स निर्माण हेतु श्रीमती सेना विश्नोई के नाम से निर्माण स्वीकृति जारी की है व निर्माण स्वीकृति जारी होने की दिनांक से पूर्व उक्त भू-खण्ड श्रीमती सेना विश्नोई ने अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिया था?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय भू-खण्ड पर वर्तमान में निर्माण श्रीमती सेना विश्नोई के नाम से जारी निर्माण स्वीकृति पर ही दूसरे क्रेता के द्वारा करवाया जा रहा है? यदि हां, तो क्या उक्त निर्माण कार्य नियमानुसार सही है?

(श्री आदराम मेघवाल)

(3) क्या नगर परिषद के द्वारा निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व भूखण्ड के आसपास के क्षेत्र यथा सड़क, पार्किंग आदि की टाउनशिप नीति के तहत जांच कर ली थी?

(4) क्या नगर परिषद के द्वारा निर्माण स्वीकृति जारी करने से पूर्व भू-खण्ड पर इतने भारी निर्माण होने के कारण भूखण्ड की मिट्टी आदि की जांच व सुरक्षा की दृष्टि से फ्लैट्स का तकनीकी निर्माण प्लान की जांच व निर्माण की गहराई की जांच कर ली गई थी? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम है? व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या नगर परिषद् के द्वारा उक्त क्षेत्र में फ्लैट्स निर्माण की स्वीकृति से पूर्व क्षेत्रवासियों व क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि से सुरक्षा व फ्लैट्स निर्माण की कोई एन.ओ.सी. प्राप्त की है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा श्रीमती सेना विश्नोई को भूखण्ड संख्या 46 सैक्टर नम्बर 9/2 हनुमानगढ़ जक्शंन पर फ्लैट्स निर्माण हेतु निर्माण स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ8(भूमि)( ) 2009/2735-38 दिनांक 13.7.2012 को जारी की गयी। श्रीमती सेना विश्नोई द्वारा भूखण्ड को जरिये बैयनामा उप पंजीयक से पंजीकृत दिनांक 25.6.2012 द्वारा श्री मेघराज गोयल पुत्र श्री शिवजीराम को विक्रय हुआ। श्री मेघराज गोयल द्वारा दिनांक 20.7.2012 को अपने नाम नामान्तरण हेतु नगर परिषद हनुमानगढ़ में आवेदन किया गया, जिस पर दिनांक 1.8.2012 को उक्त भूखण्ड का नामान्तरण श्री मेघराज गोयल के नाम से हुआ।

(2) जी हां। राजस्थान भवन विनियम 2010 की धारा 17(4) के अनुसार है, चित्रप्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। क्रेता श्री मेघराज के द्वारा दिये गये शपथ पत्र दिनांक 9.8.2012 के अनुसार निर्माण इनके द्वारा किया जा रहा है। भवन विनियम के अनुसार भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृति तकनीकी मानदण्डों को दर्शाती है एवं यह निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का प्रमाण नही माना जाता है।

(3) जी हां। नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा जारी भवन निर्माण स्वीकृति राजस्थान भवन विनियम 2010 के तकनीकी मानदण्डों के अनुरूप ही जारी की गई है। भूखण्ड के सामने 40 फुट चौड़ी सड़क स्थित है, एवं 40

(स्वायत्त शासन मंत्री)

फुट चौड़ी सड़क पर 15 मीटर भवन उंचाई अनुज्ञेय है। स्वीकृति में पार्किंग की व्यवस्था हेतु बेसमेन्ट एवं स्टिल्ट फ्लोर पर टू व्हीलर एवं फोर व्हीलर की व्यवस्था प्रस्तावति की गई है।

(4) जी नहीं। परन्तु जारी की गयी निर्माण स्वीकृति राजस्थान भवन विनियम 2010 के नियमों के अन्तर्गत जारी की गयी है व क्रेता द्वारा शर्तों की पालना हेतु शपथ पत्र दिनांक 9.8.2012 को दिया हुआ है। भवन निर्माण स्वीकृति हेतु भवन विनियमों के अनुरूप भूखण्ड की मिट्टी आदि की जांच नगर परिषद द्वारा की जानी अपेक्षित नहीं है। भवन संरचना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निर्माता की ही है।

(5) निर्माण स्वीकृति हेतु सार्वजनिक आपत्ति जारी किया जाना भवन विनियमों में अपेक्षित नहीं है तथापि सूचना क्रमांक 1417-19 दिनांक 6.6.2012 जारी की गयी जिसमें कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात निर्माण स्वीकृति जारी की गयी।

**परिशिष्ट-अ**

**राजस्थान भवन विनियम 2010 (माडल)**

17.4 नगर निगम/नगर परिषद/विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास द्वारा दी गई भवन निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जावेगा एवं विवादित स्वामित्व की भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिये नगर निगम/नगर परिषद/विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है अथवा अनुज्ञेय है यही दर्शाता है।

**आयुक्त**

**नगर परिषद**

## हनुमानगढ़ नगर परिषद की ड्रीमलैण्ड आवासीय योजना प्रकरण

**34. श्री सुखाराम नेतड़िया** (मेड़ता) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् हनुमानगढ़ के क्षेत्र चक 2 केएनजे सूरतगढ़ रोड पर 21.5 बीघा में कृषि भूमि के खातेदारों ने संयुक्त रूप से ड्रीमलैण्ड नाम से एक आवासीय कालोनी विकसित की है? यदि हां, तो किस दिनांक को प्लान अनुमोदन हुआ?

(श्री सुखाराम नेतड़िया)

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय कालोनी का अनुमोदित प्लान उप नगर नियोजक, बीकानेर के द्वारा दिनांक 01-10-2008 को अनुमोदित किया गया था? यदि हां, तो नगर परिषद हनुमानगढ़ को उक्त अनुमोदित प्लान की प्रतियां जरिये डाक प्राप्त हुई यदि वाहक के जरिये प्राप्त हुई या जरिये वाहक, तो वाहक का नाम सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी के खातेदारों ने मुखत्यार आम नियुक्त कर रखे हैं? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति ने कौन-कौन को मुखत्यार आम नियुक्त किया हुआ है?

(4) क्या यह सही है कि नगर परिषद हनुमानगढ़ को प्राप्त उक्त अनुमोदित प्लान की प्रति व उप नगर नियोजक बीकानेर की कार्यालय प्रति में भिन्नता है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

(5) क्या सरकार नगर परिषद हनुमानगढ़ की उक्त अनुमोदित प्लान की प्रति में छेड़छाड़ करने वाले खातेदार मुखत्यार आम पत्रवाहक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। नगर परिषद हनुमानगढ़ के क्षेत्र चक 2 केएनजे सूरतगढ़ रोड पर ड्रीमलैण्ड कालोनी का नक्शा वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर के पत्रांक बीकेजेड/2522/10/हनुमानगढ़/2164 दिनांक 1.10.2008 के द्वारा 21.5 बीघा भूमि का अनुमोदित किया गया है।

(2) जी हां। नगर परिषद हनुमानगढ़ की प्राप्ति पंजिका मे उक्त डाक दर्ज होने के नम्बर अंकित नहीं है।

(3) जी हां। यह सही है कि पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार श्रीमती चंदो देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश द्वारा पंजीकृत मुख्तयारनामा आम दिनांक 29.4.2008 से विजय कुमार पुत्र श्री मेघराज गोयल को नियुक्त किया हुआ है, श्री विनोद कुमार, श्री सुरजीत, कुलदीप सिंह, अमर सिंह पिसरान ओमप्रकाश द्वारा पंजीकृत मुख्तयारनामा भी दिनांक 29.4.2008 से श्याम सुन्दर पुत्र श्री बाबू लाल को नियुक्त किया हुआ है एवं हरनेक सिंह पुत्र श्री मान सिंह ने पंजीकृत मुख्तयारनामा आम दिनांक 20.4.2009 से श्रीमती परमजीत कौर पुत्री श्री मान सिंह पत्नी श्री लाभ सिंह को नियुक्त किया हुआ है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(4) नगर परिषद हनुमानगढ़ को प्राप्त उक्त अनुमोदित प्लान की प्रति व उप नगर नियोजक बीकानेर के पास कार्यालय प्रति में आंशिक भिन्नता है। इसलिए इस सम्बन्ध में उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग बीकानेर से जांच करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

(5) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 4 के उत्तर में निहित है ।

## जोधपुर नगर निगम द्वारा नगरीय कर वसूली हेतु की गई कार्यवाही

**35. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर नगर निगम क्षेत्राधिकार में किन-किन संस्था एवं व्यक्तियों के विरुद्ध एक लाख रुपये से अधिक राशि के नगरीय कर कब से बकाया हैं तथा उक्त बकाया के क्या कारण हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 21-09-2012 को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में नगरीय कर बकाया को लेकर कुर्क सीज एवं नोटिस चस्पा की कार्यवाही की गई थी? यदि हां, तो उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ ही अन्य नगरीय कर बकायादारों पर भी कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो किन-किन पर क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई? प्रकरणवार पत्रावली सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जोधपुर नगर निगम क्षेत्राधिकार में एक लाख रुपये से अधिक राशि के नगरीय कर बकाया की संस्था एवं व्यक्तियों का विवरण परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है। नगरीय कर वर्ष 2007-08 से बकाया है। व्यक्तियों एवं संस्थाओं को नोटिस देने के उपरान्त भी राशि जमा नहीं करवाने के कारण उक्त राशि बकाया है।

(2) जी हां। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में नगरीय

(स्वायत्त शासन मंत्री)

कर की बकाया को लेकर कुल-सचिव का कक्ष दिनांक 21.9.2012 को कुर्क कर सीज किया गया। उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली की प्रति परिशिष्ट "बी" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। अन्य नगरीय कर बकायादारों को केवल बिल एवं डिमाण्ड नोटिस दिये गये हैं।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

## जयपुर का अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास निर्माण प्रकरण

**36. श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शिप्रापथ, मानसरोवर, जयपुर में अमानीशाह नाले पर अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है? यदि हां, तो कितने रुपयों का बजट प्रावधान रखा गया है एवं कितना निर्माण कार्य हो चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि निर्माणाधीन छात्रावास की भूमि पूर्व में अमानीशाह नाले के किये गये सर्वे के अनुसार बहाव क्षेत्र में आ रही थी? यदि हां, तो किस आधार पर यह निर्माण कार्य कराया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अल्पसंख्यक विभाग को छात्रावास हेतु आबंटित भूमि पर राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा शिप्रापथ मानसरोवर, जयपुर में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास का निर्माण करवाया जा रहा है। इस निर्माण कार्य पर रुपये 4.41 करोड की स्वीकृति अल्पसंख्यक विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा डिपोजिट कार्य के रूप में दी गई है। निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है एवं इस पर रुपये 81.78 लाख खर्च किये जा चुके हैं।

(2) छात्रावास की भूमि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अन्तरिम आदेश दिनांक 16.11.2009 व 06.10.2010 के सम्बन्ध में रखी गई न्यूनतम चौड़ाई 150-210 फीट की परिधि से बाहर है।

## जयपुर के दादी का फाटक का निर्माणाधीन ओवरब्रिज

**37. श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में दादी का फाटक पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो ओवरब्रिज के प्रस्तावित नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त ओवरब्रिज के निर्माण की क्या अवधि निश्चित की गई है और कब तक उक्त ओवरब्रिज का निर्माण पूर्ण करवा लिया जायेगा?

(3) क्या सरकार द्वारा विजयबाड़ी पथ नं. 7 के मार्ग को भवानी निकेतन विवाह स्थल के मोड़ से रेलवे लाइन तक सीधा जोड़ते हुए रेलवे ओवरब्रिज तक मिलाने हेतु कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त मार्ग को रेलवे लाइन तक सीधा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। प्रस्तावित नक्शे की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त ओवरब्रिज का निर्माण कार्य इरकान इन्टरनेशनल लि. के माध्यम से करवाया जा रहा है। ओवरब्रिज निर्माण हेतु इरकान द्वारा कार्यादेश संख्या इरकान/3015/टीएन/आर.ओ.बी.-राज/सीएलसी-बी/12/27/1080 दिनांक 16.05.2012 को जारी किया जा चुका है। उक्त अनुसार ओवरब्रिज का निर्माण कार्य जारी कार्यादेश से 14 माह के भीतर पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी नही।

(4) वर्तमान में ऐसी योजना नहीं है।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

## विजयबाड़ी सीकर रोड जयपुर के मुख्य मार्ग पर अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही

**38. श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री निर्मल कुमावत)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर स्थित विजयबाड़ी पथ नं. 7 के मुख्य मार्ग पर हो रखे अतिक्रमण के सम्बन्ध में वर्ष 2012 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमियों को नोटिस जारी किये गये थे? यदि हां, तो किन-किन अतिक्रमियों को कब-कब कितने-कितने अतिक्रमण के सम्बन्ध में नोटिस जारी किये गये? नोटिसों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नोटिस जारी होने के उपरान्त कतिपय अतिक्रमियों द्वारा न्यायालय में प्रकरण को ले जाया गया है? यदि हां, तो किन -किन के द्वारा व कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि न्यायालय द्वारा कतिपय अतिक्रमियों को स्टे दिया हुआ है? यदि हां, तो किन-किन को, कब और सरकार द्वारा स्टे वेकेट कराने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही अब तक की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि कतिपय अतिक्रमी न्यायालय में नहीं गये हैं और स्टे नहीं होने के बावजूद अभी तक उनका अतिक्रमण नहीं हटाया गया है? यदि हां, तो किन-किन का और अब सरकार कब तक उनका अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या सरकार उक्त मुख्य मार्ग पर वर्तमान में लगातार किये जा रहे अवैध अतिक्रमण को रोकने एवं हटाने के सम्बन्ध में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

**उत्तर**

(1) जयपुर शहर स्थित विजयबाड़ी पथ नं. 7 के मुख्य मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में वर्ष 2012 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन उपायुक्त जोन-6 द्वारा पी.टी. सर्वे एवं निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध करवाई गयी रिपोर्ट के आधार पर 18 अतिक्रमियों को नोटिस जारी किए गए थे, जिनकी सूची एवं नोटिसों की छाया प्रतियां परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) बिन्दु संख्या-1 में वर्णित अतिक्रमियों को नोटिस जारी किए जाने के पश्चात 13 अतिक्रमियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण को ले जाया गया है, जिनकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) बिन्दु संख्या-2 वर्णितानुसार 13 प्रकरणों में से 12 प्रकरणों को माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकरण ने जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्देशित कर आदेश पारित किए हैं, उनकी पालना में अतिक्रमियों द्वारा प्रस्तुत जवाबों के परीक्षण एवं प्रश्नगत वर्णित 40 फीट सड़क सीमा में अतिक्रमण सम्बन्धित मौका निरीक्षण जोन स्तर पर किया जाकर निर्णय लिया जाना प्रक्रियाधीन है तथा एक प्रकरण में माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व.ख.) जयपुर महानगर द्वारा स्थगन आदेश पारित किया हुआ है, जिसे निरस्त कराने हेतु सम्बन्धित अधिवक्ता से प्रभावी पैरवी करवाई जा रही है।

(4) अतिक्रमी 1. श्री बजरंग लाल, 2. श्री श्रवण कुमार अग्रवाल, 3. श्री रामावतार गोयल, 4. श्री राधेश्याम वगैरह तथा 5. श्रीमती ममता शर्मा द्वारा प्रकरणों को न्यायालय में नहीं ले जाया गया है। उक्त अतिक्रमियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को सड़क सीमा के अन्य अतिक्रमणों के साथ ही समान कार्यवाही के तहत हटाया जाना प्रस्तावित है।

(5) उक्त मुख्य मार्ग पर नया कोई अतिक्रमण नहीं हो रहा है। भविष्य में अतिक्रमण नहीं हो, इस बाबत निगरानी रखी जा रही है।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

## महावीर नगर, जयपुर के नियमन हेतु कार्य योजना

**39. श्री कालीचरण सराफ** (मालवीय नगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रीको की व अन्य संस्थाओं की अवाप्ताधीन भूमि पर बसी हुई कालोनियों को नियमित किये जाने की योजना सरकार द्वारा बनाई गयी है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी नियम/परिपत्रों की प्रति सदन की मेज रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के जोन-4 के अन्तर्गत आने वाली रामद्वारा कालोनी, महावीरनगर जो रीको की अवाप्ताधीन भूमि पर बनी हुई है, का नियमन नहीं किया गया है? यदि हां, तो किस कारण से व अब कब तक नियमन कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जोन-4 में अवाप्ताधीन कालोनी में बसी हुई अन्य कालोनियों का नियमन कर दिया गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

(1) जी हां। रीको की व अन्य संस्थाओं की अवाप्ताधीन भूमि पर बसी हुई कालोनियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश दिनांक 04.10.2002 तथा जयपुर विकास प्राधिकरण की 50वीं बैठक दिनांक 21.07.2003 के बिन्दु सं. 50.2 के उप बिन्दु 4 के अनुसार रीको एवं आवासन मण्डल की भूमि पर बसी कालोनियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर नियमन की कार्यवाही की जावे। आदेश दिनांक 04.10.2002 एवं बैठक कार्यवाही दिनांक 21.07.2003 की प्रति परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक: प.5(3)नविवि/3/99पार्ट दिनांक 30.03.2011 के बिन्दु सं. 4 के मुताबिक "राजस्थान आवासन मण्डल, रीको तथा अन्य संस्थाओं की अवाप्तशुदा/अवाप्ताधीन भूमियों, जिन पर की कालोनी बस चुकी है, के नियमन के सम्बन्ध में अलग से आदेश जारी किये जा रहे हैं।" आदेश दिनांक 30.03.2011 की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

राज्य मंत्रीमण्डल की बैठक दिनांक 03.10.2012 में राजस्थान आवासन मण्डल की अवाप्तशुदा भूमि एवं अन्य विभागों (रीको के अलावा) की भूमियों पर बसी आवासीय योजनाऐं जिनमें 50 प्रतिशत बसावट हो गई है, में 500 वर्गगज तक के निर्मित भूखण्डों का नियमन करने का निर्णय लिया है। इस बाबत जारी की गई मंत्रीमण्डल की आज्ञा 193/2012 दिनांक 04.10.2012 के अनुसरण में नियमन हेतु विभागीय आदेश जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। रीको के सम्बन्ध में अलग से निर्णय लिया जाना है।

(2) जी हां। यह सही है कि जोन-4 के क्षेत्राधिकार में आने वाली रामद्वारा कालोनी का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन नहीं किया गया है। उक्त योजना तोपखाना देश गृ.नि.स. समिति की योजना है, जो मौजा ग्राम झालाना चौड तहसील सांगानेर के पुराने (साबिक ख.नं. 100 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा किस्म गै.मु. रामद्वारा, ग्राम दुर्गापुरा के ख.नं. 12 रकबा 2 बिस्वा किस्म गै.मु. चाह ख.नं. 13 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा किस्म बंजड़) जो साबिक रिकार्ड अनुसार महंत श्री रामबक्श रामस्नेही चेला महंत रामनारायण के नाम दर्ज थी।

जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में तोपखाना देश गृ.नि.स.

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

समिति द्वारा जो अनुबंध पत्र की सादा पेपर पर टंकित प्रति पेश की गई है, उसमें क्रेता/विक्रेता गवाह किसी के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे ज्ञात हो सके कि उक्त भूमि का विक्रय जरिये इकरारनामा महंत श्री रामबक्श रामस्नेही चेला रामनारायण द्वारा सोसायटी के हक में किया गया है। अतः सोसायटी द्वारा अपने सदस्यों को बिना किसी विधिक हस्तान्तरण के उक्त भूमि पर पट्टे जारी किये गये।

कालान्तर में उक्त योजना से सम्बन्धित भूमि की बंदोबस्त (Settlement) सम्बन्धी कार्यवाही से नवीन खसरा नम्बर बन गये, जिसमें से कुछ भू-भाग राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम एवं उद्योग विभाग द्वारा अवाप्त किया गया। वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार उक्त योजना पी.टी. सर्वे के खसरा सुपर इम्पोज के अनुसार भूमि निम्न खसरा नम्बरान पर स्थित है :-

**राजस्व ग्राम झालाना चौड तहसील सांगानेर**

| हाल ख.नं. | रकबा (हैक्टे.) | भाग | किस्म | जमाबंदी के अनुसार खातेदारी |
|---|---|---|---|---|
| 142 | 1.46 | आंशिक | गै. मु. | उद्योग विभाग |
| 143 | 0.14 | पूर्ण | गै. मु. | उद्योग विभाग |
| 144 | 0.33 | पूर्ण | गै. मु. | उद्योग विभाग |
| 145 | 0.33 | आंशिक | गै. मु. | उद्योग विभाग |

उक्त खसरा नम्बर 143 व 144 साबिक ख.नं. 100 से बने हैं। साबिक ख.नं. 100 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा गै.मु. रामद्वारा दर्ज रिकार्ड है।

**राजस्व ग्राम दुर्गापुरा तहसील सांगानेर**

| हाल ख.नं. | रकबा (हैक्टे.) | भाग | किस्म | जमाबंदी के अनुसार खातेदारी |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.49 | आंशिक | बंजड़ प्रथम | माणिकलाल, प्रेमशंकर पिता चुन्नी लाल सांघी |
| 19 | 0.03 | पूर्ण | गै. मु. चाह | उपरोक्तानुसार |
| 21 | 1.95 | आंशिक | बंजड़ प्रथम | उपरोक्तानुसार |

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

| हाल ख.नं. | रकबा (हैक्टे.) | भाग | किस्म | जमाबंदी के अनुसार खातेदारी |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 0.95 | आंशिक | बंजड़ प्रथम | उपरोक्तानुसार |
| 13 | 0.28 | आंशिक | चाही द्वितीय | राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम |
| 17 | 1.60 | आंशिक | चाही द्वितीय | सिवायचक लगानी |
| 18 | 0.03 | पूर्ण | बंजड़ प्रथम | महंत रामनारायण सा. सांगानेर |
| 20 | 0.41 | पूर्ण | बंजड़ प्रथम | महंत रामनारायण सा. सांगानेर |
| 12/521 | 0.06 | पूर्ण | बंजड़ प्रथम | महंत रामनारायण सा. सांगानेर |

ख.नं. 18, 19, 20, 12/521 साबिक ख.नं. 12 व 13 से बने हुए हैं।

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आबंटन) नियम 2012 के नियम 3 (निर्बधन (Restriction)) उपनियम (10) के तहत उक्त योजना की भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में आने के कारण नगरीय क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि के सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 'क' के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने का प्रावधान नहीं होने से उक्त योजना का वर्तमान में नियमन किया जाना सम्भव नहीं है।

(3) जोन-4 में अवाप्ताधीन भूमि में बसी हुई कालोनी जादौन नगर का नियमन किया गया है। जादौन नगर योजना की भूमि जो रीको हेतु अवाप्त हुई, रीको के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, का नियमन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लोकायुक्त की जांच एवं मौका कब्जा के अनुसरण में बी.पी.सी. की बैठक दिनांक 23-24 जुलाई, 2008 एवं 05.09.2008 में लिये गये निर्णयानुसार किया गया था।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

## डेगाना में खेल मैदानों पर व्यय राशि

**40. श्री अजय सिंह** (डेगाना) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अजय सिंह)

क्या पायका (पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान ) योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 2011 एवं 2012 में खेल मैदानों का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो कब-कब एवं कहां-कहां पर तथा इन पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई एवं क्या-क्या कार्य किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) योजना के प्रथम चरण वर्ष 2008-09 में विधान सभा क्षेत्र डेगाना की ग्राम पंचायत हरसोर (Harsor) एवं गोरेडी चान्चा (Goredi Chancha) के लिए एक-एक लाख रुपये खेल मैदानों के विकास कार्य हेतु जारी किये गये है। हरसोर में खेल मैदान का विकास कार्य पूर्ण कर लिया गया हैं। गोरेडी चान्चा में खेल मैदान का विकास कार्य प्रक्रियाधीन है।

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्ष 2011 व 2012 में खेल मैदानों का निर्माण नहीं करवाया गया है।

## प्रदेश में अपराधियों के हाथों पुलिस कर्मियों की मौत/परिजनों को देय सहायता एवं सुविधाएं

**41. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अपराधियों के हाथों पुलिस कर्मियों की मौत की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे हैं एवं सरकार इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु क्या ठोस कदम उठाने का विचार रखती है?

(2) राज्य में जनवरी, 2005 से लेकर जून, 2012 तक किन-किन पुलिस कर्मियों को अपराधियों के हाथों मौत का शिकार होना पड़ा है एवं कितने घायल हुए? वर्षवार एवं जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) अपराधियों द्वारा मारे गये पुलिस कर्मियों के परिजनों को सरकार द्वारा सहायता के रूप में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं एवं उपरोक्त में से किन-किन पुलिस कर्मियों के परिजनों को उक्त सुविधाएं अब तक प्रदत्त करवा दी गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(4) क्या सरकार अपराधियों के हाथों मौत का शिकार बनने वाले पुलिस कर्मियों के परिजनों को विशेष पैकेज के माध्यम से सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) राज्य में जनवरी, 2005 से जून, 2012 तक जिन पुलिस कर्मियों को अपराधियों के हाथों मौत का शिकार होना पड़ा है एवं जो पुलिस कर्मी घायल हुए हैं, उनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) अपराधियों द्वारा मारे गये पुलिस कर्मियों के परिजनों को सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता का विवरण परिशिष्ट "ब" के कालम संख्या 8 में अंकित है।

(4) जी हां। अपराधियों के हाथों मुठभेड़ अथवा अन्य साहसिक कार्यवाही के दौरान मारे गये पुलिस कर्मियों को निम्नानुसार 20 लाख रु. की राशि की सीमा तक विशेष पैकेज स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है :-

1. आश्रितों को मकान हेतु 16 लाख रुपये।
2. आश्रितों को रोडवेज के नि:शुल्क पास हेतु 1 लाख रुपये।
3. आश्रितों के बच्चों की पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति के लिए 2 लाख रुपये।
4. आश्रितों को कृषि कार्य हेतु 1 लाख रुपये।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## जयपुर शहर मे चेन स्नेचिंग आपराधिक घटनाओं में वृद्धि पर रोक हेतु कार्य योजना

**42. श्री बनवारी लाल सिंघल** (अलवर शहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पूरे राज्य, विशेषकर जयपुर शहर में गत तीन वर्षों में चेन स्नेचिंग एवं अन्य आपराधिक कृत्यों की घटनाओं में वृद्धि हुई है? यदि नहीं, तो जनवरी, 2009 से अगस्त, 2012 तक जयपुर शहर में हुई चेन स्नेचिंग की घटनाओं का पुलिस थानावार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रहा है? यदि नहीं, तो उक्त में से कितनी घटनाओं में चेन की मुल्जिमान से बरामदगी कर उनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये गये हैं? पुलिस थानावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने के नये तरीके ढूंढने एवं मुस्तैदी बढ़ाने की बजाय स्टूडेंट्स को चेहरे पर स्कार्फ या रूमाल नहीं लगाने की सलाह दे रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनकर वाहन नहीं चलाने देने की भी छूट देने का विचार रखती है, ताकि चेन स्नेचिंग के अपराधियों के चेहरों को पहचाना जा सके? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) पूरे राज्य तथा जयपुर शहर में गत तीन वर्षों में अन्य आपराधिक घटनाओं एवं चेन स्नेचिंग के प्रकरणों में आंशिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2009 से माह अगस्त, 2012 तक राज्य में अन्य अपराध एवं चेन स्नेचिंग प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं जयपुर शहर में चेन स्नेचिंग की घटनाओं का थानावार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जयपुर शहर में, चेन बरामदगी एवं चालान किये प्रकरणों का थानावार विवरण परिशिष्ट 'ब' एवं राज्य के अन्य जिलों में बरामदगी एवं चालान का थानावार विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(3) नौजवानों द्वारा चेहरे पर स्कार्फ बांधने के कारण आपराधिक घटनाओं में लिप्त संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश एवं पहचान के लिए की गई नाकाबन्दी के दौरान कठिनाई आती है एवं संदिग्ध व्यक्ति चेहरा ढक कर भागने में कामयाब रहता है। इस समस्या के समाधान के लिए जयपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा जयपुर महानगर में स्थित विद्यालयों/महाविद्यालयों/कोचिंग सेन्टरों व अन्य शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य/प्रबन्धकों से, नौजवानों को चेहरा ढकने की प्रवृत्ति को छोड़ने हेतु प्रोत्साहित करने का निवेदन किया गया है।

(4) जी नहीं। हेलमेट का प्रावधान वाहन चालक एवं पीछे बैठने वाले व्यक्ति की, स्वयं की सुरक्षा के लिए किया गया है। अत: दुपहिया वाहन

(गृह मंत्री)

चालकों को हेलमेट नहीं पहनकर वाहन चलाने की छूट देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## किशनगढ़ बास में विद्युत उपकरणों की चोरी के दर्ज प्रकरण

**43. श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़ बास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के थानों में विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर विद्युत उपकरण चोरी के प्रकरण दर्ज किये गये? थानेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त थानों में दर्ज एफ.आई.आर. में चोरी किये गये सामान के किस-किस मामले में मुल्जिम पकड़े गये? उक्त पकड़े गये मुल्जिमों से कितनी-कितनी राशि की सामग्री बरामद की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त चोरियों को रोकने के लिये कोई ठोस कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) गत चार वर्षों में विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में आने वाले थानों में विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर विद्युत उपकरण चोरी होने के दर्ज प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त थानों में दर्ज एफ.आई.आर. में चोरी के दर्ज प्रकरणों में पकड़े गये मुल्जिमान एवं बरामद की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। ट्रांसफार्मर से विद्युत उपकरणों की चोरियों को रोकने के लिए निम्न प्रयास किये जा रहे हैं :-

1. ट्रांसफार्मरों का फाउन्डेशन मजबूत एवं काफी ऊंचाई पर रखवाये जाते हैं तथा उनकी बैल्डिंग उच्च गुणवत्ता व बेहतर क्वालिटी से करवायी जा रही है।
2. ट्रांसफार्मरों को ऐसे स्थानों पर लगाया जाता है, जहां आम आदमी की नजर रहे तथा रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है।

(गृह मंत्री)

3. विद्युत कर्मचारियों को बीटवाइज क्षेत्र बाटकर निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है।
4. सायंकालीन व रात्रिकालीन गश्त अधिकारियों द्वारा विद्युत ट्रांसफार्मरों की निगरानी रखी जा रही है।
5. काश्तकारों को भी पाबन्द किया जाता है कि वह अपने कुओं पर लगे ट्रांसफार्मरों की निगरानी रखें।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## कारागारों की स्थिति में सुधार हेतु गठित समिति द्वारा की गई अनुशंसाएं

**44. श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द) : क्या कारागार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कारागारों की स्थिति में सुधार एवं सुरक्षा के अध्ययन हेतु क्या कोई समिति गठित की गई थी? यदि हां, तो उक्त समिति का गठन कब किया गया एवं इसका प्रतिवेदन सरकार को कब प्राप्त हुआ?

(2) उक्त समिति द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं क्या हैं?

(3) सरकार द्वारा समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं की क्रियान्विति हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है एवं आगे क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है?

(4) उक्त अनुशंसाओं की पूर्ण पालना कब तक कर दी जायेगी?

**उत्तर**

(1) राज्य की जेलों की स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से सुझाव देने हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : प.6(16)प्र.सु./अनु-3/2010 दिनांक 19.03.2010 के द्वारा किया गया था। इस समिति के द्वारा दिनांक 16.08.2010 को अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत कीं।

(2) उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के सुझावों के निष्कर्ष प्रतिवेदन के भाग संख्या-9 में प्रस्तुत किये गये हैं, जिनकी छाया प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(कारागार राज्य मंत्री)

(3) उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा सर्वाधिक प्राथमिकता की चयनित 10 सिफारिशों का क्रमबद्ध क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है। क्रियान्वयन के सम्बन्ध में की गई एवं की जा रही कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) कमेटी की अनुशंसाओं की पालना में प्राथमिकतानुसार कार्यवाही जारी है।

**(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)**

## नगर निगम सीमा कोटा के धार्मिक स्थलों की भूमि पर अतिक्रमण

**45. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल** (रामगंज मण्डी) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चन्द्रेसल मठ एवं चतुर्भुज लक्ष्मीनारायणजी, रामचन्द्रजी, बालाजी मन्दिर मूर्ति दसलाना तहसील लाडपुरा नगर निगम कोटा सीमा में आते हैं?

(2) उक्त मठ व मन्दिरों के अधीन कितनी कृषि भूमि किस-किस खसरा नम्बर की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कृषि भूमि पर किसका और कब से अतिक्रमण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर उक्त मन्दिरों की कृषि भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी हां। यह सही है कि श्री चन्द्रेसल मठ चन्द्रेसल एवं मंदिर चतुर्भुजजी, लक्ष्मीनारायणजी, बालाजी, गांव दसलाना तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित है, जो नगर निगम कोटा सीमा में आते हैं।

उक्त मंदिर देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिर न होकर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रन्यास है। जिसके पंजीयन क्रमांक निम्नानुसार है :-

1. चन्द्रेसल महादेव मंदिर चेरिटेबल ट्रस्ट चन्द्रेसल पंजीयन संख्या 185/23.7.2003 है।

(देवस्थान मंत्री)

2. धर्मार्थ मानव सेवा मंदिरान ट्रस्ट दशलाना (इसके अधीन दशलाना स्थित उक्त चारों मंदिर हैं) इनका पंजीयन संख्या 130/23.5.1998 एवं 14.2.2003 है।

(2) इन मठ मंदिर के अधीन कृषि भूमि एवं उनके खसरा नम्बरों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) उक्त चन्द्रेसल एवं दसलाना स्थित मंदिरों की कृषि भूमि उनके नाम खातेदारी में दर्ज है। कृषि भूमि पर कब्जा की स्थिति निम्न प्रकार है :-

1. मठ चन्द्रसल की कमेटी एवं पूर्व महन्त के पुत्र के मध्य मंदिर व सम्पत्ति की व्यवस्था हेतु विवाद होने से मठ महादेव मंदिर चन्द्रेसल के नाम खातेदारी में दर्ज भूमि में से गांव दसलाना, नोटाणा, रामखेडली, रंगतालाब उर्फ काला तालाब एवं चन्द्रेसल स्थित भूमि पर वर्तमान में अप्रैल 2004 से तहसीलदार लाडपुरा रिसीवर नियुक्त है।
2. मंदिर श्री चतुर्भुजजी, लक्ष्मीनारायणजी एवं बालाजी व रामचन्द्र ग्राम दसलाना की भूमियों पर प्रन्यास कमेटी का कब्जा है।

(4) 1. मठ चन्द्रेसल की कमेटी एवं पूर्व महन्त के पुत्र के मध्य मंदिर व सम्पत्ति की व्यवस्था हेतु विवाद होने से कृषि भूमि पर अप्रेल 2004 से तहसीलदार लाडपुरा रिसीवर नियुक्त है। इस न्यास के सम्बन्ध में वर्तमान में एस.बी.सी.डब्ल्यू. 8565/2011 चन्द्रेसल महादेव मंदिर चेरिटेबल ट्रस्ट बनाम अतिरिक्त सिविल जज कोटा व अन्य माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में लम्बित है।

2. दसलाना स्थित चारों मंदिर की व्यवस्था हेतु गठित समिति एवं ग्रामवासियों के मध्य विवाद है। इसके सम्बन्ध में विभाग द्वारा अपील संख्या 10/2003 में पारित आदेश दिनाक 6.7.2009 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में एस.बी.सी.डब्ल्यू नम्बर 16065/2009 रामबाबू गौतम बनाम दसलाना मंदिर संरक्षण मानव कल्याण ट्रस्ट दसलाना जरिये रामगोपाल शर्मा व अन्य लम्बित है। जिसमें माननीय न्यायालय से अग्रिम आदेश तक स्थगन है।

चूंकि उक्त मठ एवं मंदिर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत पंजीकृत होकर इनकी कृषि भूमियों के सम्बन्ध में प्रकरण

(देवस्थान मंत्री)

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन है। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## बयाना वन क्षेत्र में चारदीवारी निर्माण कार्यों की जांच

**46. श्री ग्यारसाराम कोली** (बयाना) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बयाना के वन क्षेत्र में वन भूमि की चारदीवारी में जो कार्य हुआ है, उसमें घटिया किस्म की सामग्री उपयोग में लाई गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त घटिया निर्माण के लिए विभागीय अधिकारी जिम्मेदार है?

(3) क्या सरकार उक्त निर्माणों की जांच किसी स्वतंत्र संस्था से करवाने का विचार रखती है, जिससे सरकारी बजट का दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार रोका जा सके?

(4) क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य में हुई अनियमितता की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जी नहीं।

(2) लागू नहीं।

(3) जी नहीं। मनरेगा एवं कैम्पा फण्ड के अन्तर्गत कराये जा रहे/कराये गये निर्माण कार्यों में बजट का सही उपयोग होना सुनिश्चित करने हेतु संस्थागत व्यवस्था स्थापित है।

(4) जी नहीं। प्रश्न के भाग संख्या 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

## प्रदेश मे रोजगार अधिकारियों का पदोन्नति प्रकरण

**47. श्री अशोक परनामी** (आदर्श नगर) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अशोक परनामी)

राज्य में लगभग 14 जिलों में जिला रोजगार अधिकारियों एवं बीकानेर, जोधपुर व कोटा में सहायक निदेशक के रिक्त पद होने के बावजूद कनिष्ठ रोजगार अधिकारी से जिला रोजगार अधिकारी के पदोन्नति से भरे जाने वाले पद पर वर्ष 1996-97 के बाद पदोन्नति किन कारणों से नहीं की गई? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

राज्य में लगभग 14 जिलों में जिला रोजगार अधिकारियों एवं बीकानेर, जोधपुर व कोटा में सहायक निदेशकों के पद रिक्त हैं। कनिष्ठ रोजगार अधिकारी से जिला रोजगार अधिकारी के पदोन्नति से भरे जाने वाले पद वर्ष 1999-2000 तक पदोन्नति कर भरे हुए हैं। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा पदोन्नति पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के कारण पदोन्नतियां नहीं की जा सकीं। वर्तमान में राज्य सरकार के निर्णयानुसार इन पदों की पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

## बांसवाड़ा में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आबंटित राशि

**48. श्रीमती कान्ता गरासिया** (गढ़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अब तक कुल कितनी तथा किन-किन कार्यों के लिए धनराशि आबंटित की गई?

(2) गढ़ी विधान सभा क्षेत्र में किन-किन कार्यों हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गयी? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जिला बांसवाड़ा में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अब तक आबंटित धनराशि एवं कार्यों के विवरण का परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) गढ़ी विधान सभा क्षेत्र (बांसवाड़ा) में आबंटित धनराशि एवं कार्यों के वर्षवार विवरण का परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**प्रश्न संख्या-49**

**(स्थगित)**

## टोडाभीम के क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन

**50. श्री रमेश चन्द मीणा** (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में किन-किन विद्यालयों के भवन निर्माण एवं मरम्मत हेतु कौन-कौन से प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी एवं निदेशालय में लम्बित हैं?

(2) क्या यह सही है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय सोप में सभी कमरों में पानी का रिसाव है तथा 5 कमरे पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो चुके हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा विद्यालय भवन की मरम्मत एवं नवीन कमरों के निर्माण हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय ग्राम गुडली में विद्यालय भवन पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो चुका है तथा नवीन भवन का निर्माण किया जा रहा है? यदि हां, तो विद्यालय भवन हेतु कितने कमरे तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रावधान है?

**उत्तर**

(1) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के निम्नांकित विद्यालयों के भवन निर्माण एवं मरम्मत के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए हैं :-

1. रामावि, जीतकीपुर

2. रामावि, सोप

3. रामावि बालिका, गुडली

उक्त प्राप्त प्रस्ताव बजट आबंटन एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु आयोजना/वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां । राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सोप के विद्यालय भवन के सभी कमरों में पानी का रिसाव है तथा 05 कमरे पूर्णत: क्षतिग्रस्त हो चुके हैं ।

उक्त विद्यालय भवन की मरम्मत एवं नवीन कमरों के निर्माण हेतु प्रस्ताव बजट आबंटन एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु आयोजना/वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय गुडली का विद्यालय

(शिक्षा मंत्री)

भवन क्षतिग्रस्त है। उक्त विद्यालय के नवीन भवन का अन्यत्र स्थान पर 4 कक्षा-कक्षों का निर्माण करवाने हेतु राशि 24.36 लाख का बजट आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में स्वीकृति हेतु प्रकरण आयोजना/वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है।

इसके अतिरिक्त उक्त विद्यालय में कक्षा 1 से 8 हेतु सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत चार अतिरिक्त कक्षा कक्ष स्वीकृत किये गये हैं, जिनका निर्माण कार्य प्रगतिरत है।

## अलवर में प्रतियोगी परीक्षाओं के शिक्षण हेतु संचालित निजी शिक्षण संस्थाएं

**51. श्री ज्ञानदेव आहूजा** (रामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में कौन-कौन से निजी शिक्षण संस्थान कहां-कहां पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या निजी कोचिंग, कम्पिटिशन क्लासों के संचालन हेतु भी स्वीकृति अथवा मान्यता प्रदान की जाती है? यदि हां, तो अलवर के कितने एवं कौन-कौन से कोचिंग, कम्पिटिशन क्लासों को सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि निजी शिक्षण संस्थानों, कोचिंग, कम्पिटिशन क्लासों में सरकारी विद्यालयों के व्याख्याताओं, अध्यापकों द्वारा मोटी फीस वसूल कर शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार द्वारा ऐसे शिक्षण संस्थानों के निरीक्षण हेतु व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो कब एवं कैसे व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) जिला अलवर में संचालित निजी शिक्षण संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। निजी कोचिंग, कम्पिटिशन क्लासों के संचालन हेतु स्वीकृति/मान्यता विभाग द्वारा प्रदान नहीं की जाती है।

(3) निजी शिक्षण संस्थानों, कोचिंग, कम्पिटिशन क्लासों में सरकारी

(शिक्षा मंत्री)

विधालय के व्याख्याताओं, अध्यापकों द्वारा मोटी फीस वसूल कर शिक्षण कार्य करवाये जाने सम्बन्धी कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(4) जी नहीं। ऐसे शिक्षण संस्थानों के निरीक्षण हेतु विभाग स्तर से कोई व्यवस्था नहीं की जाती है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु निजी संस्थाओं/ट्रस्टों को जारी स्वीकृति

**52. श्री वासुदेव देवनानी** (अजमेर उत्तर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाने व शिक्षा के गुणात्मक सुधार हेतु निजी संस्थाओं/ट्रस्टों को भागीदार बनाया गया है? यदि हां, तो उक्त संस्थाओं/ट्रस्टों के नाम व पते सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थाएं/ट्रस्ट राज्य के किन-किन जिलों व क्षेत्रों में कार्यरत हैं, या कार्य प्रारम्भ करेंगी? जिलेवार पूर्ण विवरण (गांवों की सूची, स्कूलों की सूची) सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त संस्थाओं/ट्रस्टों के साथ व सर्व शिक्षा अभियान के साथ किये गये एम ओ यू की छायाप्रति सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जी हां। वर्तमान में क्रियाशील संस्थाओं के नाम व पते की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में क्रियाशील संस्थाओं की जिलेवार सूची एवं विद्यालयों की सूची सम्बन्धित संस्था के एम.ओ.यू. के साथ परिशिष्ट "ब" एवं "स' पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में क्रियाशील संस्थाओं/ट्रस्टों के साथ किये गये एम.ओ.यू.की छाया प्रति परिशिष्ट "स" में उपलब्ध है।

**(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)**

## सीकर के विद्यालयों में रिक्त पद

**53. श्री अमराराम** (दांतारामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अमराराम)

(1) जिला सीकर के विद्यालयों में विद्यालयवार कितने शिक्षकों के पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में शिक्षकों की कमी के कारण जुलाई, 2012 से सितम्बर, 2012 तक जिले में किस-किस विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय में तालाबन्दी की तथा वहां क्या व्यवस्था की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार विधान सभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक कब तक लगाने का विचार रखते हैं? विद्यालयवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) जिला सीकर के विद्यालयों में विद्यालयवार शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

(2) जिले में शिक्षकों की कमी के कारण जुलाई 2012 से सितम्बर, 2012 तक जिन-जिन विद्यालयों में तालाबंदी की गई तथा उनमें की गई व्यवस्थाओं का विवरण इस प्रकार है-

| विद्यालय का नाम जहां तालाबंदी की गई | विभाग द्वारा की गई व्यवस्था |
|---|---|
| राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दातरू | श्री रामलाल सिंह वरिष्ठ अध्यापक (गणित) को राउमावि चाचीवाद बाग से लगाया जाकर शिक्षण व्यवस्था की गई। |
| राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दिनारपुर | श्री रणजीत सिंह अध्यापक रामावि, ढिढावता पिरान से लगाया जाकर शिक्षण व्यवस्था की गई। |
| राजकीय प्राथमिक विद्यालय, माजीपुरा, धोद | मापदण्डानुसार 4 अध्यापक पूर्ण से ही कार्यरत थे जिनमें से 1 अध्यापक अवकाश पर रहने के कारण ग्रामीणों द्वारा अतिरिक्त अध्यापक लगाने की मांग को पूरा करने के लिए तालाबंदी की गई परन्तु अध्यापक द्वारा अन्य अध्यापक लगाने से पूर्व ही कार्य ग्रहण कर लिया गया। |
| राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, दुल्हेपुरा | विद्यार्थी मित्र लगाकर शिक्षण व्यवस्था की गई। |

(शिक्षा मंत्री)

(3) माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 2093 पदों पर भर्ती हेतु अर्थना, आयोग को भिजवाई जा चुकी है। व्याख्याता स्कूल शिक्षा के विभिन्न विषयों के 665 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा वरिष्ठ अध्यापकों के 11865 पदों में से विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी विषय के कुल 6545 पदों पर नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन के आदेश जारी किये जा चुके हैं। साथ ही पदौन्नति कोटे के रिक्त पदों को भरने हेतु भी पदौन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

**प्रश्न संख्या-54**

**(स्थगित)**

## विद्यार्थी मित्रों का स्थायीकरण

**55. श्री मेवाराम जैन** (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में विभिन्न विद्यालयों में कितने विद्यार्थी मित्र कार्यरत हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विद्यालयों में कार्यरत विद्यार्थी मित्रों को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

**उत्तर**

(1) प्रदेश में माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा के अधीन संचालित विद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत विद्यार्थी मित्रों की जिलेवार संख्या का विवरण परिशिष्ट-'क-1' व 'क-2' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं । वर्तमान में विद्यार्थी मित्रों को स्थायी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## विराट नगर के पर्यटकीय विकास हेतु कार्य योजना

**56. डा. फूलचन्द भिण्डा** (विराट नगर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विराट नगर कस्बे में कौन-कौन से ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थल हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्थलों के विकास के लिए गत आठ वर्ष में (2004 से

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

2012 तक) क्या-क्या प्रयास किये गये तथा कौन-कौन से कार्य करवाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) भविष्य में उक्त क्षेत्र के पर्यटक स्थल को विकसित करने की क्या-क्या योजनाएं प्रस्तावित हैं?

**उत्तर**

(1) राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा विराट नगर कस्बे में मुगल गेट व अशोक का शिलालेख संरक्षित स्मारक घोषित किए गए हैं तथा ऐतिहासिक उत्खनन स्थल विराट नगर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित है। राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा विराट नगर में एक कलादीर्घा भी स्थापित की गई है।

(2) विराट नगर स्थित मुगल गेट पर वर्ष 2004 से मार्च, 2012 तक राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग से करवाये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है-

**(राशि रु. लाखों में)**

| वित्तीय वर्ष | व्यय राशि | कार्य का संक्षिप्त विवरण |
|---|---|---|
| 2004-05 | 3.38 | संरचनात्मक एवं रसायनिक संरक्षण कार्य |
| 2005-06 | 3.14 | संरचनात्मक एवं रसायनिक संरक्षण कार्य |
| 2006-07 | 8.42 | संरचनात्मक एवं रसायनिक संरक्षण कार्य |
| 2009-10 | 23.50 | संरक्षण कार्य |
| 2010-11 | 20.49 | संरक्षण कार्य |

पर्यटन विभाग द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में एन.सी.आर. प्रोजेक्ट के तहत बुद्ध स्तूप के पास शैड का निर्माण एवं जन सुविधाओं का निर्माण पर राशि रु. 17.21 लाख व्यय कर कार्य पूर्ण करवाये गये हैं।

पर्यटन विभाग द्वारा राज्य योजनान्तर्गत विराटनगर क्षेत्र में करवाये गये विकास कार्यो का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) पर्यटन विभाग द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मत्स्य पर्यटन सर्किट के अन्तर्गत विराट नगर

(पर्यटन मंत्री)

क्षेत्र के मुगलगेट, भीम की डुंगरी पर्यटन स्थलों के विकास कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

**परिशिष्ट-अ**

पर्यटन विभाग द्वारा राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 में व विराट नगर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु राशि रु. 11.50 लाख स्वीकृत किए गए थे, जिसके अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है-

1. अशोक शिलालेख का कार्य हेतु राशि रु. 1.50 लाख एवं जैन नसियां का कार्य हेतु राशि रु. 0.50 लाख कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग से करवाये गये हैं।
2. मुगलगेट के विकास कार्य हेतु राशि रु. 0.50 लाख का कार्य कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा करवाये गये हैं।
3. गणेश गिरी मंदिर, म्यूजियम का विकास, बगीचे व बिजली फिटिंग के कार्य हेतु राशि रु. 6.13 लाख एवं राशि रु 2.00 लाख साइनेजेज हेतु कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग को जिला कलक्टर, जयपुर के माध्यम से हस्तांतरित किए गए हैं। कार्य पूर्ण करवाये जा चुके हैं।
4. उप खण्ड अधिकारी, विराट नगर को ब्रोशर, सी.डी. व वेबसाइट हेतु राशि रु. 0.85 लाख स्वीकृत किए गए थे, जिसका उपयोग नहीं हुआ है, जिसे राजकोष में वापिस जमा करवाने हेतु जिला कलक्टर, जयपुर को लिखा गया है। विराट नगर के पर्यटन प्रचार-प्रसार हेतु वेबसाइट पेज तैयार कर पर्यटन विभाग के मुख्य पोर्टल से जोड़ दिया गया है।

## सूरसागर के आंगनबाड़ी केन्द्र

**57. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? उक्त में से कितने केन्द्रों के पास राजकीय भवन है और कितनों के पास नहीं है? केन्द्रवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राजकीय भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों का वर्तमान संचालन कहां-कहां किया जा रहा है तथा इस हेतु भवन का कितना किराया

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

चुकाया जा रहा है? पूर्ण विवरण मय वर्तमान संचालन स्थल के माप एवं फोटो के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त भवन रहित केन्द्रों हेतु भूमि प्राप्ति हेतु राजस्व विभाग, नगर निगम जोधपुर और जोधपुर विकास प्राधिकरण से पत्र व्यवहार किया गया? यदि हां, तो कब-कब एवं क्या-क्या समस्त पत्र व्यवहार की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में नवीन आंगनबाडी केन्द्र खोलने हेतु प्राप्त प्रस्तावों को केन्द्र सरकार को भेजा गया था? यदि हां, तो कब?

(5) क्या उक्त की स्वीकृति प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो उक्त नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों को कब तक खोल दिया जायेगा?

**उत्तर**

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में 90 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। उक्त में से किसी भी आंगनबाड़ी केन्द्र के पास राजकीय भवन नहीं है। केन्द्रवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त 90 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से एक आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन राजकीय प्राथमिक विद्यालय में तथा शेष 89 आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किराये के भवन में किया जा रहा है। इसके लिए निर्धारित 750/- रुपये प्रतिमाह का किराये का भुगतान किया जाता है। सूची मय माप एवं फोटो के परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। जिला कलक्टर, जोधपुर से आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु स्थान उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया जाता रहा है। पत्र व्यवहार की प्रति परिशिष्ट- स पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

**(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)**

## नवीन एयरक्राफ्ट क्रय हेतु आबंटित राशि

**58. श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या नागरिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(1) राज्य में सिविल एविएशन विभाग में वर्तमान में कुल कितने विमान व हैलीकाप्टर हैं तथा इनको कब-कब क्रय किया गया तथा इनमें से कुल कितने चालू/सही स्थिति में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने एक नये एयरक्राफ्ट (विमान) को खरीदे जाने के लिए पिडीकोर को टेण्डर प्रक्रिया शुरू करने के लिए डाक्यूमेंट बनाने के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो नये विमान को क्रय करने के लिए कितना बजट आबंटित किया गया?

**उत्तर**

(1) राज्य में सिविल एविएशन विभाग में वर्तमान में दो वायुयान एवं एक हैलीकाप्टर उपलब्ध है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

1. वायुयान किंग एयर सी-90ए VT-EQN
   क्रय वर्ष 1989
2. वायुयान किंग एयर बी-200 VT-RJA
   क्रय वर्ष 2006
3. हैलीकाप्टर अगस्ता 109ई VT-RAJ
   क्रय वर्ष 2005

इनमें से दोनों विमान उड़ान योग्य हैं तथा हैलीकाप्टर ग्रउन्ड होने के फलस्वरूप उड़ान याग्य नहीं है।

(2) जी नहीं। टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के लिए पिडीकोर को सलाहकार नियुक्त नहीं किया गया है।